लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

सत्यमेव जयते

...vation Unit
1-6-92
...ted
20-12-83
...ment Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची—CONTENTS

अंक 12—बुधवार, 1 सितम्बर, 1965/10 भाद्र, 1887(शक)

No. 12—*Wednesday, September* 1, 1965/*Bhadra* 10, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
329	संघ लोक-सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये समानीकरण योजना Moderation Scheme for U.P.S.C. Examinations	1223–26
330	केन्द्रीय सेवाओं में कोटा सिस्टम Quota System in Central Services	1226–28
331	हिन्दी का प्रचार Propagation of Hindi	1228–32
332	विश्वविद्यालय तथा कालिज अध्यापकों के वेतनक्रम Pay Scales of University and College Teachers	1232–35
333	गोआ का भविष्य Future of Goa	1235–38
334	भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग Archaeological Survey of India	1238–39
335	बर्मा से भारतीयों को वापिस भेजना Repatriation of Indians from Burma	1239–41

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
336	जनता की शिकायतें	Public grievances	1241
337	नजरबन्द साम्यवादियों को परिवार भत्ता देना	Family Allowances to Communist Detenus	1242
338	वामपक्षी साम्यवादियों की रिहाई	Release of Left Communists	1242
339	अमरीकी विमान का विवश हो कर उतरना	Force-landing of an American Plane	1242–43
340	दिल्ली में कालिजों में दाखिला	Admission to Colleges in Delhi	1243
341	उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक	Northern Zonal Council Meeting	1243–44
342	न्यायिक कार्य-पद्धति में प्रशासनिक सुधार	Administrative Reforms in Judicial System	1244
343	काश्मीर पर संविधान के अनुच्छेदों का प्रवर्तन	Application of Articles of Constitution to Kashmir	1244–45

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
344	विज्ञान में निपुण व्यक्ति	Science Talent	1245
345	बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी	Bennett Coleman and Co.	1245
346	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य ढांचे सम्बन्धी तालुकदार समिति	Talukdar Committee on Price Structure of Petroleum Products	1245–46
347	शिक्षा के विषय का समवर्ती सूची में रखा जाना	Education on Concurrent List	1246
348	उड़ीसा सरकार के लेन-देन पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	Special Audit Report on Orissa Government Transactions	1246
349	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	1246–47
350	नजरबन्द साम्यवादी	Communist Detenus	1248
351	माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषायें	Regional Language as a Medium	1248
352	भारतीय अध्ययन संस्थान	Institute of Indian Studies	1249
353	मुजाहित-ए-इस्लाम की गतिविधियां	Activities of Mujahidin-e-Islam	1249
354	राज्यों में प्रशासनिक सुधार	Administrative Reforms in States	1249–50
355	विश्वविद्यालय केन्द्र	University Centres	1250
356	मूर्तियों का विरूपण करना	Disfiguring of Statues	1250
357	नागाओं द्वारा इम्फाल नदी पर मिनुथोंग पुल का उड़ाया जाना	Blowing up of Minuthong Bridge on Imphal River by Nagas	1251
358	दिल्ली में वर्षा	Rains in Delhi	1251

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1188	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अहमदाबाद, द्वारा दिये गये डिप्लोमा	Diploma awarded by School of Architecture, Ahmedabad	1252
1189	केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, पिलानी	Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani	1252
1190	उज्जैन के पास कायाथा गांव में ऐतिहासिक स्थान	Historical site at village Kayatha near Ujjain	1252–53
1191	केरल में अध्यापकों द्वारा सत्याग्रह	Satyagraha by Teachers in Kerala	1253
1192	केरल में तमिल भाषा के स्कूलों की कमी	Inadequacy of Tamil Schools in Kerala	1253
1193	माध्यमिक पाठशाला, कारीबल्लूर के लिये स्थान	Accommodation for Secondary School, Karivelloore	1253–54
1194	केरल के स्कूलों में शिल्प अध्यापक	Craft Teachers in Kerala Schools	1254

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1195	अमरीका के हाई-स्कूलों में भारतीय अध्यापक	Indian Teachers in American High Schools	1254–55
1196	राष्ट्रीय जड़ी-बूटी शाला	National Herbarium . . .	1255
1197	भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी	Archaeological Survey of India Employees	1256
1198	वैज्ञानिक आविष्कार	Scientific Inventions . . .	1256
1199	हिन्दी परीक्षा	Hindi Examination . .	1256–57
1200	अजन्ता और एल्लोरा को चित्रकारी का परिरक्षण	Preservation of Ajanta and Ellora Paintings	1257
1201	गवेषणा के लिए छात्रवृत्तियां	Scholarships for Researches . .	1257
1202	महाराष्ट्र में पेट्रो-कैमिकल उद्योग	Petro-Chemical Industries in Maharashtra	1257–58
1203	सरकारी नौकरियों में भर्ती	Recruitment to Government jobs .	1258
1204	संघ-राज्य क्षेत्रों में प्रशासन	Administration in Union Territories	1258–59
1205	टेलीवीजनों का निर्माण	Production of T. V. Sets	1259
1206	पादप रसायन (फाइटो केमिकल) संयंत्र	Phyto-Chemical Plant .	1260
1207	श्रमिकों के बालकों की शिक्षा	Education of Children of Labourers	1260
1208	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतनक्रम	Pay Scales of Survey of India Employees	1260–61
1209	हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Salahkar Samiti . . .	1261
1210	पंजाब के छात्रों की शिक्षा-सम्बन्धी यात्रा	Educational Tours of Students of Punjab	1261–62
1211	पंजाब के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां	Post-Matric Scholarships to Scheduled Caste Students of Punjab	1262
1212	रूस में भारतीय तकनीशनों का प्रशिक्षण	Training of Indian Technicians in USSR	1262
1213	अध्यापकों के लिये भविष्य निधि	Provident Fund for Teachers .	1262–63
1214	अखिल भारतीय वन तथा इंजीनियरी सेवायें	All India Forest and Engineers Services	1263
1215	जम्मू तथा काश्मीर द्वारा देय ऋण	Loan Due from J. & K. . .	1263–64
1216	स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेन्सिलिन का उत्पादन	Production of Streptomycin and Penicillin	1264
1217	अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें	Teachers' Training Institutes .	1264–65

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1218	मूल्य-वृद्धि विरोधी आन्दोलन का प्रभाव	Impact of Anti-Price Rise Movement	1265
1219	भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिये आयुक्त	Commissioner for Linguistic Minorities	1265
1220	संघ राज्य-क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा संस्थायें	Secondary Educational Institutes in Union Territories . .	1265–66
1221	भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की प्रक्रिया	Procedure of Investigation into Charges of Corruption . .	1266
1222	नर्मदा पुल पर तेल पाइप लाइन	Oil Pipe Line over Narmada Bridge	1266
1223	दिल्ली में जासूसों का गिरोह	Spy Rings in Delhi . .	1266–67
1224	निकोबार द्वीप का सर्वेक्षण	Survey of Nicobar Island . .	1267
1225	पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्था, मनाली (पंजाब)	Western Himalayan Mountaineering Institute, Manali (Punjab) .	1267
1226	भारत में हूबर आयोग जैसा आयोग	Hoover Type Commission in India	1267–68
1227	केरल में परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Projects in Kerala .	1268
1228	पंजाब से अधिकारी का वापस बुलाया जाना	Recall of Officer from Punjab .	1268–69
1229	कलकत्ता-काठमांडू पैट्रोल पाइप लाइन	Calcutta Kathmandu Petrol Pipe Line	1269
1230	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	Development of Regional Languages	1269
1231	पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला सैनिक	Army-man Spying for Pakistan	1269
1232	विदेश में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी	U. P. Students Studying Abroad .	1270
1233	उत्तर प्रदेश में अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर	Staff Quarters for Women Teachers in U. P.	1270
1234	शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप	Educational Activities . .	1270
1235	नजरबन्द व्यक्ति	Detenus	1271
1236	व्यक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालयों का नामकरण	Naming of Universities after Individuals	1271–72
1237	पंजाब में स्मारक	Monuments in Punjab .	1272
1238	अध्यापकों को पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण	Correspondence Course for Teachers' Training	1272

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1239	वाशिंगटन में हुए खेलों में गूंगे तथा बहरों के खेल	Games of Deaf and Dumb at Washington Meet . . .	1272
1240	अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की शिक्षा	Education of Scheduled Tribes	1273
1241	दिल्ली के कालेजों में हिन्दी और संस्कृत का पढ़ाया जाना	Teaching of Hindi and Sanskrit in Delhi Colleges	1273
1242	केरल परामर्शदात्री समिति	Kerala Consultative Committee .	1273–74
1243	दिल्ली में सिकन्दर लोदी का मकबरा	Sikandar Lodi's Tomb in Delhi	1274
1244	आदिम जातीय व्यक्तियों का प्रव्रजन	Migration of Tribals . .	1274–75
1245	नई दिल्ली के न्यायालयों को अग्रदाय राशि (इम्प्रैस्ट मनी) का खाता	Imprest Account of New Delhi Courts	1275
1246	शेख अब्दुल्ला पर मुकदमा	Trial of Sheikh Abdullah . .	1275
1247	पंजाब में खेलकूद	Sports in Punjab . . .	1275–76
1248	पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता	Assistance to Political Sufferers in Punjab	1276
1249	स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी	Freedom Fighters . . .	1276
1250	केरल विश्वविद्यालय द्वारा उर्दू की पढ़ाई की समाप्ति	Abolition of Urdu by Kerala University	1277
1251	कारीप्पोडी गांव (केरल) में स्कूल	School in Karippodi Village (Kerala)	1277
1252	पालमपुर में जीव-विज्ञान प्रयोगशाला	Biological Laboratory at Palampur	1277
1253	वामपंथी साम्यवादियों द्वारा लेख याचिकायें	Writ Petitions by the Left Communists	1278
1254	पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण सम्बन्धी आयोग	Commission on Exodus from East Pakistan	1278
1255	तेज़पुर में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Illegal Entry by Pakistan is into Tezpur	1278–79
1256	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के हिन्दी एकक द्वारा प्रकाशित साहित्य	Literature published by Hindi Unit of C.S.I.R.	1279
1257	दिल्ली में विश्व-हिन्दु धर्म सम्मेलन	World Hindu Religion Conference in Delhi	1279
1258	मृत्यु दण्ड समाप्त करना	Abolition of Capital Punishment .	1279
1259	दिल्ली में भूमि का दिया जाना	Allotment of Land in Delhi .	1280

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1260	बर्मा आयल कम्पनी	Burmah Oil Company	1280
1261	पुंछ में बम विस्फोट	Bomb Explosion at Poonch	1280
1262	हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन	Haldia-Barauni Pipe Line	1281
1263	पश्चिम बंगाल में वामपंथी साम्यवादियों द्वारा जारी किया गया परिपत्र	Circular issued by Left Wing Communist Party in West Bengal .	1281
1264	आन्ध्र प्रदेश में सोडा एश बनाने वाला कारखाना	Soda Ash Plant in Andhra Pradesh	1282
1265	राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्था	National Biological Institute	1282
1266	मालनाड क्षेत्र का विकास	Development of Malnad Area .	1282–83
1267	विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा व्यवस्था	Free Education and Medical Aid to Students	1283
1268	बर्मा शैल तथा एस्सो के तेल शोधक कारखानों के लिये अशोधित भारतीय तेल	Indian Crude for Burma Shell and Esso Refineries . . .	1283–84
1269	अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट	Research Laboratory, Jorhat .	1284
1270	त्रेजुनिथुरा (कोचीन) में "हिल पैलेस"	Hill Palace at Trejunithura (Cochin)	1284
1271	दिल्ली में जाली फर्में	Bogus Firms in Delhi . . .	1284
1272	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी)	Gratuity for Delhi University Employees	1285
1273	त्रिपुरा में तेल	Oil in Tripura .	1285
1274	नज़रबंद व्यक्तियों के लिये सुविधायें	Facilities for Detenus .	1285
1275	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी की परीक्षा	Hindi for Central Govt. Employees	1286
1276	कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, में त्रिलोकी कालोनी का अर्जन	Acquisition of Triloki Colony in Kotla Mubarakpur, New Delhi	1286
1277	कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी	Car Nicobar Trading Company .	1286
1278	असुर-संस्कृति के अवशेषों की खुदाई	Excavation of Relics of Asura Culture	1287
1279	मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships .	1287
1280	शिक्षा अर्हता से छूट	Exemption from Educational Qualifications	1287–88
1281	दाहक सोडा	Caustic Soda	1288
1282	त्रिभाषा सूत्र	Three Language Formula . .	1288–89

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1283	पर्यटन विभाग के कर्मचारी के विरुध्द तस्करी के आरोप	Smuggling Charges Against official of Department of Tourism .	1289
1284	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवार	Selections made by U.P.S.C. .	1289
1285	बरेली विश्वविद्यालय	University at Bareilly .	1290
1286	केरल में पुस्तकों के परिचालन पर प्रतिबन्ध	Ban on Circulation of Books in Kerala	1290
1287	राजनैतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों को सदस्य बनाया जाना	Enrolment of Students by Political Parties	1290
1288	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की बैठक	All India Sports Council .	1290–91
1289	कार्यालय पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम	Office Supervision Course	1291
1290	हिन्दी परीक्षाओं में असफलता	Failures in Hindi Examinations .	1291
1291	राष्ट्रीय स्मारकों की मरम्मत	Repairs of National Monuments .	1291–92
1292	तेल के आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Spent on Import of Oil	1292
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	1292–93
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— उनहत्तरवां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions— Sixty-ninth Report .	1293
	वर्ष 1965-66 की श्रम और रोजगार मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा के उत्तर का स्पष्टीकरण करने वाला वक्तव्य— श्री संजीवय्या	Statement Clarifying Reply to Discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Labour and Employment for the year 1965-66— Shri D. Sanjivayya .	1293–94
	विशेषाधिकार समिति— दूसरा प्रतिवेदन	Committee of Privilege— Second Report . .	1294
	ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notices (Query)	1294
	सभा के कार्य के बारे में	Re : Business of the House . .	1295

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965	Finance (No. 2) Bill, 1965—	
खंड 25, 26 और 1	Clauses 25, 26 and 1—	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari	1302, 1305-06
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar . .	1302-03
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . .	1303-04
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	1304
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendra Nath Dwivedi .	1304
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution re : Aligarh Muslim University (Amendment) Ordinance and Aligarh Muslim University (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravartty .	1307-08
श्री अन्सार हरवानी	Shri Ansar Harwani .	1308
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . .	1308-09
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony . .	1309-11
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti . .	1311
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua . . .	1312
श्रीमती मैमूना सुल्तान	Shrimati Maimoona Sultan .	1313
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	1313-14
श्री बदरुद्दुजा	Shri Badrudduja . . .	1315-17
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	1317

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 1 सितम्बर 1965 10/भाद्र, 1887 (शक)
Wednesday, September 1, 1965/Bhadra 10, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Moderation Scheme for U. P. S. C. Examinations

*329. **Shri M. L. Dwivedi :** **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri S. C. Samanta : **Smt. Tarkeshwari Sinha :**
Shri Subhodh Hansda : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri P. R. Chakravarti : **Shri Jagdev Singh Sidhanti :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Kajrolkar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have examined the practicability of the formula evolved by the Working Committee of the All-India Congress Committee in the first week of June last to solve the language problem and if so, when and how the formula would be implemented;

(b) the broad outlines of the proposed moderation scheme for uniform marking of answers of equal standard and to prevent any discrimination in the valuation of answers in the U. P. S. C. examinations conducted through the media of different languages recognised in the Constitution and the manner in which this scheme would be implemented; and

(c) the action proposed to be taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). Yes, Sir. Government have accepted in principle that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English should be permitted as alternative media for the All-India and higher Central Services Examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of examinations, the procedural aspects and the timing. A satisfactory scheme of moderation will be evolved by the Union Public Service Commission.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether the U. P. S. C. has completed any work in regard to language. If so, the reasons for delay in using it as a medium for U. P. S. C. examinations, when the Presidential order was promulgated in 1960.

Shri L. N. Mishra : Hon. Member's contention is true but it became obligatory to make some changes therein after 26th January. So after some delay it is being considered whether examinations should be conducted in all the languages included in the list.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know how far the Govt.'s action is constitutional.

Shri L. N. Mishra : It is not conflicting with the constitution.

Shri M. L. Dwivedi : I have not made any mention of Constitution. I had said that it has been admitted in the Bill that English would be used alongwith Hindi after 26th January 1965. Govt. had announced that Hindi would be introduced in the U. P. S. C. Examination. I would like to know how far it is constitutional.

Mr. Speaker : He says that it is not conflicting with the Constitution.

श्री स० चं० सामन्त : संघ लोक सेवा आयोग को क्या कठिनाइयां महसूस हुई और उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री ल० ना० मिश्र : कठिनाई मुख्यत: समानीकरण और स्तर बनाये रखने के बारे में है ।

श्री सुबोध हंसदा : जब विभिन्न भाषाओं के विभिन्न परीक्षक होंगे तो स्तर किस तरह जांचा जायगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसी समस्या को सुलझाने के लिये हम समय ले रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार उन विशिष्टि कार्यवाहियों का कोई ब्योरा बतायेगी जो यह देखने के लिये की गयी है कि यह समानीकरण योजना लागू करने से किसी विशिष्ट भाषाओं को लाभ नहीं होगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : वह एक मुख्य सिफारिश होगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : भाषा विवाद के हल के बारें में नेहरु सूत्र उसी समय तक सीमित रहा कि हिन्दी कब राजभाषा होगी । अब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को प्रादेशिक भाषाओं में लेने का बाहरी विषय यहां लाकर इसको क्यों पेचीदा बनाया जा रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रादेशिक भाषाओं को परिक्षा का माध्यम बनाने की कल्पना राज भाषा आयोग के प्रतिवेदन मे और राज भाषा संबंधी संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन में थी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार जानती है कि जल्दबाजी का यह निर्णय कार्यान्वित करना असंभव है और उसका परिणाम यह होगा कि अंग्रेजी हमेशा के लिये चलती रहेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं किया गया है। वास्तव में शिकायत यह है कि हम बहुत सावधान हैं। मैं समझता हूं कि उससे प्रादेशिक भाषाओं के विकासपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और उससे देश का एकीकरण होगा।

Shri Prakash Vir Shastri : In certain universities in India, education in certain classes have been started through the medium of Hindi or other Indian languages whereas there are others in which this kind of education has not been introduced. I would like to know whether the decision that examination would be conducted through Hindi medium after September 1965 would be held till all the Universities accept it ?

Shri L. N. Mishra : Universities have nothing to do with it. Though it is a matter of joy that there are 34 universities where instructions at a higher level are given in regional languages, and there are others where it is given upto B.A., Standard, it has nothing to do with the examinations of U. P. S. C. When it is introduced, it would be applied simultaneously and one would be able to appear in the examination in the language of his choice.

श्री हेम बरुआ : क्या केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में 14 भाषाओं के प्रयोग की संभावना पर जिससे कि भारत के भाषावार टुकड़े हो सकते हैं, सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सभी संभव प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद ही निष्कर्ष निकला है। हम इस बात से सहमत नहीं है कि इसके वह परिणाम होंगे जो माननीय सदस्य सोचते हैं।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : माननीय मंत्री के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि स्तर बनाये रखने में कठिनाईयां होंगी, उन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठने का सरकार का विचार है।

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा कोई सूत्र निर्धारित करने के लिये जिससे समानीकरण हो सकेगा और स्तर में ह्रास न हो, संघ लोक सेवा आयोग को कुछ समय लगेगा।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार जानती है कि हिन्दी समर्थक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 14 भाषाओं के प्रयोग का विरोध कर रहे हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

श्री नंदा : उनका यह अनुमान ठीक नहीं है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या यह समानीकरण योजना कार्यान्वित होने पर हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लिये अहितकर होगी ?

श्री नंदा : समानीकरण की योजना का सारा आधार ही यह है कि उससे किसी भाषा को अनुचित हानि न हो।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को कभी यह सलाह दी गयी है कि इस बात को देखते हुए कि हमारी प्रादेशिक भाषाएं साम्प्रदायिक और प्रादेशिक उत्तेजना का माध्यम बन गयी है, कोई वस्तुगत समानीकरण संभव नहीं हैं ? यदि हां, तो वह इस विचित्र कल्पना पर क्यों अड़ी हुई है ?

श्री नंदा : माननीय सदस्य अक्सर ही चर्चा को आवश्यकता से अधिक ऊंचाई पर ल जाते हैं।

श्री रंगा : यह कोई उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते।

Shri R. S. Pandey : The use of regional languages at university level has been accepted in principle as a solution to the language problem. I would like to know whether State Govts. have been instructed for an early implementation of this principle and if so, the nature of instructions given to them.

Shri L. N. Mishra : They have been instructed and they are doing themselves. 34 universities have done it and the rest intend to do it. As stated by Shastriji I agree that there would be difficulties in examinations until all universities adopt regional languages as a medium of instruction. But we can't ignore the situation as it is and therefore we intend to implement it simultaneously. Every one would appear in examination in the language of his choice.

केन्द्रीय सेवाओं में कोटा सिस्टम

*330. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के लिये केन्द्रीय सेवाओं में कोटा सिस्टम आरम्भ करने के प्रश्न पर सभी राज्य सरकारों की राय मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस आमले में अधिकांश राज्यों की राय क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या कोटा प्रणाली की उपयुक्तता की छानबीन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति बनाने की कोई योजना सरकार के सम्मुख है ?

श्री हाथी : जी नहीं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार जानती है कि आसाम जैसे कुछ राज्यों के लोग केन्द्रीय सेवाओं में नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य के लिए कोई न्यूनतम संख्या निश्चित की जायगी।

श्री हाथी : ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है और नही सरकार कोटा निश्चित करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करना चाहती है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इस बात से सहमत है कि कोटा मान लेना नौकरियों में उम्मीदवारों की योग्यता के उचित मूल्यांकन के विरुद्ध है ?

श्री हाथी : परीक्षाओं में उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार ही उनका चुनाव होता है।

श्री दी० चं० शर्मा : श्री राजगोपालाचारी ने कहा है कि हमारा कांग्रेस कोटा परमिट प्रणाली राज है। यदि सेवाओं में भी कोटा प्रणाली लागु की जायगी तब हम यह किस तरह कर सकते हैं कि हमारे देश में चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर किया जाता है ?

श्री हाथी : यही वजह है कि हमने कोटा-प्रणाली न स्वीकार करने का निश्चय किया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि कोई कोटा प्रणाली नहीं होगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का ध्यान अभी चार रोज पहले आंध्र प्रदेश राज्य के सर्विसेस यूनियन में मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वे कोटा के लिए आग्रह करते रहेंगे ? यदि हां तो क्या सरकार की यह राय है कि कोटा-प्रणाली 14 भाषाओं वाले सूत्र से कहीं अधिक अच्छी है ?

श्री हाथी : कोटा-प्रणाली पर विचार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की उपस्थिति में एक बैठक में किया गया था। वह उसके पक्ष में थे लेकिन आखिर में यह निश्चय किया गया कि कोई कोटा प्रणाली नहीं होनी चाहिये ?

Shri Madhu Limaye: It is a good suggestion to allot the quota on the basis of population and to introduce the use of 14 languages in the U. P. S. C. Examinations but does the Government feel that these suggestions are significant, only when they are considered ever in the context of removal of English.

Shri Hathi : It has no relation with the quota.

Shri Yeshpal Singh : How can we prevent the natural talents when we have promised 'first deserve, then desire'? They may belong to one State only, but they must get opportunities to progress.

Shri Hathi : That is why we provide opportunity to every one.

श्री स्वेल : माननीय गृहकार्य मंत्री ने सेवाओं में कोटा-प्रणाली स्वीकार नहीं की है। क्या वह इसे यह नहीं मानते कि परीक्षाओं में माध्यम के तौर पर 14 भाषाओं के प्रयोग से कोटा-प्रणाली लागू की जा रही है ?

श्री हाथी : परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं के और 14 भाषाओं के मंजूर करना कोटा-प्रणाली से बिलकुल अलग है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : परीक्षकों द्वारा अपनी अपनी भाषाओं के छात्रों को अंक देने में प्रतियोगिता और स्तरों में गिरावट रोकने के लिये सरकार क्या करेगी ?

श्री हाथी : जब कोटा-प्रणाली लागू की जायगी तो स्तर आज की अपेक्षा बहुत कम होंगे ?

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकारने विभिन्न राज्यों के लिये कोटा निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई महसूस हुई है।

श्री हाथी : कोटा प्रणाली के संबंध में हमने नमुने के तौर पर जांच की थी कि कोटा-प्रणाली लागू करने से क्या होगा। 1963 के एक साल के परिणाम से यह मालम हुआ

है कि राज्यों को आबादी के अनुसार दिये जाने वाले 112 सीटों में से पहले 31 उम्मीदवार नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे यद्यपि वे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं और ये पद उन उम्मीदवारों को दिये जायेंगे जिनका स्थान योग्यताक्रम में बहुत नीचे था।

Shri Madhu Limaye : I would like to know the names of those states which these 31 candidates belong to, so that it may become clear as to what is the problem?

Shri Kashi Ram Gupta : Will the Govt. think over this quota system in the light of the U. P. S. C.'s rejection of the issue of 14 languages as impracticable.

Shri Hathi : We have thought over that it would be difficult to accept the quota system and candidates with merit would not be able to come up.

Shri Sheo Narayan : The dispute is about the language and the merit is assessed on the basis of mathematics and not on the language. Do the Government propose to consider over the suggestion that candidates be selected on the merit basis instead of the quota system.

Shri Hathi : The quota system is fading out, so the question of retaining it does not arise but so far as the selection of the candidates is concerned, they are selected on the basis of merit in examinations.

श्री बासप्पा : क्या सरकार विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में उत्पन्न असन्तुलन के बारे में जानती है और यदि हां तो उसे ठीक करने के क्या उपाय हैं?

श्री हाथी : इस स्थिति को ठीक करने के लिये ही हम विभिन्न कार्यवाहियों के बारे में सोच रहे हैं।

Propagation of Hindi

\+

*331. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Naval Prabhakar :
Shri Hem Raj :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Bade :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any special decisions have been taken in order to encourage the programmes for the propagation of Hindi in the non-Hindi speaking States;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) whether any efforts have been made to ascertain the schemes formulated by the private and Government institutions for encouraging the programmes for the propagation of the National Language?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a), (b) and (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The existing programmes for the propagation of Hindi in non-Hindi speaking States are being continued and implemented vigorously. In the Fourth Plan it is proposed to provide larger funds for this purpose.

(c) Applications are invited every year from Voluntary Hindi Organisations in country for giving financial assistance for the implementation of their schemes for propagation of Hindi particularly in the non-Hindi speaking regions. Under this scheme, almost all the organisations who are working in this field apply for grants through the State Government. Financial assistance is rendered to the extent of 75% of actual expenditure on schemes for propagation of Hindi recommended by the State Governments and approved by the Government of India.

Grant to Governmental agencies are given for the development of the language.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Education Minister might have received memoranda and messages that larger the number of Hindi medium universities and colleges for propagating in the non-Hindi speaking States, the greater the facilities for the people there to learn Hindi. Why the Government is unable to take a decision to that effect in spite of these memoranda and people's will?

श्री मु० क० चागला : हिन्दी के प्रचार के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों से ठोस प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किये जाते हैं और पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। यहां हमारे पास एक सूची है जिसमें बताया गया है कि हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या करेंग। यह कहना गलत है कि हम अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, May I know whether Hindi medium universities are going to be started in non-Hindi speaking states?

श्री मु० क० चागला : हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। लेकिन हम हिन्दी माध्यम वाले स्कूल चालू करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास अलग धनराशि है।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Education Minister has stated in the Statement that in the fourth Plan it is proposed to provide larger funds for this purpose. Would he able to give an indication of their nature and form?

श्री मु० क० चागला : हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए पहली योजनामें 3 लाख रुपये की रकम रखी गयी थी। लेकिन दूसरी योजनायें पर 50 लाख रुपये थी और यद्यपि तीसरी योजनामें 230 लाख रुपये रखे गये हैं फिर भी इस योजना के पहले चार वर्षों में 318 लाख रुपये खर्च हुए। 1965–66 में कुल 191 लाख रुपये की रकम हिन्दी प्रचार और विकास की योजनाओं के लिये रखी गयी है। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों से सब स्पष्ट हो जायगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : चौथी योजना में क्या है?

श्री मु० क० चागला : चौथी योजना के लिये अस्थायी तौर पर 939 लाख रुपय की रकम स्वीकृत की गयी है। मुझे यह नहीं मालूम कि वह मंजूर किया जायगा या नहीं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the news reports that a minister of the Central Cabinet has expressed a remark that it is not proper to furnish Hindi translation alongwith English are correct; if so, will Government state whether it is not clear opposition to propagation of Hindi?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, यह गलत है। दूसरे मंत्रालय के बारे में मुझे नहीं मालूम।

श्री हेमराज : दक्षिण में किन किन राज्यों में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया है और किन किन राज्यों ने ऐसी नहीं किया है?

श्री मु० क० चागला : मेरी जानकारी यह है कि मद्रास को छोड़कर सभी राज्य ने हिन्दी को त्रिभाषा-सूत्र के अंग के रूप में अनिवार्य बनाया है।

श्री अ० प्र० शर्मा : विभिन्न राज्यों में हिन्दी माध्यम के कितने स्कूल खोले गये हैं और भविष्य में कितने खोले जाने वाले हैं?

श्री मु० क० चागला : चौथी योजना के लिये यह एक नयी योजना है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को देखते हुए केन्द्रिय सरकार और राज्य सरकारों के अनेक कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते, उनके लिए रात्रि-पाठशालाएं खोलकर या अन्य तरीकों से हिन्दी पढाने के लिये क्या विशेष व्यवस्था की जा रही है?

श्री मु० क० चागला : जी हां, अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी सीखने की व्यवस्था है उसके लिये कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और न उसमें कोई कठिनाई है। जो भी चाहे हिन्दी सीख सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या अहिन्दी भाषी राज्यों म हिन्दी के प्रचार के लिये रखे गये धन का पूरा पूरा उपयोग किया गया है और यदि नहीं तो वह कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है?

श्री मु० क० चागला : विभिन्न परियोजनाओं के लिये जितनी रकमें काम में लायी गयी थी उसके आंकड़े मेरे पास हैं। प्रत्येक राज्य ने विभिन्न योजनाओं पर कितनी कितनी खर्च की है उसके आंकड़े मेरे पास है। वह एक लंबी सूची है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी सभापटल पर रख दी जाये।

श्री मु० क० चागला : मैं रख दूंगा।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न के भाग (ग) में यह दावा किया जाता है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार हिन्दी को देश की राष्ट्र भाषा स्वीकार करती है।

श्री मु० क० चागला : मैं केवल यही दोहरा सकता हूं कि संविधान की भाषा हिन्दी ही भारत की राज भाषा है।

श्री उ० पू० त्रिवेदी : तामिलनाद के संबंध में जहां बोर्डों पर सरकार द्वारा हिन्दी में लिखी गयी हर चीज को मिटाने के लिये हर कोशिश की गयी है, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी

है ? देवस्थानम बोर्ड के संबंध में अभी तक हिन्दी में लिखी गयी नोटिसें रामेस्वरम मंदिर से हटा ली गयी हैं।

श्री मु० क० चागला : हम थोड़ा धैर्य से काम लें। मुझे विश्वास है कि थोड़े से धैर्य और सहनशीलता से तामिलनाड भी देश के अन्य भागों की तरह हो जायगा।

श्री पु० र० पटेल : मद्रास के वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य विषय क्यों नही बनाया गया है ?

श्री मु० क० चागला : मद्रास के मुख्य मंत्री ने जो शिक्षा मंत्री भी हैं, मुझे बताया कि यद्यपि हिन्दी मद्रास में अनिवार्य विषय नहीं है फिर भी लाखों छात्र हिन्दी पढ़ रहे हैं और स्वेच्छापूर्वक प्रयत्न इतने सफल रहे हैं कि उसे अनिवार्य बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले मौजदा स्कूलों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

श्री मु० क० चागला : इस समय हिन्दी माध्यम वाले कोई स्कूल नहीं है ? यह एक नयी योजना है जिसे हम चौथी योजनामें चालू करना चाहते हैं।

डा० रानेन सेन : त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत की अन्य राष्ट्र भाषाओं के प्रचार और विकास पर कितना धन खर्च किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हिन्दी के प्रचार के संबंध में है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक सही है कि सरकारी एजेन्सियों की मदद करने के लिये रखे गये अनुदान का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मु० क० चागला : माननीय महिला सदस्य की कल्पना ऐसी नहीं है। हम स्वयंसेवी संगठनों को मदद कर रहे हैं और हमने काफी बड़ी रकम खर्च की है। यदि ब्योरे की जरूरत हो तो मैं दे सकता हूं।

श्री बासप्पा : क्या अभी हाल में दक्षिण भारत प्रचार सभा के अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सदस्य प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले थे और यदि हां तो उनका मुख्य आशय क्या था और उनकी प्रार्थना कहां तक स्वीकार की गयी है ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं माननीय सदस्य का निर्देश उस शिष्टमंडल से है जो मझे परसों मिला था। हमने केवल उनकी उपाधियों की मान्यता के प्रश्न पर चर्चा की। मैंने बताया कि जहां तक सरकार का संबंध है, हम उपाधियों को मानते हैं लेकिन जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है वे स्वायत्तशासी हैं और मैं उन्हें राजी करूंगा कि वे उनकी उपाधियों को मान्यता दें।

श्री बासप्पा : वह प्रधान मंत्री से भी मिला था।

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि उनमें और प्रधान मंत्री के बीच क्या बातचीत हुई। मैं सिर्फ अपनी बातचीत के बारे में जानता हूं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि राजाजी जब मद्रास के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उस राज्य में हिन्दी .अनिवार्य की और श्री कामराज मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने समाप्त कर दिया तो क्या यह उनकी इच्छा के अनुसार है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने मद्रास में हिन्दी को अनिवार्य बनाने से इन्कार कर दिया है ?

श्री मु० क० चागला : मैं प्राचीन इतिहास से अवगत नहीं हूं। मै केवल आधुनिक इतिहास के सम्पर्क में रहता हूं।

विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकोंके वेतन-क्रम

\+

*322. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा उन से संबद्ध कालेजों के अध्यापकों के लिये बढ़े हुए वेतन-क्रम की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो उसने किन किन मुख्य वेतन-क्रमों की सिफारिश की हैं,

(ग) क्या संघ सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, और

(घ) इस सिफारिश को कार्यान्वित करने पर क्या अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) चौथी योजना की अवधि के अन्त तक 26.5 करोड़ रुपए।

विवरण

(1) विश्वविद्यालय-विभागों में अध्यापकों को:–

प्रोफेसर	रुपए 1100–50–1300–60–1600.
रीडर	रुपए 700–50–1250.
लेक्चरर	रुपए 400–40–800–50–950.

(2) सम्बद्ध कालेजों में शिक्षकों को:—

प्रधानाचार्य	(i) रुपए 800–50–1250/1000–50–1500.
	(ii) रुपए 700–40–1100.
वरिष्ठ लेक्चरर/रीडर	रुपए 700–40–1100.
लेक्चरर :	
वरिष्ठ वेतन-क्रम	रुपए 400–30–640–40–800.
कनिष्ठ वेतन-क्रम	रुपए 300–25–600.

Shri Vishwanath Pandey : I would like to know whether the University Grants Commission had consulted the Vice-Chancellors of Universities before making recommendation for enhanced pay scales. If so, what was their reaction?

श्री मु० क० चागला : औपचारिक रुप से उपकुलपतियों से परामर्श नहीं किया गया था लेकिन मैं समझता हूं कि वेतन-क्रम बढ़ाये जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन उन्हें प्राप्त हुए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोच विचार के बाद ही उपर्युक्त वेतन-क्र ों की सिफारिश की है।

Shri Vishwanath Pandey : Were the Education Ministers of State Governments consulted in this connection?

श्री मु० क० चागला : वह मामला अभी विचाराधीन है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सिफारिशों के अनुसार वेतन-क्रम बढ़ाये जाने पर अधिक धन की आवश्यकता होगी। तो क्या यह अतिरिक्त धन चौथी योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त होगा ?

श्री मु० क० चागला : वर्तमान विचार धारा यह है कि अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाने से जितना खर्च होगा वह योजना से भिन्न व्यय होना चाहिये। अभी हाल में शिक्षा मंत्री सम्मेलन ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि योजनामें इसके लिये व्यवस्था करना असंभव है इसलिए प्रत्येक राज्य स्वत: धन इकट्ठा करे और केन्द्रीय सरकार उसमें कुछ मदद दे देगी। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वेतन-क्रम बढ़ाने के लिये धन देने का कोई प्रश्न नहीं है। आयोग ने सिफारिश की है और कुछ धन राज्यों का या कुछ केन्द्रीय सरकार को योजनासे बाहर प्राप्त करना होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार जानती है कि सभी राज्य सरकारों ने सभी श्रेणियों के शिक्षकों के साथ बहुत बेरुखी बरती है और यदि हां तो क्या अगले पन्द्रह-बीस या सौ साल में भी उनके वेतन-क्रम बढ़ाये जाने की कोई संभावना है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी जुलाई में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के वेतन-क्रम बढ़ाये हैं जोंकि वे अपर्याप्त हैं। मुझे पुरी आशा है कि राज्य शिक्षकों को अच्छा वेतन देने के महत्व को समझेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकारने अध्यापकों के वेतन-क्रम तबतक बढ़ाने की अपनी असमर्थता व्यक्त की है जब तक कि केन्द्रीय सरकार कुछ धन देना स्वीकार न करें और यदि हां, तो, क्या केन्द्रीय सरकार इस सदन में दिया गया आपना वचन पूरा करेगी ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारने वेतन-क्रम बढ़ाने के लिए लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया खर्च किया है और वह केन्द्रीय सरकार से सहायता के बिना योजना से भिन्न व्यय था।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सभी राज्यों ने वेतन-क्रम लागू करना मंजूर कर लिया है और यदि हां, तो इस संबंध में बिहार में क्या प्रगति हुई है?

श्री मु० क० चागला : यह तो प्रत्येक राज्य को निश्चय करना है। हमारी एक योजना है जिसके अधीन हम 50 प्रतिशत देते हैं यदि वृद्धि योजना के अन्तर्गत हो किन्तु अधिकतर राज्यों का कहना है कि वह योजना से बाहर है और इस लिये उसके लिये धन इकट्ठा करना पूर्णत: राज्यों पर निर्भर है।

श्री स० मो० बनर्जी : जब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के वेतन-क्रमों का प्रश्न उठाया गया था तब यहां यह वादा किया गया था कि केन्द्रीय सरकार इस विषय पर विचार करेगी और अधिक धन देने का प्रयत्न करेगी मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारने अपना वादा पूरा किया है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, सरकार अवश्य अपना वादा पूरा करेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार ऐसे मामले में क्या करने वाली है जहां राज्य सरकारें योजना कार्यान्वित करने के लिये तदर्थ अनुदान देने का वादा करके अब मुकर गयी हैं और संबद्ध कालेजों के प्रबन्धकों को वह रकमें देने के लिए बाध्य करती है।

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तदर्थ अनुदान इसी समझौते के आधार पर दिया था कि वह अनुदान पांच वर्ष चलगा और उसके बाद राज्य सरकार अथवा गैर-सरकारी प्रबंधक वह खर्च अपने हाथ में ले लेंगे । मेरे पास अभ्यावेदन आये हैं और शिष्ठमंडल भी आये हैं जिन्होंने बताया है कि राज्य सरकार यह दायित्व नहीं ले रही है और बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैं केवल यही कर सका कि मैंने मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों का ध्यान इस समझौते की ओर और उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार ऐसी किसी योजना के बारे में सोच रही है जिससे गर सरकारी कालेजों के शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जा सके, क्यों कि विवरण के अनुसार उनका वेतन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बहुत कम होता है ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह नीति निर्धारित की है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कालेजों के अध्यापकों में असमानता समाप्त की जाये । चाहे विश्वविद्यालय में या कालेज में एक सी योग्यतावाले और एक सा काम करने वाले को समान वेतन या पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये । इसी लिये उन्होंने कालेजों के लिये वेतन-क्रम बढ़ा दिये हैं । उसे अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है और वह विचाराधीन है । लेकिन आखिर में कार्यान्विति राज्यों पर निर्भर है । मैंने अक्सर ही सदन को बताया है कि शिक्षा राज्य का विषय है, केन्द्रका नहीं ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार को मालूम हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कुछ कालेजों ने अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के प्रश्न को स्कूल फीस, कालेज फीस आदि से होने वाली आमदानी के साथ जोड़ दिया है और वे अलग अलग फीस ले रहे हैं और अपना प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिये अनुदान मांग रहे हैं और यदि हां, तो क्या उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : प्रतिक्रिया प्रतिकूल है ।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री की अनेक सिफारिशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जोर दार सिफारिशों के बावजूद संबद्ध कालेजों के अध्यापकों की स्थिति दयनीय है । क्या मंत्री महोदय अध्यापकों की हालत सुधारने के लिए कोई नया सूत्र ढुंढ़ निकालने का विचार कर रहे हैं ।

श्री मु० क० चागला : अभी चार दिन पहले उत्तर प्रदेश के कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का एक शिष्टमंडल मुझ से मिला था । मैं उनसे मिला और मैंने उनकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया । मैंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को लिखा है कि वे उन की शिकायतों की जांच पड़ताल करें ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्त्ती : क्या सरकार जानती है कि अध्यापकों को उचित वेतन न दिये जाने के कारण वे प्राइवेट टयूशन करने के लिये बाध्य होत हैं और इससे स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का स्तर गिरता है ?

श्री मु० क० चागला : अध्यापकों को पर्याप्त वेतन न देने से जो अनेक परिणाम होते हैं उन्हे मैं समझता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार तदर्थ अनुदान देने के अपने वचन ौर निश्चय के बारे में और उन परिस्थितियों के संबंध में जहा राज्य सरकारोंने अपने तदर्थ अनुदान नहीं दिये हैं, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय अपने अध्यापकों को वेतन नहीं दे सकते, जानकारी सभा पटल पर रखेगी ।

श्री मु० क० चागला : यदि ऐसी बात हो तो मैं अवश्य जांच करूंगा ।

गोआ का भविष्य

+

*333. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बागड़ी :
श्री बासप्पा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री जरजू पाण्डेय :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :
श्री तन सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री कनकसबै :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के भविष्य के बारे में कोई निर्णय किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मामले के सभी पहलओं पर बड़े ध्यान से विचार करने की ज़रूरत है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बात का क्या कारण है कि यह भारत सरकार की नीति बन गयी है कि प्रत्येक प्रश्न को तब तक के लिये अधूरा छोड़ दिया जाता है जब तक कि विप्लव कारी स्थिति उत्पन्न न हो जाय ? इस प्रश्न का निबटारा करने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये ।

गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इस पर विचार हो रहा है । मैं समझता हूं कि इस संबध में निर्णय करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैसूर और महाराष्ट्र के दावों पर विचार करते हुए क्या सरकार इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये रायशुमारी या आम चुनाव करेगी या कोई समिति बना देगी ?

श्री नंदा : एक बात निश्चित है और वह यह कि जनता से परामर्श लिया जायेगा। उसका क्या रूप होगा यह मैं नहीं कहा सकता।

Shri Yashpal Singh : May I know when the wishes of the people would be ascertained? It is alredy known in election.

Shri Nanda : I said that efforts would be made to decide this issue soon.

Shri Prakash Vir Shastri : In the last elections in Goa, one party contested and won the election on the ground that Goa should be merged with Maharashtra. That party formed the cabinet, and it is running the administration there at present. Under such conditions I would like to know why Government raised again the point of referendum or some thing like that. Would it not lead to deterioration of internal situation in Goa?

Shri Nanda : A lot of time lapsed after that and many incidents took place. That Government submitted a proposal themselves which is already known.

श्री राम सहाय पाण्डे : क्या गोआ का भविष्य निश्चित करने के लिये गोआ के मुख्य मंत्री ने कुछ सुझाव रखे है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री नंदा : यह सभी जानते हैं कि वह नये सिरे से जनता की राय मालूम करना चाहते हैं ?

Shri Bade : The party which is running the administration in Goa at present had said that Goa should be merged with Maharashtra. Is it not a fact that on account of pressure from Mysore Government have become hesitant regarding its merger with Maharashtra or Mysore.

Shri Nanda : Nothing can be said about it at present. The entire question is being considered.

श्री बासप्पा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मध्यावधि चुनाव से खतरा नहीं है और क्या यह निर्णय एक पक्षीय नहीं हैं तथा शीघ्र नहीं किया गया है और क्या यह कुछ लोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के आगे झुकना नहीं है ? क्या यह सच नहीं हैं कि यह निर्णय गोआ के अथवा भारत के अथवा देश में राष्ट्रीय तत्वों के हित में नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कोई उत्तर चाहते हैं अथवा जो कुछ उन्हें कहना था वह उन्होंने कह दिया है।

श्री बासप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोआ निवासियों तथा मैसूर की जनता ने इसपर कोई आपत्ति उठाई है और क्या इस कार्यवाही अथवा निर्णय के विरुद्ध कोई प्रदर्शन किया गया था।

श्री नंदा : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर गोआ की जनता से जनमतसंग्रह करने का कोई निर्णय किया है ?

श्री नंदा : मैंने पहले ही कहा है कि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है कि वहां लोगों की राय किस प्रकार मालूम की जाये।

Shri Madhu Limaye : It had been already announced before the Bangalore Session of All-India Congress Committee was held that some decision has been taken regarding Goa. The Prime Minister and the Chief Minister of Goa met and had talks and a decision was taken after this meeting, and the Maharashtravadi Gomantak Party approved of that decision. The Chief Minister, Shri Bandodkar told that he was prepared to resign. I would like to know whether it is out of fear as a result of pressures put in the Bangalore Session that the hon. Minister says that no decision has been taken. I would like to know whether actually some decision was taken regarding this or not.

Shri Nanda : The whole affair was discussed and considered, the intentions were made known but the Government did not take any decision reagrding the same.

Shri Bagri : May I know whether Government propose to frame some policy to solve the Goa problem or such problems of other States for ever so that such problem may not arise times and again.

Shri Nanda : The problems are solved as and when they arise.

Mr. Speaker : The point which they have raised is that whenever there is some problem, you solve it. What is the reason that a problem is not solved keeping everything in view?

Shri Madhu Limaye : They try to solve a problem when it becomes very grave. This approach is bad.

Mr. Speaker : But this is not also good that you should stand during the question asked by some other member.

Shri Nanda : A decision was taken regarding that. But whenever new things creep up, they are considered.

Shri Raghunath Singh : I would like to know the opinion of Goa Congress Committee and Goa Assembly.

Shri Nanda : They have different opinions.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : वैकल्पिक निदशपद क्या होंगे और क्या मैं जान सकता हूं कि जनमत-संग्रह के बिना साधारण निर्वाचनों में इस मामले में कोई स्पष्ट निर्णय किया जा सकता है ?

Shri Nanda : This is one of the methods; there can be others also. They will be considered. All these things will be kept in view.

श्री म० ल० जाधव : गोआ जैसे छोटे क्षेत्र को पृथक संघीय राज्यक्षेत्र के रूप में रखना आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से कहां तक वांछनीय है ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसी बात पर विचार कर रहे हैं।

Shri Tan Singh : Government had declared that the future of Goa would not be discussed in any form for ten years. The Government is aware that

a party has won the elections there on this very basis. May I know the circumstances under which the Government is feeling the necessity of considering this question before the lapse of the period of ten years?

Shri Nanda : It wat stated at that time that the withes of the people there would be ascertained. Now the question is whether it should take that much time or an early decision should be taken. There is no question of principle involved in it.

Shri S. M. Banerjee : It is understood from the answer given by the Home Minister that because of the lapse of time a decision given according to the democratic principles has become very old. I would like to know whether he is expecting that until there is a great agitation for the merger of Goa in Maharashtra, he would not take any decision in regard thereto, and I would also like to know whether future of Goa is in dark because of the internal differences of the Congress?

Shri Nanda : A decision would be taken soon.

श्री रामनाथन चेट्टियार : चीनी आक्रमण तथा काश्मीर की वर्तमान स्थिति से उत्पन्न हुये आपातकाल की दृष्टि में सरकार गोआ के प्रश्न को, जैसा कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू, ने सुझाव दिया था, दस वर्ष तक बन्द क्यों नहीं रखती ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है ।

श्री अल्वारेस : गृह-मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि महाराष्ट्र में मिलने के लिये पिछले निर्वाचन में जो स्पष्ट फैसला जनता द्वारा किया गया है, उस समय से कुछ परिवर्तन हुये हैं । मैं गृह-कार्य मंत्री से सूचना चाहता हूं कि वे नये परिवर्तन क्या हैं ?

श्री नन्दा : माननीय सदस्य स्वयं ही एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं । मैं ने पहले ही कहा है कि हम सारे मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं ।

श्री अल्वारेस : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । उन्होंने कहा कि नई परिस्थितियां पैदा हुई थीं । वे नई परिस्थितियां क्या है ।

श्री नन्दा : इसमें से अनुमान लगाना तथा निर्वाचनों से कुछ निष्कर्ष निकालना, मेरे विचार में यह एक ऐसी बात नहीं है जिसे स्वीकार किया गया हो ।

श्री अल्वारेस : जनता द्वारा निर्णय के लिये वह एक और निर्वाचन कराना चाहते हैं । एक निर्वाचन में जनता ने पहले ही अपना फसला दे दिया है । दूसरा निर्णय लेने के लिये क्या परिस्थियां उत्पन्न हो गई हैं ?

श्री नन्दा : मैं ने कहा है कि निर्वाचन से कुछ स्थिति पैदा हुई । बाद में उस विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया । उसके बाद मुख्य मंत्री ने स्वयं ही एक प्रस्ताव रखा जो कि अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श के आधार पर है । इस मामले पर विचार हो रहा है और इसपर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग

*334. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आगामी पांच वर्षों में किस प्रकार कार्य करना चाहिए,

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है;
(ग) क्या इन सिफारिशों के वित्तीय पहलुओं पर विचार कर लिया गया है; और
(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अब इस मामले में कब तक निर्णय कर लेगी ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्यों को पता ही है कि केवल 2 अप्रैल को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में कुछ सिफारिशों पर पहले ही अमल किया जा चुका है। हम महानिदेशक के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब यह प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा, इसकी सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा और जिन सिफारिशों को हम स्वीकार करेंगे, उन्हें हम अविलम्ब लागू करेंगे।

श्री श्रीनारायण दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के लिये यह सम्भव होगा कि इस समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को चौथी योजना में शामिल किया जाये।

श्री मु० क० चागला : हां, हम अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे यह मालूम नहीं कि उनमें से कितनी चौथी योजना में शामिल की जायेंगी। यह मेरे अधिकार में नहीं है।

श्री रंगा : अभी-अभी माननीय मंत्री ने कहा कि केवल अप्रैल में इसे प्रस्तुत किया गया था। आजकल सितम्बर का महीना है। क्या चार महीने काफी नहीं हैं ? इस प्रतिवेदन के बारे में महानिदेशक ने अपनी प्रतिक्रियायें नहीं भेजी हैं। क्या इसी गति से मेरे माननीय मित्र अपने मंत्रालय को पुनर्गठित करना चाहते हैं तथा इस सरकार में कुछ सुधार करना चाहते हैं ? क्या यह इस लिये किया जा रहा है कि इसका सम्बन्ध पुरातत्व विद्या से है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में माननीय सदस्य मेरे प्रति अथवा मंत्रालय के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें प्रतिवेदन सम्बन्धी ब्यौरे की यह जानकारी हो कि उन्हें प्रस्तुत करने में कितनी देर लगती है। कुछ सिफारिशें की गई हैं। प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है। वह उसे देख सकते हैं। महानिदेशक को इसकी जांच करने के लिये समय लग जाता है। जैसा कि मैं ने कहा उनमें से कुछ सिफारिशें लागू कर दी गई हैं।

श्री रंगा : उनमें से कुछ लागू की गई हैं। शेष सिफारिशों के बारे में मेरे माननीय मित्र को उत्तर तक भी नहीं मिला है और वह आगे पांच वर्षों तक उसकी जांच करना चाहते हैं और इसके बाद मेरे विचार में उनके उत्तराधिकारी को यह जांच करनी पड़ेगी।

श्री मु० क० चागला : मैंने नहीं कहा कि पांच वर्ष लगेंगे।

बर्मा से भारतीयों को वापिस भेजना

+

*335. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद कोया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री 8 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, से 31 जुलाई, 1965 की अवधि में कितने भारतीय बर्मा से देश वापिस भेजे गये;

(ख) बर्मा से उनकी सम्पत्ति जिसमें नकदी तथा जेवर भी शामिल हैं वापिस लाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उन्हें भारत में बसाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) 34,441।

(ख) दोनों सरकारों के बीच इस मामले पर बात-चीत चल रही है।

(ग) राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि भूमि अलाटमेन्ट, मकान बनाने के लिये प्लाट्स (खंड) तथा सरकारी सेवा में भर्ती आदि के मामले में वापिस लौटने वाले भारतीयों के साथ विशेष रियायत की जायें। प्रत्येक परिवार को 2000 रुपये तक का व्यापार प्रयोजन के लिये ऋण देने की भी एक योजना बनाई जा चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है। 80 प्रतिशत ऋण केन्द्रीय सरकार अग्रिम धन के रूप में देती है तथा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

पुनर्वास के अन्य उपाय जिनका सुझाव राज्य सरकारों को दिया गया है उनमें प्लान प्राजैक्ट्स में वापिस लौटने वालों को रोजगार दिया जाना तथा भूमि सुधार की योजनाओं पर बसाया जाना है जिसके लिये भारत सरकार की सहायता पहले ही उपलब्ध है।

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know the assets in the shape of jewellery and cash deposited by Indian repatriates from Burma in the Burmese banks.

डा म० मो० दास : वास्तव में हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether Government propose to set up some industries in order to give them some facilities?

डा० म० मो० दास : हम दूसरे उपाय कर रहे हैं। वापिस भेजे गये इन भारतीयों का बसाया जाना तथा इनका वापिस भेजा जाना लगभग उन राज्यों की सरकारों पर निर्भर करता है जहां से यह सम्बन्ध रखते हैं। इस लिये हमें राज्य सरकारों से सुझाव मिल रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : भारतीय व्यापारियों को किन शर्तों पर बर्मा में अपना व्यापार जारी रखने अथवा वहां रहने के लिये अनुमति दी जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : बर्मा में सारे आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है ; चीज़ों के देश में वितरण का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है तथा निजी थोक तथा फुटकर दुकाने बन्द कर दी गई है। इस लिये वहां उनके लिये कोई कारोबार नही है।

श्री कर्णी सिंह जी : क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्री की रंगून यात्रा के बाद बर्मा में भारतीय उच्चायुक्त से यह कहा गया था कि वह बर्मा से भारतीयों को वापिस भेजने के प्रश्न को दबायें। मैं जान सकता हूं कि सरकार उन भारतीय परिवारों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है जिनके कुछ सदस्य बर्मा के नागरिक हैं अथवा अन्य भारत के नागरिक हैं, जो भारत आते हैं और जिन्हें वापिस जाने में कठिनाई होती है ?

श्री त्यागी : यह पहले ही कहा जा चुका है भारत आने वाले परिवारों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास-ऋण दिये जा रहे हैं। मैं सभा को सूचित कर दूं कि व्यापार अथवा गैर-सरकारी तथा सरकारी नौकरी में 6,262 परिवार पहले ही बसाये जा चुके हैं।

श्री कर्णी सिंहजी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है? यह उत्तर तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय दे सकता है। मैं ने भी उन्हें पत्र लिखा है।

श्री मुहम्मद कोया : राष्ट्रीयकरण के कारण वे लोग कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं और उनका धन बैंकों में है। वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं पर धन खर्च कर रहे हैं। जब तक बर्मा सरकार तथा भारतीय सरकार इस मामले को निपटायेंगी, यहां लाने के लिये कुछ भी नहीं रह पायेगा। क्या सरकार इससे अवगत है?

श्री म० मो० दास : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस देश में आये हैं उन्हें ऋण दिये जा रहे हैं और यहां 45 दिनों के लिये मकानों का प्रबन्ध भी किया गया है। इस लिये उन्हें तत्काल ही अपना धन खर्च नहीं करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रश्न संख्या 336 अथवा क्या मैं इस प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा कि वह इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जनता की शिकायतें

***336. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया है कि सरकारी कार्यवाही के दौरान तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये किस प्रकार की संस्था स्थापित की जाये और इस बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और यह अब तक कहां तक सफल सिद्ध हुई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : विभिन्न मंत्रालयों में शिकायतों पर कार्यवाही करने की व्यवस्था का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करने, उसके दक्षतापूर्ण संचालन का प्रबन्ध करने, और प्रक्रिया, व्यवहार तथा नियमों के असंतोषजनक तत्वों को पुनर्विचार के लिये सामने लाने के लिये गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के स्तर के एक पूर्णकालिक अधिकारी के अधीन एक एकक का निर्माण किया गया है। इस बारे में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा ओम्बड्समैन की तरह की एक संस्था के सम्बन्ध में 18 अगस्त 1965 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नज़रबन्द साम्यवादियों को परिवार-भत्ता देना

*337. **श्री दाजी :**
श्री तन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नज़रबन्द साम्यवादियों को परिवार-भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने नज़रबन्द व्यक्तियों को परिवार-भत्ता मिल रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों में परिवार भत्ते की राशि भिन्न भिन्न है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार नज़रबन्द व्यक्तियों को परिवार-भत्ता देने के मामले में एकसा मानक निर्धारित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) 437.

(ग) जी, हां ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

वामपक्षी साम्यवादियों की रिहाई

*338. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामपंथी साम्यवादी नजरबन्दियों की रिहाई के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सरकार ने अभी हाल में उन लोगों के मामलों पर पुनर्विचार किया है जो भारत सुरक्षा नियम 1962 के नियम 30 के अधीन उसके आदेश पर केरल और महाराष्ट्र में नजरबन्द किये गए थे, और इन सभी मामलों में नजरबन्दी जारी रखने का फैसला किया है ।

अमरीकी विमान का विवश होकर उतरना

*339. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हेमराज :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :
श्री दे० द० पुरी :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री दाजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जून, 1965 को भुवनेश्वर में एक अमरीकी विमान को सन्देहास्पद परिस्थितियों में विवश हो कर उतरना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई है ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) हां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक विस्तृत जांच कराई गई थी।

(ग) जांच से पता चला है कि भुवनेश्वर में इस विमान को इस लिये उतरना पड़ा कि कलकत्ता के रास्ते में मौसम खराब हो गया और विमान के संचार साधन जवाब दे गए थे। इस विमान के उतरने का किन्हीं सन्देहास्पद परिस्थितियों से सम्बन्ध नहीं था।

Admission to Colleges in Delhi

*340. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Maheshwar Naik : Shri Yeshpal Singh :
Shri Kindar Lal : Shri P. C. Borooah :
Shri Vishwa Nath Pandey : Shri Tan Singh :
Shri Prakash Vir Shastri : Shri R. Barua :
Shri Bagri : Shri D. D. Mantri :
Shri Surendra Pal Singh : Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 4,000 students are deprived of getting admission in Colleges in Delhi this year;

(b) if so, the reasons therefore;

(c) whether Government propose to open new Colleges to provide for their education; and

(d) if not, the reasons therefore?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) to (d) . A College for women with admission capacity upto 700 was set up this year by the Delhi Administration. It is not considered necessary to open any more new Colleges.

उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

*341. **श्री बासप्पा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक जुलाई, 1965 के आरम्भ में श्रीनगर में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये विशेष रूप से जम्मू तथा काश्मीर में शांति और सुरक्षा बनाये रखने के बारे में ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर में सदन के सभापटल पर 18 अगस्त, 1965 को रखे गए विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ग) कार्यवाही का विवरण जिसमें बैठक में लिये गए, निर्णय दिये गए होंगे, अंतिम रूप से तयार होते ही संसद के पुस्तकालय में रख दिया जायगा। जम्मू तथा काश्मीर में शांति और सुरक्षा के बारे में किसी भी प्रश्न पर बैठक में विचार नहीं किया गया था।

न्यायिक कार्य-पद्धति में प्रशासनिक सुधार

*342. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की न्यायिक कार्य-पद्धति में कोई आमूल सुधार करने का है ;

(ख) क्या उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधिपति से उनकी हाल की विश्व-यात्रा के प्रसंग में इस विषय पर बातचीत की है ; और

(ग) विधि-प्रशासन में विलम्ब तथा अन्य कमियों के बारे में सरकार का क्या अनुमान है तथा इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) न्याय का प्रशासन मूल रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। किन्तु, भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से न्याय-पद्धति के सुधार में दिलचस्पी लेती रहती है। 1955 में एक विधि आयोग स्थापित किया गया था और उसने अपना प्रतिवेदन 1958 में दिया। इस प्रतिवेदन में न्यायपद्धति के सुधार के लिये बहुत सी प्रमुख सिफारिशें दी थीं। इन सिफारिशों की ओर राज्य-सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। द्वितीय विधि आयोग ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता की विस्तृत जांच का काम हाथ में लिया है जिसके पूरे हो जाने पर अग्रेसर कार्यवाही के लिये स्पष्ट मार्गदर्शक दिशा प्राप्त हो जायगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अधरिक न्यायालयों के सम्बन्ध में इस बारे में राज्य सरकार को कार्य करना है। जहां तक उच्च न्यायालयों का सवाल है, शेष मामलों की स्थिति पर समय-समय पर विचार किया जाता है और जब कभी आवश्यकता होती है अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों के निर्माण के लिये कदम उठाये जाते हैं।

काश्मीर पर संविधान के अनुच्छेदों का प्रवर्त्तन

*343. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के और अधिक अनुच्छेद जम्म तथा काश्मीर राज्य पर धीरे धीरे लागू हों, यह देखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस विषय में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख): संविधान के कुछ अनुच्छेदों को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने के सुझावों पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

Science Talent

***344. Shri S. N. Chaturvedi : Shri Kindar Lal : Shri Rameshwar Tantia : Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have devised a scheme for search of science talent in the States; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) Under the Science Talent Search Scheme, scholarships are awarded to brilliant young students to assist them in their scientific studies in universities. Selections for the scholarships are made on an all-India basis through a special test held for candidates who have passed the higher secondary or equivalent examination. The value of the scholarships is Rs. 50/- per mensem for the first year of the B. Sc. degree course and Rs. 75/- per mensem in the next two years. In addition, a book allowance of Rs. 100/- per annum is given to all the scholarship-holders. In the current years, 325 candidates have been selected for the scholarships.

बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी

***345. श्री वारियर : . श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री मुहम्मद इलियास : श्री वासुदेवन नायर : श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान (स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट) ने जिसे मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के कार्यों की जांच-पड़ताल करने को कहा गया था, अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट सरकार को कब दी गई थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) 14 जून 1965.

(ग) मामला विचाराधीन है।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य ढांचे सम्बन्धी तालुकदार समिति

***346. श्री यशपाल सिंह : श्री दी० चं० शर्मा : श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री जसवन्त मेहता :**

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग): तेल कीमतों के कार्यकारी दल ने, जिसको श्री जे० एन० तालुकदार की अध्यक्षता में बनाया गया था, 18-8-65 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। इस रिपोर्ट का अब निरीक्षण हो रहा है। ज्योंहि इसकी सिफारिशों पर निर्णय हो जायगा, त्योंहि उसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जायेंगी।

शिक्षा के विषय का समवर्ती सूची में रखा जाना

*347. **श्रीमती मैमना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "शिक्षा" के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के प्रस्ताव का किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने समर्थन किया है ; और

(ख) उन में से किन किन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख): आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने समवर्ती सूची में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा लाने के लिए प्रस्ताव का विरोध किया है। पंजाब सरकार ने इसका समर्थन किया है। अन्य राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा सरकार के लेन-देन पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

*348. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री उड़ीसा सरकार के लेन देन पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में 19 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह सभा को बता सकते हैं कि उनमें किन बातों का उल्लेख किया गया है कि या उन का सारांश क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अपराध

*349. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हिम्मतसहका :
श्री प० ला० बारूपाल :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई तथा जन, 1965 में दिल्ली में अपराधों की संख्या बढ़ गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 18 मई को चार व्यक्तियों के एक गिरोह ने सड़क के बीच गोली चलाई और कुछ व्यक्तियों को मार दिया;

(ग) यदि हां, तो क्या इन्हें गिरफ्तार किया गया था;

(घ) क्या मई, 1965 में दिल्ली तथा नई दिल्ली की कुछ बस्तियों में दिन दहाड़े डकैतियां तथा अपहरण की घटनाएं हुई थीं; और

(ड़) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। 1965 में मई और जून के दौरान 1964 की इसी अवधि की तुलना में दिल्ली में कुछ अधिक अपराध हुए हैं।

(ख) दिल्ली पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मई, 1965 के महीने में दिन दहाड़े डकैती के तीन और अपहरण के 5 मामलों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से एक मामला डाके का और एक अपहरण का झूठा सिद्ध हुआ।

(ङ) अपराध की घटनाओं को नियंत्रण में रखने के लिये उठाये गए या उठाने के लिये प्रस्तावित कदम—

(1) कड़ी निगरानी द्वारा गुंडों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों को गतिविधियों को नियंत्रण में रखा जाता है।

(2) गश्त को बढ़ाया गया है। मौजूदा थानों में गश्ती दस्तों की संख्या को बढ़ाने का भी विचार है ताकि गश्ती कांस्टेबिल अपन इलाकों की प्रभावी ढंग से गश्त कर सकें।

(3) थानों के कर्मचारियों की सतर्कता बनाये रखने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिनमें पुलिस महानिरीक्षक तथा उप-महानिरीक्षक भी शामिल हैं, अचानक निरीक्षण किये गए।

(4) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में जांच के आधुनिक उपायों पर प्रशिक्षण देने के लिये एक छोटा पाठ्यक्रम अभी हाल में संगठित किया गया है।

(5) ऊपर के स्तर से निकटतम पर्यवेक्षण तथा निदेश बनाये रखने के लिये उपमहानिरीक्षक का दूसरा पद बनाया गया है।

(6) पुलिस के आवागमन को बढ़ाने के लिये और ज्यादह गाडियां खरीदनका विचार है।

(7) बम्बई पुलिस अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं को दिल्ली पर लागू करने का विचार है ताकि जिला दंडाधिकारियों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों को कुछ खास इलाकों से गुंडों और अपराधी गिरोहों को निकालने योग्य शक्ति प्रदान की जा सके।

नजरबन्द साम्यवादी

*350. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नजरबन्द व्यक्ति बीमार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने तथा उनमें से कितनी महिलाएं हैं;

(ग) क्या सरकार को उनके कुछ सम्बन्धियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें गंभीर बीमारी के आधार पर उन्हें तूरन्त रिहा करने के लिये अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) जी, हां । इस प्रकार के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं ।

(घ) यदि नजरबन्दी राज्य सरकारों के आदेशों पर नजरबन्द किये जाते हैं तो आभ्यावेदन सम्बन्धित राज्य सरकारों को कार्यवाही के लिये भेज दिये जाते हैं । उन मामलों में जहां नजरबन्दी केन्द्रीय सरकार के आदेश पर की जाती है प्रत्येक मामले में जांच के बाद गुण-दोषों के आधार पर फैसला किया जाता है ।

माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषायें

*351. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय किया गया है कि अब से विश्वविद्यालय शिक्षा प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय से देश की भावात्मक एकता पर संभावित प्रभाव पर विचार किया है; और

(ग) क्या कम से कम भारत की एक प्रादेशिक भाषा में विश्वविद्यालय शिक्षा देने के लिये तैयारियां कर ली गई हैं अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस प्रकार का कोई निणय नहीं किया गया है । यह मामला, विश्वविद्यालयों द्वारा निश्चित करने का है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अंग्रेजी से किसी प्रादेशिक भाषा में शिक्षण के माध्यम का परिवतन करने से पहले प्रत्येक विश्वविद्यालय को आवश्यक तैयारियां करनी होंगी ।

भारतीय अध्ययन संस्थान

*352. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री तनसिंह :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री वारियर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेमराज :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री जं० व० सिं० बिष्ट

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का विचार 80 वर्ष पुराने भारतीय अनुसंधान संस्थान को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है कि जिस भवन में भारतीय अध्ययन संस्थान था उसे नष्ट करके प्राच्य विद्याओं के नये संस्थान में इन विद्याओं के लिए व्यवस्था की जाए ।

(ख) भारत सरकार ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है ।

Activities of Mujahidin-e-Islam

*353 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a secret organisation named Mujahidin-e-Islam is indulging in anti-national activities in West Bengal;

(b) whether it is also a fact that aid is given to this Organisation by the Deputy High Commissioner of Pakistan, Calcutta; and

(c) if so, the action taken by Government against this Organisation?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Government are aware of the existence of an organisation named Mujahidin-e-Islam and its activities.

(b) There is no evidence to show that any aid is being received by this Organisation from the Deputy High Commissioner of Pakistan in Calcutta.

(c) Strict vigilance is being kept on the activities of the members of this Organisation by the State Government.

राज्यों में प्रशासनिक सुधार

*354. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में हो रहे प्रशासनिक सुधार के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को कोई सलाह दी गई है अथवा कोई मार्ग सुझाया गया है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान क्या सुधार किय गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4704/65।**]

विश्वविद्यालय केन्द्र

*355. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के स्थान पर "विश्वविद्यालय केन्द्र" स्थापित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : इस प्रकार के 'विश्वविद्यालय केन्द्र 'स्थापित करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है, लेकिन चौथी पंचवर्षीय आयोजना बनाने के संदर्भ में राज्य सरकारों को यह सुझाव दे दिया गया है कि वर्तमान विश्वविद्यालयों की मौजूदा स्थिति को समेकित करने की दृष्टि से और दुलभ साधनों का अधिक से अधिक प्रभावकारी उपयोग करने के लिए, चौथी आयोजना के दौरान नये विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किये जाने चाहिये। और उसके बजाये कालेजों के प्रत्यक ऐसे समूह में जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं, विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए, जहां पर पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा व्यावसायिक स्टाफ से संबंधित विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षिक कार्य की सुविधायें उपलब्ध हों।

ऐसे केन्द्र उन क्षेत्रों में खुलने चाहिये जहां पर कोई विश्वविद्यालय नहीं है और उन स्थानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जहां कालेजों में अच्छे पुस्तकालय, प्रयोगशालायें तथा अन्य सुविधायें नहीं हैं।

ये केन्द्र कालेज के प्रिंसिपलों के एक बोर्ड के द्वारा प्रशासित होने चाहिये, जिसकी अध्यक्षता बारी बारी से की जाए।

मूर्तियों का विरूपण करना

*356. **श्री सुरेंद्रपाल सिंह** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अगस्त, 1965 की प्रातः लोगों के एक झुंड ने इण्डिया गेट स्थित किंग जार्ज पंचम की मूर्ति के पादपीठ पर चढ़ कर उसे बिगाड़ दिया; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे और क्या इस संबंध में उनमें से कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 12–14 दंगाई इस कुकृत्य के लिये जिम्मेदार थे। चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और आगे जांच की जा रही है।

नागाओं द्वारा इम्फाल नदी पर मिनुथोंग पुल का उड़ाया जाना

*357. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागडी :
श्री किंदर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री राम सेवक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने 21–22 जून, 1965 को इम्फाल नदी पर मिनुथोंग पुल को उड़ा दिया और उस नदी पर बने अन्य पुलों को भी उड़ाने का प्रयास किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) मिनुथोंग पूल का एक लगभग 12 फुट लम्बा भाग उड़ाया गया था ।

(ग) मामला दर्ज कर लिया गया है और 15 गिरफ्तारियां की गई हैं । ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिये ऐहतियाती कदम उठाये गये हैं ।

दिल्ली में वर्षा

*358. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जुलाई 1965 को मौसम की पहली भारी वर्षा से यह स्पष्ट हो गया कि वर्षा ऋतु में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली के नागरिक प्राधिकारों (सिविक औथोरिटीज) द्वारा किये गये उपाय नितान्त अपर्याप्त है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक इलाकों में बिजली बन्द हो जाने के अतिरिक्त लीक कर रहे बिजली के तारों को छूने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, गढ्ढों में जमा बरसाती पानी में डूबने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यातायात तथा परिवहन बिल्कुल ठप्प हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्षा के भारी परिमाण के कारण सड़कों तथा अन्य नीचाई वाले इलाकों में अस्थायी रूप से पानी जमा हो गया । 22–7–65 को बिजली के तार छू जाने से कोई मृत्यु नहीं हुई । केवल एक व्यक्ति की मृत्यु, बाग बाग कड़ेखां क्षेत्र में, गैरसरकारी लोगों द्वारा एक निजी स्थान पर खोदे गए एक गढ़े में डूब जाने से हुई थी ।

(ग) किसी भी अचानक आ पड़ने वाली स्थिति को सामना करने के लिये प्रत्येक जोन में एक उड़न-दस्ता तथा नियंत्रण-कक्ष स्थापित किये गए हैं ।

स्कूल आफ आर्किटेक्चर, अहमदाबाद, द्वारा दिये गये डिप्लोमा

1188. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल आफ आर्किटैक्चर, अहमदाबाद के डिप्लोमा को मान्यता दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) 7 जून, 1965 से, जब अस्थाई मान्यता के लिए आदेश जारी किये गये थे।

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, पिलानी

1189. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गवषणा संस्था, पिलानी में एक सस्ती औद्योगिक गणक मशीन बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) जी हां।

(ख) उसकी लागत लगभग 1000 रुपये है। **उसका ब्योरा इस** प्रकार **है** :

(1) इसमें कोल्ड कैथोड ट्रिगर ट्यूब्ज़ लगी होती हैं जो गैस डिस्चार्ज के सिद्धान्त पर कार्य करती हैं।

(2) इसकी अधिकतम गति 300 काउंट्स प्रति सेकेंड है जो इलेक्ट्रो-मिकेनिकल टाइप काउंटरों से अधिक है।

(3) फोटोसेल और लैम्प व्यवस्था से काऊंट पल्स बनाई जा सकती है।

(4) रोटरी स्विचों के लगाने से पूर्व निश्चित संख्या को भी गिना जा सकता है।

(5) एक काउंट के पश्चात् एक सिगनल बनता है।

उज्जैन के पास कायाथा गांव में ऐतिहासिक स्थान

1190. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश में उज्जैन के समीप कायाथा गांव में 3000 वर्ष ईसा पूर्व के प्राचीन स्थान के अवशेषों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो खुदाई में प्राप्त वस्तुएं किस प्रकार की हैं; और

(ग) इस खोज का ऐतिहासिक महत्व क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा की गयी पुरातत्व खुदाइ से उज्जैन के पास काया था में प्राचीन अवशेषों का पता चला है; परन्तु इन की प्राचीनता अभी तक ठीक रूप से निश्चित नहीं हो पाई है। यद्यपि सम्भवतः ये लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं।

(ख) खुदाई से प्रकट है कि उस स्थान पर आबादी थी, जिसे लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व पहले किसी समय से मराठा युग तक का माना जा सकता है। प्रारम्भिक युग I (प्रथम) पाषाण युग है; पर मध्य प्राचीन युग की अभी तक ठीक तारीख निश्चित नहीं हो पाई है।

(ग) खोज से प्रागैतिहासिक ताम्र पाषाणयुग की संस्कृति के स्तर का अस्तित्व प्रकट होता है और यह संस्कृति निम्न स्तरों (युग II) में इधर उधर मिलने वाले अवशेषों की संस्कृति की अपेक्षा पहले की है क्योंकि बाद की युग सम्बन्धी खोजों से ठीक बात का पता नहीं चलता है। प्राचीन सांस्कृतिक मिश्रण (ताम्रपाषाणयुग की संस्कृति) अनुमानतः लगभग 2,000–1,500 वर्ष ईसा पूर्व के स्थानीय विकास को बतलाती है।

केरल में अध्यापकों द्वारा सत्याग्रह

1191. श्री अ० क० गोपालन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों ने केरल सरकार के सलाहकार के निवास स्थान के सामने सत्याग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या शिकायतें थीं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कारंवाई करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में तमिल भाषा के स्कूलों की कमी

1192. श्री अ० क० गोपालन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के दीवीकुलम क्षेत्र में तमिल भाषा के स्कूलों की कमी के बारे में कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) दीवीकुलम ताल्लुक में तमिल भाषा के कितने स्कूल हैं;

(ग) उस ताल्लुक में तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि इन स्कूलों की वर्तमान संख्या उनकी मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

माध्यमिक पाठशाला, कारीवेल्लूर के लिये स्थान

1193. श्री अ० क० गोपालन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि माध्यमिक पाठशाला कारीवेल्लुर कन्नानूर, केरल के विद्यार्थियों और अध्यापकों को स्थान की कमी के कारण बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि जनता द्वारा निर्मित तथा शिक्षा विभाग को सौंपी गई इमारत अभी तक पूरी नहीं बन पाई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल के स्कूलों में शिल्प अध्यापक

1194. श्री अ० क० गोपालन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के सहायता-प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले शिल्प अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये अध्यापक पूर्ण-कालिक हैं अथवा अल्प-कालिक;

(ग) क्या ये अध्यापक अपनी नियुक्ति के समय पूर्ण-कालिक थे अथवा अल्प-कालिक;

(घ) क्या उनकी शिकायतों सम्बन्धी अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी क्या शिकायतें हैं; और

(च) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (च) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीका के हाई स्कलों में भारतीय अध्यापक

1195. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के हाई स्कूलों में नियमित वेतन पर पढ़ाने के लिये सरकार ने देश भर में से 17 अध्यापकों को चुना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है, तथा चुने गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं और प्रत्येक मामले में सेवा की अवधि कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान (यूनाइटेड स्टेट्स एजूकेशनल फाउन्डेशन) ने अमरीकी हाई स्कूलों में शिक्षण के लिए 17 अध्यापकों का चुनाव किया था ।

(ख) **योजना के ब्यौरे** : भारत में फुलब्राइट प्रोग्राम के अधीन प्रतिष्ठान द्वारा चुनाव किया गया है जो द्वि-राष्ट्रीय है । प्रोग्राम के अधीन, प्रतिष्ठान ऐसे अध्यापकों का चुनाव करता है जिन्हें वेतन सीधा स्कूलों से मिलता है और यात्रा अनुदान प्रतिष्ठान से । इस प्रोग्राम का उद्देश्य है चुने हुए अध्यापकों को अमरीकी स्कूलों में शिक्षण का अनुभव प्रदान करना ।

चुने हुए अध्यापकों के नाम (1965-66) :--

1. श्री बी० पी० अग्रवाल
2. श्री हरिशंकर भार्गव
3. श्री सोहिन्दर सिंह सचदेव
4. श्री डी० सीतारामा स्वामी बाबू
5. श्री डी० दोलारा राय पंड्या
6. कुमारी जायस म्युरियल डिसूझा
7. श्री ए० रामाकृष्ण राव
8. श्री एच० गुलाब भाई देसाई
9. श्री मधुकर बापूराव नायक
10. श्री मंगलदेव पाण्डे
11. श्रीमती अनिमा सेन
12. श्री एम० वहलाभाई पटेल
13. श्रीमती अमीना अफसरी खान
14. श्री पी० कोडंडारामा श्रीनिवासन
15. श्री के० वेर्रामोनी आयर
16. श्रीमती प्रमिला लुम्बा
17. श्रीमती सोसम्मा विश्वनाथन

सेवावधि

एक शैक्षिक वर्ष ।

राष्ट्रीय जड़ी-बूटी शाला

1196. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जड़ी बूटी शाला के लिये कलकत्ता में एक नई इमारत का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदी हां, तो नई इमारत में जड़ी बूटियों के वर्तमान संग्रह के कब तक रखे जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) इमारत के निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगने की सम्भावना है और इमारत तयार होने के बाद संग्रहों को हटाया जाएगा ।

(ग) एअरकंडीशन (वातानुकूलित) को छोड़कर लगभग 36.55 लाख रुपये । वातानुकूलित में करीब 16 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत लगने का अनुमान है ।

भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

1197. **श्री नरेन्द्र सिंह महीला** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दो सौ कर्मचारियों ने सांस्कृतिक-कार्य मंत्री के निवासस्थान पर हाल ही में एक प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां, प्रदर्शन एक ऐसे दिन किया गया था जब सांस्कृतिक कार्य मंत्री दिल्ली से बाहर गये हुए थे।

(ख) कर्मचारियों की शिकायतें विचाराधीन है।

Scientific Inventions

1198. **Shri J. P. Jyotishi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the particulars of scientific inventions made in the country during the last five years;

(b) the manner in which these inventions have been utilized for the development of trade and industry;

(c) whether any important inventions has been made during this period; and

(d) if so, the special measures adopted by Government to give incentive to the persons making such inventions?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). A very large number of minor and major inventions have been made by various Government Departments and Organisations, besides private individuals and institutions during the last five years. The Inventions Promotion Board during this period considered 841 inventions, out of which 285 were found suitable for financial assistance and prize awards. A large number of inventions are being utilised by the inventors themselves or by collaboration with the industries. During the last five years 149 inventions were referred by various research institutes to the National Research Development Corporation for assessment of their commercial scope and technical feasibility. Of these 52 inventions have been licensed by the Corporation to the industry; 15 of these have already gone into production. Incentives have been given to the inventors in the shape of financial assistance and prize awards directly or through the research institutes to which the inventor is attached. The Inventions Promotion Board also brings out a journal containing information about the latest inventions and the products obtained therefrom. The Council of Scientific and Industrial Research gives 40 per cent of the royalties and premia accruing on the processes to the inventors.

हिन्दी परीक्षा

1199. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सब अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्होंने अन्तिम हिन्दी परीक्षा पास कर ली हो, एक अग्रिम वेतन-वृद्धि देने के सम्बन्ध में यदि कोई शर्तें लगाई गई हैं, तो वे क्या है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (ी ल० ना० मिश्र) : (क) इस विषय पर गृह मंत्रालय में 18 अप्रैल, 1965 को कार्यलय ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4705/65।]**

(ख) 1964 में केन्द्रीय सरकार के 14,233 कर्मचारियों ने प्राज्ञ परीक्षा पास की। इस समय उन लोगों की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है जो इस बारे में जारी किये गए आदेशों के अनुसार अग्रिम वेतन-वृद्धि पाने के अधिकारी होंगे।

अजन्ता और एल्लोरा की चित्रकारी का परिरक्षण

1200. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजन्ता और एल्लोरा की गुफाओं की चित्रकारी खराब हो रही है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन के मिशन ने, जो हाल ही में भारत आया था, अजन्ता और एल्लोरा की गुफाओं के भित्ति-चित्रों और मूर्तियों के परिरक्षण के लिए आधुनिक तरीकों का प्रयोग करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मं ी (श्री हजरनवीस) : (क) 1953 में जब से भारत सरकार ने चित्रकारी के परिरक्षण का काम अपने अधिकार में लिया, तब से चित्रकारी में कोई खराबी नहीं हुई।

(ख) जी, हां। किन्तु सिफारिशें केवल चित्रकारी के परिरक्षण के लिए हैं।

(ग) चित्रकारी के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कीं जा रही है।

Scholarships for Researches

1201. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the researches conducted in different departments of the various Universities in the country for which scholarships were granted during the last year;

(b) the number of scholarships granted for each department and the amount spent over them separately;

(c) whether any scholarships were granted for mechanical researches also; and

(d) if so, the names of those institutions in which such type of inventions and researches are being conducted and the particulars of useful researches made during the last three years?

The Minister of Education (M. C. Chagla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Petro-chemical Industries in Maharashtra

1202. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal from abroad for collaboration in Petro-chemical industries in Maharashtra;

(b) the number of manufacturers who have applied for licences;

(c) whether Government have taken any decision in respect of granting licences in public as well as private sectors; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) No, Sir.

(b) Fourteen.

(c) Yes, Sir.

(d) Six cases were approved, five rejected and three are pending.

Recruitment to Government Jobs

1203. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the matter of recruitment to Government jobs, urban people are given preference over the rural people, even though they may have the same qualifications; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove this anomaly?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir. Such a discrimination cannot be made in view of Article 16(2) of the Constitution, according to which no citizen shall be ineligible for, or discriminated against, in respect of any employment or office under the State on grounds *inter alia* of place of birth, or residence.

(b) Does not arise.

Administration in Union Territories

1204. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the increase in the annual expenditure in the Union Territories due to democratic administrative set-up and the source from which this additional expenditure is met;

(b) whether any amendment to the existing law for administering these Territories so as to remove difficulties and effect improvements therein is under consideration; and

(c) if so, the nature thereof and when the amending Bill is likely to be introduced in Parliament?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) A statement is attached.

Statement

(a) The expenditure due to introduction of democratic administrative set-up in the Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Pondicherry as reflected by the provision made in the current year's budgets of these territories on account of salary and allowances of Ministers and Speakers, Deputy Speakers and Members of the Legislative Assemblies of the territories is as follows :—

(Rs. in lakhs)

Himachal Pradesh	6·39
Manipur	4·91
Tripura	5·20
Goa, Daman and Diu	5·26
Pondicherry	4·52

As against this there has been some saving in Himachal Pradesh, Manipur and Tripura consequent on the abolition of the Territorial Councils which existed in these territories prior to the setting up of Legislative Assemblies. The following provision had been made in the budget estimates of these councils for the year 1963-64 to meet the salary and allowances of the Chairman and members of the councils :—

(Rs. in lakhs)

Himachal Pradesh	1·26
Manipur	0·75
Tripura	1·23

(b) and (c). No difficulty or deficiency in the law necessitating amendment thereof has come to notice in the course of its working and Government are not having under consideration any amendment of the law.

टेलिवीजनों का निर्माण

1205. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पिलानी इलेक्ट्रॉनिक्स गवेषणा संस्था में टेलीविज़नों का निर्माण करने की योजना पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं, अपेक्षित विदेशी मुद्रा के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पादप रसायन (फाइटो केमिकल) संयंत्र

1206. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में एक पादप रसायन संयंत्र के स्थापित करने की परियोजना को अन्तिम रूप से छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के संबंध में सरकार ने कुछ व्यय किया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी हां। कच्चे माल के अधिक मूल्यों और उसके परिणामस्वरूप कैफीन (caffeine) के, जो उत्पादन कार्यक्रम में बनाने की मुख्य वस्तु है, उत्पादन में अधिक लागत के कारण यह फैसला किया गया कि नेरीयमंगलम (केरल) में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित पादप रसायन संयंत्र (Phyto-chemical Plant) को छोड़ दिया जाय।

(ग) और (घ) : इण्डियन ड्रग्ज़ एण्ड फारमैस्युटीकल्ज़ लि० ने जिसे उक्त परियोजना की कार्यान्विति का काम सौंपा गया था, प्रारम्भिक कार्यों आदि पर लगभग 12.65 लाख रुपये खर्च किये हैं।

Education of Children of Labourers

1207. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri K.N. Tiwary :**
Shri S.C. Samanta : **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri Subodh Hansda : **Shrimati Savitri Nigam :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any scheme to give free education from primary to college standard to the children of the labourers in the rural areas ; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir except in so far as they are also eligible for admissions to existing institutions.

(b) Does not arise.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतनक्रम

1208. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कुछ कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण का काम कब पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : दूसरे वेतन आयोग ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग में वेतनक्रमों के पुनरीक्षण करने के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं

की थी। फिर भी आयोग द्वारा ऐसी ही अन्य सेवाओं के बारे में दिये गये सुझावों के आधार पर 1960 में इस विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण किया गया था। सरकार वेतनक्रमों का अग्रेतर पुनरीक्षण करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है, परन्तु चूंकि इस बात को मुश्किल से 4 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं जबकि उनके वेतनक्रमों का पुनरीक्षण बड़ी सावधानी से किया गया था और क्योंकि इस विभाग में भिन्न भिन्न 230 श्रेणियों के 12,500 कर्मचारी हैं, सरकार को सभी पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना पड़ेगा। इसलिये सम्भव है कि इसमें कुछ समय लग जाये।

Hindi Salahkar Samiti

1209 **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the work done so far by the Hindi Salahkar Samiti appointed in his Ministry ;

(b) the suggestions made by this Samiti for propagation and development of Hindi and the action taken by Government to implement them;

(c) the number of meetings of the Committee held so far;

(d) the progress made in regard to the appointment of an expert to look after the work in Hindi and when this expert would take over; and

(e) the functions and jurisdiction of this Officer?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). A statement is attached. **[Placed in the Library. See No. LT—4706/65.]**

(c) The Samiti and its Working Group have met twice each. The Sub-Committees have held 13 meetings so far.

(d) The Hindi Adviser assumed charge on 14th June, 1965.

(e) The Hindi Adviser is a whole-time third Vice-Chairman of the Samit which has been constituted to advise Government on matters relating to propagation and development of Hindi and its progressive use for Union official purposes. He will be concerned with the preparation of a revised programme of Hindi work and his functions would also cover programmes relating to propagation and development of Hindi being dealt with in the Ministry of Education.

Educational Tours of Students of Punjab

1210 **Shri Bagri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the financial assistance given by the Central Government for student's trip in and outside Punjab for the years 1964-65 and 1965-66;

(b) whether the Punjab Government have fully utilized this assistance; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) No financial assistance was given for the year 1964-65 and none has been given so far for the year 1965-66.

(b) and (c). Do not arise.

Post-Matric Scholarships to Scheduled Caste Students of Punjab

1211. Shri Bagri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Central Government to the Punjab Government for the grant of post-Matric scholarships to the Scheduled Caste students during 1964-65;

(b) the amount likely to be sanctioned to the Scheduled Caste students of Punjab during 1965-66; and

(c) whether the amount given to the Punjab Government for this purpose has been fully utilised in 1964-65; and

(d) if not, the reason therefor?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) Rs. 17,42,200.

(b) Rs. 17,42,200

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Training of Indian Technicians in USSR

1212. Shri Bagri : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 772 on the 7th April, 1965 and state :

(a) the broad features of the scheme regarding the training of the 27 Indian Oil technicians in U.S.S.R.; and

(b) the amount likely to be spent thereon?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) the training and medical facilities are free, but Oil and Natural Gas Commission will pay 169 roubles and 146 roubles per month for each engineer and each technician respectively for expenses on furnished living accommodation, food, and transport. These expenses are met out of Soviet Credit.

(b) Rs. 4·1 lakhs with foreign exchange component of Rs. 43,867·00.

Provident Fund for Teachers

1213. Shri Bagri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any scheme to give General Provident Fund and Gratuity benefits to the Government Higher Secondary School teachers in Delhi and to improve their service conditions is under the consideration of Government; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Education (**Shri M. C. Chagla**) : (a) No. The teachers of Government Higher Secondary Schools are entitled to pension, gratuity and general provident fund benefits as per rules applicable to Central Government employees; their service conditions too are governed by prescribed rules.

(b) Does not arise.

अखिल भारतीय वन तथा इंजीनियरी सेवायें

1214. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वन सेवा तथा भारतीय इंजीनियर सेवा स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन दोनों अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कब किया जायेगा; और

(ग) इन पर प्रति वर्ष कितना खर्च होने का अनुमान है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने उन अधिकारियों के विवरण भेज दे जिनकी भारतीय वन सेवा के प्रारम्भिक गठन में नियुक्ति के बारे में विचार किया जाना है। इन विवरणों की प्राप्ति पर एक विशेष चयन बोर्ड द्वारा अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में भरती किया जायगा।

भारतीय इंजीनियर सेवा में कुछ समस्याओं पर अभी भी विचार किया जाना है। इस सेवा का जल्दी निर्माण करने के लिये प्रत्येक चेष्टा की जा रही है।

(ग) इस अवस्था में वार्षिक अतिरिक्त व्यय का अनुमान बताना सम्भव नहीं है क्योंकि संवर्गीकृत किये जाने वाले पदों पर पूरा ब्यौरा, इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों आदि के बारे में अभी तक पता नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर द्वारा देय ऋण

1215. **श्री विद्याचरण :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 563 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्षों 1961-62 और 1962-63 तथा 1964-65 के अन्त में जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा, उस को मंजूर किये गये ऋणों की देय मूल राशि के भुगतान के रूप में, कितनी राशि वापस लौटाई जानी थी; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1964-65 के अन्त में बकाया ऋण को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क)—

	(संख्या लाख रुपयों में)
1961-62	12,76.07
1962-63 . . .	14,66.87
1964-65	2,71.05

(ख) इस मामले को जम्मू तथा काश्मीर सरकार के साथ उठाया गया है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार की वित्तीय समस्याओं पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच परामर्श चल रहा है।

स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेन्सिलिन का उत्पादन

1216. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० पू० ना० खाँ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी में हिन्दुस्तान एंटीबायटिक कारखाने में स्ट्रोप्टोमाइसिन और पेन्सिलिन के उत्पादन में 1964-65 तथा उस के बाद में भी बड़ी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कमी के कारण कोई हानि हुई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग) : 1964-65 में निर्धारित लक्ष्य वास्तविक उत्पादन और उत्पादन लक्ष्य के न प्राप्त होने के कारण निम्न सारणी में दिखाये गये हैं :—

पेन्सिलिन		स्ट्रेप्टोमाइसिन साल्टस		उत्पादन में कमी के कारण
उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	कच्चे माल की कमी अपूर्ण शुद्धता
(मिलियन मेगा यूनिट)	(मिलियन मेगा यूनिट)	(किलोग्राम)	(किलोग्राम)	(clarity problems)
60.90	53.29	38,000	37,562	तथा मज़दूरों में खलबल।

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें

1217. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने की एक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कहां कहां खोली जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल और अजमेर में चार प्रादेशिक शिक्षा-कालेज पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। चौथी पंचवर्षीय आयोजना में अधिक दाखिलों के लिए इन प्रादेशिक कालेजों को व्यापक बनाने का और उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अनेक रूप देने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। आगे अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चुने हुए राज्यों के शिक्षा-कालेजों तथा विश्वविद्यालय केन्द्रों को ऊंचा उठाने तथा विकसित करने का विचार है।

मूल्य-वृद्धि विरोधी आन्दोलन का प्रभाव

1218. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के लोगों द्वारा शुरू किये गये मूल्य-वृद्धि विरोधी आन्दोलन का क्या प्रभाव हुआ है; और

(ख) इस सम्बन्ध में गत तीन महीनों में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख): मूल्य-वृद्धि विरोधी आन्दोलन के प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि मूल्यों के उतार-बढ़ाव तथा वस्तुओं की उपलब्धि अनेक जटिल तत्वों पर निर्भर करती है। सरकार वस्तुओं की उपलब्धि को बनायें रखने तथा मूल्यों के नियमन तथा मुनाफाखोरों और चोरबाज़ारियों के खिलाफ आवश्यक पदार्थ अधिनियम तथा भारत सुरक्षा नियमों के अधीन कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त उपाय करती रही है।

भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिये आयुक्त

1219. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा की गई वे कौन सी मुख्य सिफारिशें हैं जो केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार और क्रियान्वित की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की मुख्य सिफारिशें छटवीं रिपोर्ट के पंचम अध्याय में दी गई है। इस रिपोर्ट की एक प्रति 5 मई, 1965 को सभा-पटल पर रखी गई थी। इन सिफारिशों के परिपालन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–4707**

संघ राज्य-क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा संस्थायें

1220. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संघ राज्य-क्षेत्रों में खोली गई नई संस्थाओं को मान्यता दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो पोर्ट ब्लेअर (अन्दमान) में ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिनको अब तक मान्यता दे दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इससे सम्बद्ध संस्थाओं को मान्यता दे दी है।

(ख) दो उच्च माध्यमिक विद्यालय।

Procedure Of Investigation Into Charges Of Corruption

1221. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Narsimha Reddy :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri Himmatsinghji :**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in the procedure for investigation into the charges of corruption against the Ministers; and

(b) the stage of enquiry into the charges of corruption against the State and Central Ministers and Chief Ministers, in particular which were referred to the Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Government's approach to the problem was explained by the Home Minister in the course of his reply during the discussion of the Demands for Grants of Ministry of Home Affairs on 27th April, 1965.

(b) Apart from the case of the Chief Minister, Rajasthan, there are no pending charges of corruption against any Chief Minister or any Central or State Minister. As regards the charges against the Chief Minister, Rajasthan, the matter is still under consideration of the Government. Attention in this connection is also invited to unstarred Question No. 3141 answered in the Lok Sabha on 5th May, 1965.

नर्मदा पुल पर तेल पाइप लाइन

1222. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड नर्मदा पुल पर तेल पाइप लाइन बिछाने के लिये अनुमति देने के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बिछाई जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) : जी, हां। यह (अर्थात् तेल पाइप लाइन) बिछा दी गई है।

दिल्ली में जासूसों का गिरोह

1223. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी जासूसों का एक गिरोह राजधानी में पकड़ा गया है जिसका उद्देश्य विधि तथा व्यवस्था को भंग करना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निकोबार द्वीप का सर्वेक्षण

1224. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निकोबार द्वीप में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस द्वीप का भूमि सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के अधीन कितने परिवारों को बसाया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ग) : अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह त्वरित साधन विकास के लिये ले लिये गये हैं। इसके लिये अतिरिक्त जन-शक्ति की आवश्यकता होगी जिसे विशेष कार्यक्रम की कुशलता के आधार पर विभिन्न साधनों द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। संभवत: साधनों में ये निम्न हैं, राष्ट्रीय विकास दल, जो पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों में से बनाया गया है, बर्मा तथा लंका से लौटने वाले व्यक्ति, मुख्य भूमि से कुछ विशेष समूहों के व्यक्ति जैसे कि, केरल तथा आन्ध्र के मकुए तथा प्राप्यता के आधार पर कुशल व्यक्तियों की कमी को पूर्ण करने के लिये कुछ अनुभव वाले भूतपूर्व सैनिकों को भी लिया जायेगा।

(ख) ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पश्चिमी समुद्र तट के कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण 1960 में किया गया था।

पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्था, मनाली (पंजाब)

1225. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हेमराज :

क्या **शिक्षा** मंत्री 10 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मनाली (पंजाब) में पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्था के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मामला अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है।

भारत में हूबर आयोग जैसा आयोग

1226. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री बासप्पा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के हूबर आयोग जैसा एक प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय किया जा चका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : इस बारे में नवीनतम विचारधारा प्रधानमंत्री के 26 अगस्त 1965 को सदन में दिये गए उनके वक्तव्य में जाहिर की गई है।

केरल में परियोजनाओं की प्रगति

1227. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में आरम्भ की जा चुकी परियोजनाओं की क्रियान्विति की प्रगति का अध्ययन करने के लिये उस राज्य में भेजे गये विशेषज्ञ दल ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम रहा; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : अधिकारियों के एक दल ने जून 1965 में राज्य का दौरा किया और राज्य-सरकार से विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श के संदर्भ में प्राथमिकता-प्राप्त परियोजनाओं के लिये 5.63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रबन्ध किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

	(करोड़ रुपये)
बिजली	2.35
सिंचाई	1.10
उद्योग	1.50
कृषि	0.68
	5.63

पंजाब से अधिकारी का वापस बुलाया जाना

1228. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दास आयोग प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप जिन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किये गये थे, उनके मामलों की छानबीन करने के लिये पंजाब सरकार को जो अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था, उसे वापस बुला लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) उन्होंने कितने मामले निपटाये तथा अभी बाकी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : उन्हें वापस नहीं बुलाया गया था। उनको सौंपी गई जांचें पूरी हो जाने पर राज्य सरकार ने उन्हें वापस भेज दिया था।

(ग) उन्हें तीन मामलें सौंपे गए थे और उन्होंने सभी में अपनी राय दी थी। उनके पास कोई मामला शेष नहीं है।

कलकत्ता-काठमांडू पैट्रोल पाइप लाइन

1229. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से काठमांडू तक एक पैट्रोल पाइप लाइन के बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

1230. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए कुल कितनी रकम दी गई थी,

(ख) अब तक कुल कितनी रकम व्यय की गई है, और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी राशि की व्यवस्था करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (ी भक्त दर्शन) : (क) दूसरी आयोजना में 20 लाख रुपए, तीसरी आयोजना में 55 लाख रुपए।

(ख) 40.96 लाख रुपए (1964–65 तक)।

(ग) लगभग 6 करोड़ रुपए।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला सैनिक

1231. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सैनिक, जो कि पाकिस्तान के लिये काफी समय से जासूसी कार्यवाहियों में लगा हुआ था, केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा मई, 1965 में उत्तर प्रदेश में, गाज़ीपुर ज़िले के नगसर गांव में पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो उस सैनिक से क्या सामान बरामद किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में पढने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी

1232. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी खर्च पर और स्वयं अपने खर्च पर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या क्या है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की क्या संख्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी सरकारी खर्च पर विदेशों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश के उन विद्यार्थियों का सम्बन्ध है जो अपने खर्च पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर

1233. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूलों की इमारतों तथा अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टरों के निर्माण के लिये वर्षवार 1962-63, 1963-64, तथा 1964-65 में कितनी राशि के अनुदान अथवा ऋण दिये गये; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये 1965-66 में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है अथवा मंजूर करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कुछ भी नहीं।

(ख) अग्रिम कार्यवाही कार्यक्रम के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिये 6 लाख रुपये नियत किये गये हैं। अन्य मदों के साथ साथ इस राशि का उपयोग अध्यापिकाओं के क्वार्टरों के निर्माण के लिये भी किया जा सकता है।

शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप

1234. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री 5 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिस में कृषि तथा चिकित्सा संबंधी शिक्षा भी सम्मिलित है, सभी शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों को एक छत्र के नीचे लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

नजरबन्द व्यक्ति

1235. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
ी विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री प्र ात कार :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री म० ना० स्वा ी :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री तन सिंह :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री समनानी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1965 को देश की विभिन्न जेलों में राज्यवार कितने व्यक्ति नजरबन्द थे; और

(ख) उन की नजरबन्दी के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सुरक्षा नियमों तथा निवारक निरोध अधिनियम दोनों के अधीन 2697 जिनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4708/65।]**

(ख) नजरबन्दी का कदम आसंचयन, चोरबाजारी, मुनाफ़ाखोरी, जासूसी, विध्वंसक तथा अन्य ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये उठाया गया था जो भारत की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, जन-सुरक्षा, जन-व्यवस्था बनाये रखने तथा सेवाओं और जनजीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि को बनाये रखने के लिये अहितकर थीं।

व्यक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालयों का नामकरण

1236. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री व्यक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालयों का नाम रखने के पक्ष में नहीं हैं;

(ख) क्या राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अभी हाल ही में श्रीनगर में हुए सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया था;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की क्या राय थी; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस से पूर्व किसी व्यक्ति के नाम पर भवनों के नाम रखे जाने के औचित्य के बारे में संदेह व्यक्त किया था और 1960 में एक संकल्प पारित किया था कि आयोग द्वारा दी गई सहायता से बनाये गये भवनों के नाम सक्रिय सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के नाम पर नहीं रखे जाने चाहिये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) समूचे रूप से उनका मत यह था कि सामान्यत: विश्वविद्यालयों का नाम व्यक्तियों (स्वर्गवासी राष्ट्रीय नेताओं के अतिरिक्त) के नाम पर न रखने की नीति अच्छी है ।

(घ) जी, हां ।

पंजाब में स्मारक

1237. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री हेमराज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में पुराने स्मारकों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता; और

(ख) उन की दशा में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यापकों को पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण

1238. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री बासप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्यों में प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव पर अमल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) अब तक कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते ।

Games of Deaf and Dumb at Washington Meet

1239. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government did not grant permission to the deaf and dumb team to participate in the games in the Washington meet held there from 19th June to 4th July, 1965; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir. A group organised by "All India Deaf and Dumb Games Association", which included 9 wrestlers, 3 government servants and 1 representative, took part in the Tenth International Meet for deaf which were held in Washington from 19th June to 4th July, 1965.

अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की शिक्षा

1240. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनूसूचित आदिम जातियों के लोगों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिय राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र में कोई विशेष एकक स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ने अपना काम आरम्भ कर दिया है; और

(ग) क्या यह अनुसूचित आदिम जातियों में निरक्षरता के कारणों का पता लगाने में समर्थ हुआ है और इसका क्या हल सुझाया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) अध्ययन किये जा रहे हैं ।

Teaching of Hindi and Sanskrit in Delhi Colleges

1241. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Sanksrit and Hindi are taught through the medium of English in in Delhi and New Delhi Colleges and in the Delhi University; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Hindi is taught through the medium of Hindi. Sanskrit is being taught through the medium of Hindi in B. A. (Pass) Course and through the medium of English and Sanskrit in B. A. (Hons.) and in M. A. Courses.

(b) Due to want of standard books in Hindi and in view of the language difficulty for non-Hindi speaking students, English was adopted as the medium to teach Sanskrit in the University. Steps have, however, been taken by the University to adopt Hindi at the B. A. (Hons.) level, and after a couple of years, at the M. A. stage.

केरल परामर्शदात्री समिति

1242. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल परामर्शदात्री समिति का स्थापना के समय से अब तक कितनी बैठकें हुई; और

(ख) इन बैठकों में विधान सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 10-9-64 की पहली उद्घोषणा की अवधि में दों, और 24-3-65 की उद्घोषणा के बाद अब तक तीन ।

(ख) 8 और 9 जन को नई दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें केरल परामर्शदात्री समिति ने केरल की खाद्य समस्या पर विचार किया। 26 और 27 जुलाई को जो बैठक त्रिवेन्द्रम में हुई उसमें समिति ने केरल की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में उन विषयों में से कुछ पर विचार किया जिनके बारे में सदस्यों ने सूचना दी हुई थी।

तीसरी बैठक 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में समिति ने केरल के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना पर विस्तार से विचार किया और उन विषयों पर विचार किया जिनकी सदस्यों ने दूसरी बैठक के लिये सूचना दी थी और जिन पर उस बैठक में पूरी तरह विचार नहीं किया जा सका था।

दिल्ली में सिकन्दर लोदी का मकबरा

1243. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सिकन्दर लोदी के मकबरे की खस्ता हालत की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्मारक को ठीक हालत में बनाय रखने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख) : जी नहीं। यह स्मारक पहले ही ठीक हालत में रखा हुआ है और लोदी गार्डन में अन्य स्मारकों के साथ साथ इस का भी सामान्य रूप से ध्यान रखा जाता है।

आदिम जातीय व्यक्तियों का प्रव्रजन

1244. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि त्रिपुरा के आदिम जातिय व्यक्तियों को धीरे-धीरे त्रिपुरा छोड़ कर और स्थानों पर जा कर बसने के लिये बाध्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने आदिम जातीय परिवार त्रिपुरा छोड़ कर अन्य स्थानों पर चले गये हैं;

(ग) क्या सरकार संविधान की पांचवीं अनुसूची को मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करना चाहती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन अनुसूचित आदिम जातियों के संरक्षण के लिए सरकार क्या अन्य उपाय करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (ी हाथी) : (क) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मनीपुर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। त्रिपुरा के बारे में यह शंका निर्मूल है कि आदिम जातीय व्यक्तियों को त्रिपुरा से प्रव्रजन करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। सरकार ने आदिम जातियों के संरक्षण के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

(1) जिन क्षेत्रों में आदिम जातियों की जनसंख्या अधिक है उन्हें धीरे धीरे आदिम जाति क्षेत्र तथा आदिम जाति आयोग की सिफारिशों के अनुसार विस्तृत कार्यक्रम वाले आदिम जाति विकास खण्डों के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

(2) सुरक्षित आदिम जाति क्षेत्रों में आदिम जातीय व्यक्तियों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों का संरक्षण महाराजा के एक आदेश के अधीन होता है जो अभी तक लागू है।

(3) आदिम जातीय व्यक्तियों द्वारा भूमि-हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के बारे में त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम में विशेष व्यवस्था की गई है।

नई दिल्ली के न्यायालयों को अग्रदाय राशि (इम्प्रैस्ट मनी) का खाता

1245. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के न्यायालयों को अग्रदाय राशि का खाता कई वर्ष पहले बन्द हो गया था, क्योंकि उस में कुछ गबन हो गया था;

(ख) यदि हां, तो वह खाता जिन परिस्थितियों में बन्द किया गया था, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खाते को पुनः कब चालू किया जायेगा ?

गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नई दिल्ली के न्यायालयों को अग्रदाय राशि का खाता कभी भी बन्द नहीं हुआ और न ही कभी अग्रदाय राशि में से गबन का कोई मामला हुआ था।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

शेख अब्दुल्ला पर मुक़दमा

1246. श्री व० बा० गांधी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० दं० पूरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शेख अब्दुल्ला पर अदालत में मुकदमा चलाने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार शेख अब्दुल्ला को काश्मीर में नज़रबन्द रखने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

पंजाब में खेलकूद

1247. श्री दलजीत सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में, अब तक पंजाब सरकार को राज्य में खेलकूदों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार की सिफारिश पर 1964-65 और 1965-66 के दौरान पंजाब राज्य खेलकूद परिषद को नीचे लिख अनुदान दिये गये थे :

मंजूर किया गया अनुदान	उदेश्य
20,000 रुपए	हाकी, क्रिकेट, व्यायाम, कुश्ती, तैराकी, बास्केट-बाल, फुटबाल, वालीबाल, शारीरिक क्रीड़ाओं, टैनिस, और बैडमिंटन के एक प्रशिक्षण शिबिर के आयोजन के लिए।
10,000 रुपए	खेलकूद के सामान की खरीद के लिए।

पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

1248. श्री दलजीत सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री हि बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में अब तक पंजाब राज्य में राजनीतिक पीड़ितों को कितनी वित्तीय सहायता दी गइ; और

(ख) पंजाब में सहायता पाने वाले कितने राजनीतिक पीड़ित हैं, और उनको इस समय कितनी मासिक रकम दी जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1964-65, 1800 रु० 1965-66, 700 रु० । (अब तक)

(ख) 1964-65 में 5 और 1965-66 में 2।

वित्तीय सहायता एकमुश्त अनुदान राशि के रूप में दी जाती है न कि मासिक भुगतान के रूप में।

स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी

1249. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को प्रामाणिकता के सत्यापन करने तथा उनकी आर्थिक और अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपायों की सिफारिश करने के निमित्त एक समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) क्या इस समिति के मार्गदर्शन के लिये कोई कसौटी अथवा सिद्धान्त निर्धारित किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : ऐसा कोई विचार नहीं है।

केरल विश्वविद्यालय द्वारा उर्दू की पढ़ाई की समाप्ति

1250. श्री मुहम्मद कोया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट ने कालेजों में उर्दू की पढ़ाई समाप्त कर दी है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए इस विश्वविद्यालय को कोई हिदायतें दी हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कारीप्पोडी गांव (केरल) में स्कूल

1251. श्री मुहम्मद कोया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल सरकार ने कन्नानूर जिले के कारीप्पोडी गांव में अल्प-भाषा-भाषियों को शिक्षा देने वाला एक स्कूल बन्द कर दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को इस स्कूल को पुनः खोलने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । कारीप्पोड़ी गांव में कन्नड़ माध्यम के सरकारी एल० पी० स्कूल को वहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण 1-6-65 से बन्द कर दिया गया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार को कहा गया था ।

(ग) राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उस मुहल्ले के बच्चों को शिक्षा के लिये शिक्षा सम्बन्धी वैकल्पिक सुविधायें हों और भाषाई अल्प-संख्यकों के हित पूर्णतया संरक्षित हों । राज्य सरकार महसूस करती है कि निदेशों पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पालमपुर में जीव-विज्ञान प्रयोगशाला

1252. श्री हेमराज : **श्री प्रभात कार :**
श्री वारियर : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 5 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पालमपुर (पंजाब) में जीव-विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये हाल ही में राज्य सरकार ने 21 लाख रुपये मंजूर किये हैं तथा उसने पंजाब में अनुसन्धान तथा चिकित्सीय शिक्षा निदेशक को भूमि का अर्जन करने और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के नाम इसका हस्तांतरण करने के लिये तुरन्त आवश्यक कायवाही करने के लिये कहा है ।

वामपंथी साम्यवादियों द्वारा लेख याचिकाएं

1253. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उनकी नज़रबन्दी तथा उनके साथ होने वाले बर्ताव और उनको मिलने वाली सुविधाओं के विरोध में, नज़रबन्ध वामपन्थी साम्यवादियों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितनी बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं पेश की गई है;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों में याचिकायें पेश करने वाले विभिन्न नज़रबन्ध व्यक्तियों को याचिका पेश करने से पहले कानूनी सलाह मशवरा लेने की अनुमति दी गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कितनी लेख याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार की हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 605।

(ख) नज़रबन्दी की शर्तों में, जहां ऐसी व्यवस्था थी, वहां नजरबन्दियों की प्रार्थना पर उन्हें कानूनी सलाह मशवरा लेने की अनुमति दी गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 589 विचारार्थ स्वीकृत हुई।

पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण सम्बन्धी आयोग

1254. श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सामूहिक निष्क्रमण संबंधी आयोग न अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Illegal entry by Pakistanit into Tezpur

1255. Shri Bagri :
Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 20th June, 1965, 150 Pakistanis illegally entered Tezpur, a village in the border district of Nadia and drove away 90 heads of cattle; and

(b) the steps taken to put an end to such incidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No Sir. However, in an incident which took place on 18th June, 1965, 100 Pak. nationals trespassed into Indian territory at Tajpur (not Tezpur), Police Station Karimpur, District Nadia and took away 27 heads of cattle.

(b) A strong protest has been lodged with the Deputy Commissioner, Kushtia (E. Pak.). He has been asked to arrange for restoration of the cattle to the rightful Indian owners. No reply has yet been received.

Literature Published by Hindi unit of C. S. I. R.

1256. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of bills of Presses and Artists in respect of literature published by the Hindi Unit of C.S.I.R. are pending for payment;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of bills for work done during 1964 which remained unpaid till 31st March, 1965 and the period for which they had been in arrears?

The minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). No, Sir.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library** *See* **No. LT-4709/65.**]

World Hindu Religion Conference in Delhi

1257. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a World Hindu Religion Conference is scheduled to be held in Delhi in November, 1965; and

(b) if so, the assistance to be given by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Hathi) (a) Yes, Sir.

(b) There is no such proposal before the Government.

मृत्यु दण्ड समाप्त करना

1258. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु दण्ड समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह मामला इस समय विधि-आयोग के विचाराधीन है ।

दिल्ली में भूमि का दिया जाना

1259. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीवा :
श्री चांडक :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली में भूमि देने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) : कालकाजी के निकट 218.3 एकड़ क्षेत्र पर एक बस्ती स्थापित करने का प्रस्ताव है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित जो पहले ही दिल्ली में रह रहे हैं और रोजगार पर लगे हुये हैं उनको अलाटमेन्ट के लिये लगभग 35.48 लाख रुपये की लागत से इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और विभिन्न आकार के 1600 मकान बनाने के लिये सीमांकन किया जा रहा है। प्लाटों को अलाट करने के लिये शर्तों आदि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बर्मा आयल कम्पनी

1260. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा आयल कम्पनी ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न तेल शोधक कारखानों तथा पैट्रो-कैमिकल उद्योगों में सहयोग देने के लिए प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारखानों में और किस सीमा तक ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Bomb explosion at Poonch

1261. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Ram Sevak :
Shri P. G. Sen :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bus was completely destroyed as a result of a bomb explosion on the 24th June, 1965 at Poonch in Kashmir; and

(b) if so, whether Pakistani elements were involved therein?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir. The incident occurred on the 23rd June.

(b) This is suspected to be the case.

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन

1262. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया से बरौनी तक तथा बरौनी से कानपुर तक तेल की पाइप लाइन बिछाने के लिए कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है;

(ख) इस में खेती वाली भूमि कुल कितने एकड़ है; और

(ग) किसानों को किस दर से प्रतिकर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से गुजरती है और पाइपलाइन को बिछाने के लिए "राईट आफ वे" (Right of Way) के रूप में अर्जित भूमि का ब्यौरा निम्नप्रकार है :—

	पश्चिमी बंगाल एकड़	बिहार एकड़	उत्तर प्रदेश एकड़
(i) हल्दिया-बरौनी अनुभाग	1285.10	865.00	..
(ii) बरौनी-कानपुर अनुभाग	..	950.00	1841.00
कुल	1285.10	1815.00	1841.00

(ख) कृषि भूमि का क्षेत्रफल निम्नप्रकार है :—

	एकड़
पश्चिमी बंगाल	1285.10
बिहार	1713.00
उत्तर प्रदेश	1501.00

(ग) जिनकी जमीने ली गई हैं ; उन लोगों को पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में प्रयोगकर्त्ता के अधिकार का अर्जन) एक्ट (1962 का 50) [Petroleum pipelines (Acquisition of Right of Users in Land)] के अनुभाग 3(1) के अधीन केन्द्रीय राजपत्र में दी गई अधिसूचना के तारीख को मार्किट मूल्य का 10 प्रतिशत मुआवजे के रूप में दिया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में वामपंथी साम्यवादियों द्वारा जारी किया गया परिपत्र

1263. श्री कृष्णपाल सिंह : **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री हेम राज :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वामपंथी साम्यवादियों ने हाल में अपनी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की शाखाओं के लिये एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उनसे हथियार उठाने के लिये तैयारी करने के लिये कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इस परिपत्र को जारी करने के लिये जिम्मेवार कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा भारत सुरक्षा नियमों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की गई है । सरकार ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में सोडा एश बनाने वाला कारखाना

1264. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र औद्योगिक विकास निगम को सोडा एश के निर्माणहेतु एक सार्वजनिक लिमिटेड फर्म खोलने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) कारखाने की क्षमता क्या होगी; और

(घ) कार्य कब आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया हैं। आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (Andhra Pradesh Industrial Development Corporation) को एक आशय पत्र जारी किया गया है, यह सलाह देते हुये कि सरकार सोडा—राख को तैयार करने के एक नये उपक्रम (Undertaking) की स्थापना के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस को जारी करने को तैयार है यदि उक्त उपक्रम संयंत्र एवं मशीन के आयात की व्यवस्था, तकनीकी सहयोग और परियोजना से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्ध में सरकार को सन्तोष कराये ।

(ख) लगभग 4.5 करोड़ रुपये ।

(ग) प्रतिवर्ष 60,000 मेट्रिक टन ।

(घ) भाग "क" के उत्तर से सम्बन्धित प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है ।

राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्था

1265. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्था केरल में खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार ने यह संस्था केरल में खोलने की संभावनाओं के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला खोलने के लिये स्थान निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में विभिन्न स्थानों के बारे में विचार किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला के लिये अत्यधिक उपयुक्त स्थान कांगड़ा घाटी (पंजाब) में पालमपुर है ।

माल्नाड क्षेत्र का विकास

1266. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मैसूर राज्य में माल्नाड क्षेत्र के विकास के लिये कोई योजनायें तैयार की हैं अथवा उसको राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई योजनायें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यार्थियों क लिये निःशल्क शिक्षा तथा चिकित्सा व्यवस्था

1267. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने नगरपालिका के स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा तथा विद्यार्थियो को निः शुल्क चिकित्सा सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) नगरपालिका ने 1964-65 में प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों से चिकित्सा शुल्क के रूप में कितनी कितनी राशि वसूल की थी; और

(घ) इसी अवधि में प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों को चिकित्सा सहायता देने पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : ग्यारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में नई दिल्ली नगरपालिकाने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है । निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने के बारे में समिति ने नगरपालिका के स्कूलों के विद्यार्थियों को चिकित्सा शुल्क की अदायगी से छूट देने का निर्णय किया है तथा स्कूल अधिकारीयों को निदेश जारी किये हैं कि वे अपने विद्यार्थियों से 1-8-1965 से यह शुल्क न लें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 50,947.03 रुपये (संलग्न विवरण में ब्योरा दिया गया है) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4710/65.** ।]

(घ) अभी जानकारी केवल 1964-65 में चिकित्सा योजना के लिये संस्थान पर किये गये खर्च तथा आकस्मिक व्यय के बारे में ही उपलब्ध है और इसका कुल जोड़ 99,326.06 रुपये है ।

बर्मा शैल तथा एस्सो के तेल शोधक कारखानों के लिये अशोधित भारतीय तेल

1268. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल तथा एस्सो के बम्बई स्थित तेल शोधक कारखानों को आगे से और अधिक अशोधित भारतीय तेल सप्लाई किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख): 25-5-65 से सप्लाई को प्रतिदिन लगभग 2250 मीटरी टन से प्रतिदिन 3000 मीटरी टन बढा दिया गया है।

(ग) बढ़ाई गई सप्लाई की शर्तें वही है जो पहले थी—अर्थात् मूल्य कच्चे तेल का आयात समता के आधार पर मूल्य तथा शोधनशालाओं तक तेल और प्राकृतिक गैस की लागत पर परिवहन।

अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट

1269. **श्री रा० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट की प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला के (1) प्रतिदिन 30 टन सीमेंट तैयार करने वाले कारखाने तथा (2) प्रतिदिन 5 टन कागज बनाने वाले कारखाने के डिजाइन बनाने तथा उन्हें लगाने के प्रस्ताव को सरकार ने क्रियान्विति के लिये स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या देश में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इन कारखानों के आर्थिक पहलू पर विचार कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी, नहीं। अभी दोनों प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

त्रेजुनिथुरा (कोचीन) में "हिल पैलेस"

1270. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन प्रिन्सेज एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि त्रेजुनिथुरा स्थित एक सौ एकड़ के "हिल पैलेस" का एक चिकित्सा कालेज खोलने के लिये उपयोग किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

Bogus Firms in Delhi

1271. **Shri Himatsingka :**

Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the C.I.D. Police, Delhi, is carrying on investigations about persons fraudulently making money by forming fake concerns ;

(b) if so, the number of cases discovered so far; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी)

1272. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) देने के बारे में एक योजना मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार ने, सिद्धान्त रूप में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियोंके लिए, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है, एक अंशदायी निर्वाह-निधि और उपदान (ग्रैच्युटी) योजना तथा एक सामान्य निर्वाह और पेंशन तथा उपदान (ग्रच्युटी) योजना स्वीकृत की है ।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विषय पर अधिनियम बनाए जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में तेल

1273. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में तेल मिलने की कोई संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) इतने पहले ही इसकी कोई संभावना नहीं बताई जा सकती क्यों कि त्रिपुरा के पूर्वी हिस्से में भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य अब भी जारी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नजरबन्द व्यक्तियों के लिये सुविधायें

1274. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न जेलों में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये राजनैतिक व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में अधिक अच्छे व्यवहार तथा सुविधाओं की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): 1962 के भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनमें वे जेलों में प्राप्त होने वाले व्यवहार और सुविधाओं के बारे में शिकायतों को सरकार के ध्यान में लाते हैं । जिन लोगों को राज्य सरकारों के आदेश पर नजरबन्द किया जाता है, उनके अभ्यावेदन कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को भेज दिये जाते हैं । जिन लोगों को केन्द्रीय सरकार के आदेशों पर नजरबन्द किया जाता है उनके मामलों पर यथोचित जांच के बाद मामले का गुणावगुण के आधार पर फैसला किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी की परीक्षा

1275. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए निर्धारित समय के अन्दर हिन्दी परीक्षा देने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस विषय पर गृह मंत्रालय के 20 मई, 1965 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–4711/65।**]

(ख) ज्यादहतर मंत्रालयों ने अपने अधिकारियों को हिन्दी-प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत् हिन्दी-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये नामित किया है।

कोटला मबारकपुर, नई दिल्ली में त्रिलोकी कालोनी का अर्जन

1276. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत 2 दिसम्बर, 1963 को जारी की गई दिल्ली प्रशासन की राज पत्र अधिसूचना संख्या एफ० 4(63)/62–एल० एण्ड एच० के द्वारा अर्जित कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के इर्दगिर्द के खुले और खाली पड़े हुए क्षेत्र में जिस में कोई मकान आदि नहीं बनाया गया है, त्रिलोकी नाम की एक मंजूरशुदा कालोनी भी सम्मिलित है ;

(ख) क्या सरकार ने अब प्लाटों के मालिकों को जगह देने के लिये इस कालोनी के कुछ भाग का अर्जन सम्बन्धी अधिसूचना से बाहर निकालने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का संक्षिप्त विवरण क्या है तथा प्लाटों के ऐसे मालिकों को, जिन के प्लाट कालोनी के इस छोड़े गए भाग में नहीं आते हैं, किस प्रकार बसाने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): अंतिम निर्णय तब लिया जायेगा जब दिल्ली नगर निगम द्वारा कोटला मुबारकपुर की पुनर्विकास योजना तैयार की जायगी।

कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी

1277. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री कार निकोबर ट्रेडिंग कम्पनी के बारे में 7 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2036 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, को इस बीच इस मामले की अग्रेतर प्रगति के बारे में कोई जानकारी मिली है; और

(ख) इस स्थिति में कब तक परिवर्तन होने की सरकार को आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : कार निकोबार की जनजातियों की इस नवनिर्मित कम्पनी ने अपना एक महा-प्रबन्धक नियुक्त किया है और उन्हें आशा है कि ज्योंही पूरा ब्यौरा तैयार हो जायगा वे व्यापार को सम्भाल लेंगे।

Excavation of Relics of Asura Culture

1278. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Archaeological Survey of India has taken up the work of excavation of relics of Asura culture recently;

(b) the places where excavation has been done and where it is yet to be done ; and

(c) the results of the work done so far?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) and (b). Yes, Sir; at two sites *viz.* (i) Saradkal, a habitation site and (ii) Khuntitoli, a burial site, both in the Khunti Sub-Division of District Ranchi in Bihar.

(c) (i) The excavations at Saradkal have shown an Iron Age habitation site datable to the 1st-2nd centuries A.D., with signs of local manufacture of Iron.

(ii) The excavations at Khuntitoli have shown the practice of urn-burials laid into a pit filled and covered by a tumulus, supporting a Cap-stone balanced on small boulders. These are locally known as Asur burials.

(iii) The connection between the burials at Khuntitoli and the habitation site at Saradkal has not yet been established.

मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां

1279. श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ने के लिये मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देती है; और

(ख) यदि हां, तो चालू शिक्षा-वर्ष में कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) 1,000 ।

शिक्षा अर्हता से छूट

1280. श्री बसुमतारी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन सभी कर्मचारियों को शिक्षा अर्हताओं से छूट दी गई जो 1946 से पहले से भारत सरकार की सेवा में है तथा 1957 तक सेवा के दस वर्ष पूरे कर चुके हैं; और

(ख) क्या कुछ मामलों में भेदभावपूर्ण बर्ताव किया गया है और उन्हें शिक्षा अर्हताओं से छूट नहीं दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पदों का निर्माण हुआ था, किन्तु ऐसे अनेक पदों पर विहित शिक्षा अर्हताएं न रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया गया क्योंकि अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की कमी थी । यद्यपि इन लोगों के पास ऐसे पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिये शिक्षा अर्हताएं न थी, फिर भी उनकी लम्बी सेवा को और इस तथ्य को देखते हुए कि उनमें से कई का सेवा-वृत्त अच्छा था, यह महसुस किया गया कि उनके

मामलों में सहानुभूतिपूर्ण विचार करने की जरूरत थी। तदनुसार, अगस्त 1955 में, यह निश्चय किया गया कि ऐसे अनर्हता प्राप्त व्यक्तियों को स्थायी कल्प (क्वासी पर्मानेंट) घोषित किया जा सकता था अथवा स्थायी किया जा सकता था। ऐसा करने के लिये उन्हें शिक्षा अर्हताओं के बारे में छूट दी जा सकती है यदि वे कुछ शर्तें पूरी करते हों जैसे वे अप्रैल 1947 से पहले सेवा में भरती हुए हों और उनका सेवा वृत औसत से काफ़ी अच्छा रहा हो, आदि। इस बारे में जारी किये गए आदेशों की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–4712/65।**]

ऊपर बतायी गई स्थिति को देखत हुए प्रश्न के (ख) भाग में कहे गये भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह छुट ऐसे सीमित मामलों में जाती है जो इन आदेशों के अंतर्गत आते हैं।

दाहक सोडा

1281. **श्री रा० बरूआ :**
श्री यशपाल सिंह :

श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांभर में दाहक (कास्टिक) सोडा बनाने के लिये हाल ही में लाइसस दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने की क्षमता क्या है तथा लाइसेंस किस को दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिभाषा सूत्र

1282. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने हाल ही में पुनरावृत्त त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन में, अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में, तीसरी भाषा के रूप में, आधुनिक भारतीय भाषा की पढ़ाई आरम्भ कर दी है,

(ख) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह बात स्पष्ट कर दी है कि तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत की पढ़ाई आरम्भ कर देने से त्रिभाषा सूत्र की शर्त एवं भावना पूरी नहीं होती तथा तीसरी भाषा कोई आधुनिक भारतीय भाषा हि होनी चाहिए,

(ग) किन-किन राज्यों ने केवल संस्कृत की पढ़ाई को तीसरी भाषा के रूप में अपना कर इस सूत्र का उल्लंघन करने का प्रत्य प्रयत्न किया है, और

(घ) क्या सरकार ने यह सिफारिश करने का भी निर्णय किया है कि संस्कृत का सग्रथित (कम्पोज़िट) पाठ्यक्रम सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की पढ़ाई के साथ सम्बध्द किया जाये, और यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस सिफारिश को क्रियान्वित किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, हिन्दी भाषी राज्यों ने, जिन पर यह धारा लागू होती है, अपने सब स्कूलों में दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा आरम्भ नहीं की है हालांकि उन स्कूलों में दूसरी भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) किसी राज्य ने तीसरी भाषा के रूप में केवल संस्कृत आरम्भ नहीं की है लेकि चार हिन्दी भाषी राज्यों—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश—में पाठ्यचर्या स को एक भारतीय भाषा अथवा एक क्लासिकल भाषा के रूप में समझने की अनुमित देती हैं।

(घ) राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे एक क्लासिकल भाषा के अध्ययन को, संयुक्त पाठ्यक्रम में, प्रादेशिक भाषा अथवा वहां की मातृभाषा के साथ, प्रोत्साहन दें। इस निवेदन से राज्यों पर होने वाली प्रतिक्रिया की अभी तक कोई जानकारी नहीं हैं।

पर्यटन विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध तस्करी के आरोप

1283. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या गृह-कार्य मंत्री पर्यटन विभाग के एक उच्च अधिकारी के विरुद्ध तस्करी के आरोपों की जांच के बारे में 14 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2223 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उस अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवार

1284. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63, 1963-64 और 1964–65 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कितने-कितने राजपत्रित पदों के लिये प्रार्थन-पत्र मंगवाये गये थे;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने उम्मीदवार चुने गये; और

(ग) उपरोक्त अवधि में इन वर्गों में से भारतीय प्रसासनिक सेवा में कितने अधिकारी चुने गये?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :

(क)

1962-63	1963-64	1964-65
3057	4070	3483

इन आंकड़ों में प्रतिरक्षा सेवा परीक्षा द्वारा भरे गए पद सामिल नही हैं क्योंकि उनके लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई संरक्षण नहीं है।

(ख) सरकार को पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों में इन वर्गों के लिये कोई संरक्षण नहीं है। चुने गए अनुसूचित/अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों के बारें में सूचना इस प्रकार है :–

		1962-63	1963-64	1964-65
	अनु० जा० . . .	175	238	130
	अनु० आ० जा० . . .	27	46	35
(ग)	अनु० जा० . . .	15	17	18
	अनु० आ० जा० . . .	4	7	7

उपरोक्त आंकड़े उन मामलों के बारें में हैं जिन पर आयोग ने सम्बन्धित वर्ष में भरती की कार्यवाही पूरी कर ली थी।

University at Bareilly

1285. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal for setting up a University at Bareilly, besides at Kanpur and Meerut, has been sent to the University Grants Commission and the Ministry of Education ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Ban on Circulation of Books in Kerala

1286. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Prabhat Kar :
Shri A. K. Gopalan :
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that circulation of hundreds of books has been banned recently in Kerala ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the names of such books?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). Orders were issued in June 1965 deleting some Malayalam books from the list of approved books as they were not found suitable for School libraries. As certain objections have since been raised, the original orders of deletion has been stayed pending examination. Information regarding the names of books is being collected from the State Governments.

राजनैतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों को सदस्य बनाया जाना

1287. श्री हेमराज : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में देश के विभिन्न राजनैतिक संगठनों तथा दलों ने सदस्य बनाने के अपने अभियान में उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को सदस्य बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) शिक्षा मंत्रालय के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

All-India Sports Council

1288. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the All-India Sports Council was held at Patiala in July 1965; and

(b) if so, the subjects discussed at the meeting and the decisions taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कार्यालय पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम

1289. श्रीमती मैमूना तुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने महिलाओं के लिये कार्यालय पर्यवेक्षण सम्बन्धी एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी मोटी बातें क्या है, और

(ग) क्या पुरुषोंके लिये भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के लिए कार्यालय पर्यवेक्षण के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषतायें निम्न-लिखित है :—

(i) पाठ्यक्रम सात महीनों का है जिसके बाद के दो महीनों की अवधि व्यावहारिक प्रशिक्षण में लगाई जायगी।

(ii) यह केवल स्नातकों के लिए खुला है।

(ग) पुरुषों के लिए ऐसे ही पाठ्यक्रम आरम्भ करने का दिल्ली विश्वविद्यालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक अन्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

हिन्दी परीक्षाओं में असफलता

1290. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी पढ़ने वाले बहुत से सरकारी कर्मचारी 1964 में हुई प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षाओं में असफल हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं। 70 प्रतिशत कर्मचारी सफल हुए थे।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

राष्ट्रीय स्मारकों की मरम्मत

1291. श्री दलजीत सिंह :
श्री साधू राम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय स्मारकों की मरम्मत के लिये कितनी राशि नियत की गई, और

(ख) इसी अवधि के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय स्मारकों पर वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) और (ख) : सूचना नीचे दी जाती है :–

वर्ष	नियत राशि (बजट में दी गई)	खर्च की गई राशि
	रुपए	रुपए
1961-62 . . .	52,32,000	52,46,000
1962-63 . . .	48,89,900	47,17,360
1963-64 . . .	44,42,000	46,20,389
1964-65 . . .	55,46,000	50,95,600
1965-66 . . .	52,81,300	(आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं)

तेल के आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा

1292. श्री जसवंत मेहता : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) 1964–65 के दौरान विदेशी तेल आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ख) यह किन-किन देशो से आयात किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) 1964–65 के दौरान में कच्चे तेल एंव पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च की गई धनराशि लगभग 94 करोड़ रूपये थी ।

(ख) आयातों की अधिक मात्रा बहरीन, इन्डोनेशिया, ईरान, इटली, साऊदी अरब, यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ रूस और युगोस्लाविया से आई थी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर, के वार्षिक प्रतिवदन [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी–4696/65 ।**]

(दो) वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर के वार्षिक प्रतिवदन [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–4697/65 ।**]

(तीन) वष 1961-62 और 1962-63 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, बम्बई, के वार्षिक प्रतिवेदन [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–4698/65।**]

(चार) वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये भारतीय औद्योगिकीय संस्था, मद्रास, के वार्षिक प्रतिवदन [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–4699/65।**]

निर्यात संवर्धन परिषदों सम्बन्धी समीक्षा समिति का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निर्यात संवर्धन परिषदों सम्बन्धी समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4700/65।]**

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियमों का संशोधन

श्री हाथी : मैं अखिल भारतीय सेवाय अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 14 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1148 की एक प्रति जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वतन) नियम, 1954 की अनुसूची तीन में एक संशोधन किया गया है सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4701/65।]**

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : । मैं उन कम्पनियों की एक सूची जिन्हें सरकार से पूछने पर, 1964-65 में यह बताया गया है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 99 (1) (चार) (जो आय-कर अधिनियम 1922 की धारा 56-क के अनुरूप है) का लाभ कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को दिये जाने वाले अधिला ंश के सम्बन्ध में मिलेगा, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4702/65।]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

उनहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : म गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

वर्ष 1965-66 की श्रम और रोज़गार मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा के उत्तर का स्पष्टीकरण करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CLARIFYING REPLY TO DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT FOR THE YEAR 1965-66

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवय्या) : 14 अप्रैल, 1965 को श्रम और रोज़गार मंत्रालय की मां ों पर हुई चर्चा के उत्तर देते समय मैंने श्रीमती रेणुका बडकटकी द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भारत सरकार ने निर्णय किया है कि आसाम के स्थानीय लोगों के लिय 500 रुपये या 600 पय वेतन वाले स्थान सुरक्षित किये जायेंगे। जब मैंने

[श्री संजीवय्या]

यह वक्तव्य दिया था तो उस समय मेरे सामने परियोजना समन्वय समिति की 9 दिसम्बर 1958 वाली बैठक की सिफारिशें थी। उनके अनुसार जहां तक हो सकेगा 500 रुपये तक वेतन वाले पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जायेगी।

इस बारे में सरकार ने हिदायतें जारी की है और स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। यह देखा गया है कि समिति की सिफारिशें संविधान के विरुद्ध है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियुक्ति के लिये स्थानीय लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

दूसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन से जो 30 अगस्त, 1965 को सभापटल पर रखा गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन से जो 30 अगस्त, 1965 को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES—(Query)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) Mr. Speaker, Sir, I do not want any information in regard to military action going on the war-front in Kashmir. Under rule 197 we can seek information from Ministers. Some very important moves are afoot. The Security Council is likely to meet and Chief Minister of Kashmir Shri Sadiq has made some statement. In this context I would request you kindly to allow a discussion on policy etc.

Mr. Speaker : I have not considered any one of the notices sent to me to be convincing for having a discussion here. So he may take the trouble of coming to my chamber. I will send for his notices again and see again.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) Sir, it has been said that nothing about Kashmir should be said. I agree with this suggestion, but many things are coming in newspapers. We are quite unaware of these things. Western Powers are putting pressure. If the Hon. Minister makes a statement, it would be better.

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : श्रीमान जी, मेरा निवेदन है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधयक पर चर्चा के लिये समय बढ़ा दिया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोशिश करूंगा कि इस चर्चा पर समय और दो घंटे बढ़ा दिया जाये।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965—जारी

FINANCE (No. 2) BILL, 1965—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त (संख्या 2) विधेयक को लेंगे।

श्री बडे (खारगोन) : मैं श्री मसानी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं वित्त मंत्री इस कथन से सहमत नहीं हूं कि करों में वृद्धि से मूल्य नहीं बढ़ेंगे। इस विधेयक को गुप्त रखा गया है। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत सरकार की अर्थ व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। अब वित्त मंत्री अधिक कर लगा कर सुधार करना चाहते हैं। इस से हालत और खराब होगी। इस विधेयक के पेश होने के साथ साथ तांबे, डीज़ल तेल, पैट्रोल और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। माननीय मंत्री को इन कर प्रस्तावों पर पुनः विचार करना चाहिये।

श्री खाडिलकर (खेड) : प्रस्तुत अनुपूरक आय व्ययक के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बी० आ० शेनोय ने लिखा है कि आयात शुल्क में वृद्धि करने का हमारा उद्देश्य अनुचित लाभों को कम करना है जो उपभोक्ताओं को वहन करने पड़ते है। अनुमान है कि केवल 1963–64 में व्यापारियों ने आयात किय जाने वाले माल पर 460 करोड़ रुपये कमाय। जहां तक अत्यावश्यक उद्योगों को 35 प्रतिशत रियायत देने, एक प्रमुख अर्थशास्त्री के अनुसार यह आयातित वस्तुओं का केवल 35 प्रतिशत बैठेगी। छूट देने के साथ साथ इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि देश के उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाये। अधिक से अधिक मशीने देश में बनाने के लिये भी प्रयत्न करना चाहिए। इस से विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी। मैं नहीं समझता आयात शुल्क से उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़गा। जहां तक मूल्यों में वृद्धि का सम्बन्ध है इससे मूल्यों में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये कोई केन्द्रीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक आय व्ययक में रखे गये प्रस्ताव सराहनीय हैं। ब्रिटेन में भी, अपनी अर्थव्यवस्था को सुव्यस्थित रखने के लिये आयत शुल्क में वृद्धि की गई है, यद्यपि वह कई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं का सदस्य है। वित्त मंत्री महोदय ने आयात शुल्क बढ़ाने के साथ साथ कुछ छूट भी दी है। यदि शुल्क बढ़ाने से कोई कठिनाई पैदा होगी तो वह दी गई छूट से कम हो जायेगी। छूट देने का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ा कर आयात कम करना है।

जहां तक मूल्य बढ़ने का प्रश्न है उसके लिये वित्त मंत्री महोदय को दोशी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उत्पादकों और वितरकों के सहयोग के बिना मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। मूल्यों को बढ़ने से रोकना तथा उसके लिए कार्यवाही सुनिश्चित करना योजना आयोग का काम है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : प्रस्तुत संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते क्योंकि इनमें कुछ उद्योगों आयात शुल्क से मुक्त रखने की मांग की गई है। कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना गलत है कि लगाये जाने वाले अतिरिक्त करों की वसूली पर 33 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। यह वृद्धि चन्दा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से की जा रही है जो समिति ने उत्पादन विभाग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में की थी।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि इन प्रस्तावों से स्टेनलेस स्टील के मूल्य बढ़ जायेंगे। हमने उस पर अधिभार समाप्त कर दिया है अतः स्टेनलेस स्टील के मूल्यों में वृद्धि होने की बजाय मूल्य गिर गये हैं। हमारे ये प्रस्ताव अस्थायी हैं जिन्हें तदर्थ रूप से प्रस्तुत किया गया है और जैसे ही हालत सुधर जायेगी, प्रत्येक वस्तु पर 10 प्रतिशत कर समाप्त कर दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/
Amendment No. 11 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : क्या संशोधन संख्या 12 और 13 को मतदान के लिए एक साथ रखा जाये ?

श्री नारायण दांडेकर : मैं चाहता हूं वे अलग अलग रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/
Amendment No. 12 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ/
Amendment No. 13 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 25 was added to the Bill*

खंड 26 (1944 के अधिनियम एक का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 19, पंक्ति 2,—

"Eighty" ("अस्सी") के स्थान पर "Ninety" ("नब्बे") रखा जाये। [3]

श्री मी० रू० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 14, 15, 16 प्रस्तुत करता हूं।

मंत्री महोदय द्वारा यह दावा करना झूठा तथा भ्रामक है कि उत्पादों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। भट्टी में प्रयोग होने वाले तेल को ही लीजिये। इसका प्रयोग निर्माण प्रक्रियाओ के लिये, जिसमें इस्पात उद्योग की प्रक्रियायें भी शामिल है, किया जाता है। पहले भट्टियों में कोयले का प्रयोग किया जाता था। प्रगति के साथ साथ उपयोगिता तथा मितव्ययता की दृष्टि से कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग भट्टियों में किया जाने लगा, भट्टी में प्रयोग होने वाले तेल पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के परिणाम-

स्वरूप हमें धमन भट्टियों में इस्पात पिघलाने के लिये आधुनिक ईंधन के स्थान पर फिर से "कोकिंग" कोयले का प्रयोग करना पड़गा। अतः यह एक प्रतिक्रियात्मक शुल्क है जो हमें तेजी से प्रगति कर रहे इस औद्योगिक युग में भी पुराने तरीके पर काम पर विवश करेगा यदि हमें भट्टियों तेल का प्रयोग करेंगे तो हमें इस्पात की कीमत भी आवश्यक बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उसकी लागत कीमत बढ़ जायेगी।

इसी प्रकार जस्ता स्पेल्टर बनाने के काम आता है जिससे जस्ते की चादरें बनती हैं। जस्ते पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से उत्पादन लागत बढ़ जायेगी जिससे उसके मूल्य में वृद्धि होना अनिवार्य है। चूंकि जस्ते की चादरों का उपयोग गरीब से गरीब किसान भी अपनी छत आदि बनाने के लिये प्रयोग में लाता है अतः मूल्य बढ़ जाने से इसका प्रभाव किसान पर भी पड़ेगा।

मुझे जानकारी दी गई है कि जस्ते पर अनिर्मित रूप में शुल्क लगाना व्यापार तथा प्रशुल्क सामान्य समझौते का उल्लंघन करना है, मंत्री महोदय को इस मामले में विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए और इस शुल्क को हटा दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं पेट्रोल और डीजल तेल पर शुल्क के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मोटर गाड़ियों सम्बन्धी तेल ईंधन पर पहले ही बहुत अधिक है। उदाहरणार्थ, डीजल पर उत्पादन शुल्क उसके वास्तविक मूल्य का 400 प्रतिशत है। भारत में डीजल पर सबसे अधिक शुल्क लगाया गया है और उस पर भी डीजल पर और अधिक उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इसका प्रभाव यह होगा कि कराधान यथा मूल्य के 400 प्रतिशत से 440 प्रतिशत तक बढ़ जायेगा। डीजल तथा पेट्रोल पर अतिरिक्त शुल्क से न केवल यातायात अपितु उन वस्तुओं की जिनका यातायात किया जाता है, उदाहरणार्थ, अनाज का बाजार में लाया जाना, लागत बढ़ जायेगी, इससे बेरोजगारी भी बढ़ जायेगी तथा हमारे निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पेट्रोल या अन्य किसी ईंधन पदार्थ की अपेक्षा डीजल तेल से 40 प्रतिशत अधिक शक्ति प्राप्त होती है। मुझे यह कहते दुख होता है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त उर्जा सर्वेक्षण समिति ऐसे निष्कर्ष पर पहुंची है कि डीजल बंद कर दिया जाय और पेट्रोल चालू कर दिया जाय या पेट्रोल बंद कर दिया जाये और कोयले को प्रोत्साहन दिया जाय। हमारे आर्थिक विकास से इस दशामें किसी सरकारी समिति की ऐसी रिपोर्ट निरर्थक है। इस समिति के और योजना आयोग के सदस्य देश को प्राचीन युग की ओर ले जाना चाहते हैं जब कि उन्नत राष्ट्र प्रौद्योगिकीय उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। चूंकि हमारी आर्थिक नीतियां दोषपूर्ण हैं और नेताओं ने इस देश को दिवालिया बना दिया है इसलिये वह कहते हैं कि "आपको ऐसी चीजों का कम इस्तेमाल करना चाहिये जिनमें विदेशी मुद्रा लगती हो।"

एक माननीय सदस्य ने डा० शिनॉय के उद्धरण दिये हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि श्री शिनॉय उन सर्वोच्च भारतीय अर्थशास्त्रियों में से एक हैं जिनकी बातें पश्चिम के आर्थिक क्षेत्रों में बड़ी ध्यान से सुनी जाती हैं। मेरे माननीय मित्र श्री खाडिलकर इस बात को समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री उस दिशा में क्यों नहीं जा सकते जिसकी ओर कि माननीय सदस्यने संकेत किया है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि एक दो वाक्य इधर उधर से लेकर उनके संपूर्ण दर्शन की नकल की जाये।

श्री खाडिलकर : मैं चाहता हूं वित्त मंत्री पेट्रोल और पेट्रोल से बनी चीजों पर प्रशुल्क बढ़ाने के प्रश्न पर पुनः विचार करें। इस कर से अनाज, सब्जियों आदि के परिवहन पर गहरा असर पड़ेगा और अन्त में सामान्य जनता के लिये मूल्य स्तर बढ़ जायगा जिससे उसका

[श्री खाडिलकर]

जीवन अधिक कठीन हो जायगा । अभी एक दिन पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने बताया था कि इस कर की वजह से कलकत्ता के यातायात पर सालाना 12 लाख रुपये का बोझ बढ़ जायगा ।

जैसा कि श्री मसानी ने बताया है, पिछले कई वर्षों से बराबर ही पेट्रोल और पेट्रोल से बनी चीजों पर कर लगाये जा रहे हैं और विदेशी तेल कम्पनियों से या विदेशी बाजारों में जो भी रियायत या छूट मिलती है उसका एक पैसा भी उपभोक्ता को नहीं दिया जाता । इस पहलू पर भी बड़ी सावधानी से विचार किया जाना चाहिये ।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि घटिया दर्जेका मिट्टी का तेल गरीब का ईंधन है । लेकिन अब ऐसी बात नहीं रह गयी है क्योंकि परिवहन उद्योग बड़े पैमाने पर उसका हाई स्पीड डिजल तेल की जगह इस्तेमाल कर रहा है । इसलिये उस रियायत का अब दुरुपयोग किया जा रहा है । हम बहुत कम दाम पर पेट्रोल का निर्यात कर रहे हैं लेकिन साथ ही डीजल तेल का आयात भी कर रहे हैं । मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इससे क्या लाभ होता है । पेट्रोल के बजाय डीजल तेल के प्रयोग से होने वाली लाभ-हानि पर विचार करने के लिये उनसे प्रार्थना करते हुए मेरी उनसे अपील है कि जहां तक मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर अतिरिक्त प्रशुल्क का संबंध है, व इस पर अवश्य पुनः विचार करें क्योंकि मिट्टी के तेल पर कर लगान से सीधे गरीब जनता पर उसका प्रभाव पड़ता है । परिवहन लागत बढ़ने से चीजों की किमतें भी बढ़ जायेंगी और उसका जीवन और कठीन हो जायगा ।

यहीं पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि देशमें इस समय परिवहन उद्योग सुसंगठित नहीं है और व्यक्तिगत मोटर गाड़ियाँ चलाने वालों को बड़े बड़े चालकों से मुकाबला करना पड़गा और इस कारण परिवहन उद्योग को इस कर से सबसे अधिक नुकसान होगा ।

इस उद्योग पर पहले ही बहुत ज्यादा कर लगाये जा चुके हैं और उन करों की जांच के लिए एक समिति भी नियुक्त की गई है । इसलिए उस पर इस समय ज्यादा बोझ डालना उचित नहीं होगा क्योंकि उससे सामान्य जनता पर भी बोझ बढ़ेगा और उसके रहन सहन के स्तर तथा सुखशान्ति पर भी बुरा असर पड़ेगा । इसलिये वित्त मंत्री से अपील है कि वे इस स्थिति पर पुनः विचार करें ।

श्री नारायण दांडेकर : यह बड़ी विचित्र बात है कि एक ओर तो विविध भारतीय उद्योगों का विकास करना हमारा मुख्य लक्ष्य रहा है किन्तु दूसरी ओर हम उन उद्योगों पर उत्पादन शुल्क तथा करों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं । गत दस पन्द्रह वर्षों में हम देश के औद्योगिकरण के लिये प्रयत्न करते रहे हैं किन्तु वित्तीय नीतियां इस प्रकार की रही है कि जितना शीघ्र उद्योगों का विकास हुआ उतना अधिक उत्पादन शुल्क उन पर लगाया गया । औद्योगिक विकास के लिये कम दरों पर उत्पादन शुल्क के लाभ तो स्पष्ट हैं किन्तु यह अनुचित है कि औद्योगिक विकास की उपेक्षा करके केवल राजस्व के लिय उत्पादन शुल्क की दरें बढ़ायी जायें । परिणाम यह है कि बढ़ते हुए उत्पादन का लाभ उपभोक्ता को कम दामपर अनेक प्रकार की वस्तुओं के रूप में प्राप्त होनें की कोई संभावना मुझे नही दिखायी पड़ती ।

दूसरी बात यह है कि हम प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में एक ही समय में आगे बढ़ने और पीछे हटने की बातें करते हैं । दुनिया में सबसे शीघ्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तन शक्ति के उत्पादन के क्षेत्र में हो रहा है जैसे कोयले की जगह भट्टी का तेल, भट्टी के तेल की जगह डीजल तेल और डीजल तेल की जगह पेट्रोल का प्रयोग किया जा रहा है । लेकिन हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भट्टी के तेल के बजाय कोयले का, और पेट्रोल की बजाय भट्टी के तेल का प्रयोग कायम रखें । इस तरह यह भी एक अजीब बात है कि एक ही साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने जैसी बातें कर रहे हैं ।

तीसरी बात यह कि मुझे यह सुझाव भी बड़ा अजीब मालूम होता है कि उत्पादन शुल्क से सालाना 52 करोड़ रुपये की रकम निकाल लने पर भी मूल्य स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा या उससे सिर्फ 3 या 5 प्रतिशत से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें से प्रत्येक उत्पादन शुल्क का बोझ जहां तक विभिन्न प्रकार के ईंधनों से संबंध है, उपभोक्ता पर तीन महीनों में या एक हफ्ते में जरूर पड़गा, उसके परिवहन या ईंधन खर्च पर उस शुल्क का बोझ पड़ बिना नहीं रह सकता। कई बिजली कंपनियां बिजली की दरें भी बढ़ा रही हैं। आगे यह कहना कि कच्चा लोहा, लोहे और इस्पात की बनी चीज, तांबा, आदि पर लगाये गये करों से भी कमी वाली अर्थव्यवस्था के कारण सामान्य उपभोक्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा बिलकुल गलत है। क्योंकि सारा आर्थिक ढांचा जो निर्माण हो रहा है, वह बिलकुल ही लाभदायक नहीं सिद्ध हो रहा है।

खंड 26 के उपखंड (क) में जो संशोधन मंत्री महोदय, शायद छपाई की गलती की वजहसें करना चाहते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Mr. Speaker, Sir, it is well known that Shipping is called the second line of defence. Further, our coastal shipping is today between life and death. As 90 per cent of ships today use furnace oil, the impose on it would certainly hit hard the shipping industry. You have allowed the ship-owners to take 10 p.c. additional freight but you are taking more than double on the other side. If you want that our ships reach your ports, this impose on furnace oil should be withdrawn. We have to compete with great powers like Britain & U.S.A. in international market because the furnace oil is cheaper in England, America & France. If freights in our ships rise on account of duty on furnace oil, nobody would prefer to tranship goods in our ships and all the investment in shipping industry may prove useless. I would therefore request to the Finance Minister to withdraw the duty on furnace oil.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपूर) : मेरी समझ में यह संपूर्ण खंड एकीकृत वित्तीय करों का रूप है। दुसरें शब्दोंमें, यह कई ईंटोंसे बना हुआ एक मकान है और यदि आपने एक ईंट भी हटाली तो सारा मकान ढह जायगा। मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि इन करों से परिवहन उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा तो दूसरे माननीय सदस्य ने कहाकि नौसेना को बड़ा नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि यह सारी चीज एक विशिष्ट संदर्भ में, हमारे शोधन सन्तुलनकी स्थिति तथा अन्य क्षेत्रों में हमारी कठिनाइयों के संदर्भ में की गयी है। अगर एक चीज पर से आप कर हटाते हैं तो इस बात के लिए कोई कारण नहीं है कि दूसरी चीजों पर से भी कर क्यों न हटाये जाये। इसलिये मेरी राय यह है कि वित्तीय दढ़ता और स्थिरता की दृष्टि से ये सभी बातें उसी तरह कायम रहनी चाहिये जैसी कि वे प्रस्तुत की गयी है।

यह दूसरा वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय देश का जो वित्तीय ढांचा वित्त मंत्री महोदय के दिमाग में था उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी के बिना यदि वह किसी को रियायत दे सकते हों तो वह भले हीं दे लेकिन मेरी राय में अलग अलग छिटपुट तौर पर कोई रद्दोवदल नहीं किया जाना चाहिये। अन्यथा सारा ढांचा बैठ जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि खंड 26 निकाल दिया गया तो सारा ढांचा ढह जायगा। इसलिये उसमें कोई परिवर्तन या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान इस बात की और आकृष्ट करना चाहता हूँ कि देश में उपलब्ध ईंधन की विभिन्न वस्तुओं क मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार की कोई आधारभूत ईंधन नीति नही है। मैं श्री दी० चं० शर्मा के इस कथन से पूर्ण सहमत हूं कि हम एक समुदाय में पड़ने वाली कुछ विशिष्ट

[श्री. के. दे. मालवीय]

वस्तुओं के संबंध में, जैसे पेट्रोलियम से बनी चीजों के बारे में छिटपुट नीति बरत रहे हैं और उससे उनके उत्पादन और खपत को नुकसान पहुंचा है। इस छिटपुट नीति के कारण ही कोयला उत्पादन के कार्यक्रम भी ढीले पड़ गये हैं। जहां तक संभव हो, कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये लकिन वह तभी हो सकता है जब उत्पादकों को लाभ हो। आज कोयला उत्पादक को कोई अधिक लाभ नहीं होता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि संपूर्ण कर नीति जो आज आदर्शवादी बातों पर आधारित है, समन्वित की जाये और एकीकृत ईंधन नीति निर्धारित की जाये। इस तरह सरकार को राजस्व भी निश्चित रूप से मिलता रहेगा और उपभोक्ता को मूल्यों का दबाव भी महसुस नहीं होगा।

आज मिट्टी के तेल का दाम बढ़ जाने के कारण देहातों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उत्पादन शुल्कों में थोड़ी बहुत वृद्धि के प्रति मेरा विरोध नहीं है कि वह संपूर्ण मूल्य ढांचे का बहुत सूक्ष्म अंश होगा लेकिन मिट्टी के तेल के काले बाजार से बड़ा हाहाकार मच रहा है। उसके वितरण में असन्तुलन है और वितरण को विनियमित करने के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके लिये सरकार ही दोषी है क्योंकि वह यह नहीं कह सकती कि उसने मिट्टी के तेल का वितरण राज्य सरकारों और फुटकर विक्रेताओं को सौंप दिया है और इस लिये वह इस असन्तुलन के लिये उत्तरदायी नहीं है।

मैं समझता हूं कि यदि सरकार मूल्य तथा उत्पादन की मात्रा के संबंध में ईंधन नीति निर्धारित करने के लिये कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करें, तो उस से अन्त में औद्योगिक उत्पादन तथा तेल की खपत को प्रोत्साहन ही मिलेगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : तेलों के संबंध में एक बात यह माननी होगी कि देश में उनका उत्पादन बहुत कम है। हमें काफी मात्रा में तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। इंधन नीति, मूल्य निर्धारण नीति और वितरण नीति अवश्य निर्धारित करनी होगी। तेल के वितरण के तरीके मे शीघ्र सुधार करना होगा। वितरण के दृष्टिकोण से हम जनता कि सेवा यथोचित रीति से नहीं कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि प्रति टन-किलोमीटर माल भाड़ा लगभग 10 पैसे है और करमें वृद्धि 26 पैसे होगी और इसलिये वृद्धि 0.26 प्रतिशत होगी। पैसेंजर-किलोमीटर के लिये सामान्य किराया 3 पैसे है और वृद्धि .029 पैसे होगी। इसलिये वह एक प्रतिशत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी कर अनुचित है और यदि हो सके तो मैं उन्हें खत्म करना चाहूंगा लेकिन आंकड़ों की दृष्टि से इन बढ़ोतरियों का परिणाम बिलकुल बेहूदा है।

दूसरी बात व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार से सम्बद्ध वस्तुओं के बारे में है। विशेषज्ञों ने मुझे बताया है कि इससे हमारा समझौता भंग नहीं होता क्योंकि हमारे यहां उत्पादन बहुत थोड़ा है। सामान्य करार के अधीन स्पष्ट रूप से अनुमति है कि उत्पादन शुल्कों के बराबर शुल्क लगाये जा सकते हैं।

मिट्टी के तेल के संबंध में मुझे कहा गया है कि हम प्राचीन युग की ओर जा रहे हैं। दिनांक 27 अगस्त 1965 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित एक पत्र श्री हिगिनसन का जो नशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल के कोलंम्बो योजना ईंधन कार्यक्षमता विशेषज्ञ हैं, मेरे पास यहां हैं। उन्होंने लिखा है कि यह कर मुख्यत: उन्हीं को चुभता है जो सबसे ज्यादा तेल बर्बाद करते ह क्योंकि देश के प्रत्येक कारखाने में जितनी शक्ति, ईंधन और तेल बर्बाद होता है उसे देखत हुए उसपर भारी शुल्क लगाये जाने से उद्योगों के प्रबन्धकों को अन्त में तेल की खप के बारे में दुबारा सोचना होगा। मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिह ने तटवर्ती जहाजों की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्पादन शुल्क की छूट का लाभ विदेशी जहाजी कंपनियों को मिलता है। मैंने इस मामले की जांच करने का वादा किया है और उम्मीद है कि हम इस बारे में कुछ कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न

परिवहन का है। मेरे एक मित्र ने बताया कि रेलवे बहुत बड़े पमाने पर डीज़ल तेल का प्रयोग कर रही है। वास्तव में हम केवल उन्हीं प्रदेशों में तेल का प्रयोग कर रहे हैं जहां कोयले की ढुलाई का खर्च बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है हमें उसपर फिर सोचना पड़े। भाँपवाले सामान्य इंजन की अपेक्षा डीज़ल इंजन अधिक बोझ खींचता है। जो भी हो, जहां तक रेलवेका संबंध है, हमें परिवहन के उस प्रकार पर जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो, कुछ पाबन्दी अवश्य लगानी होगी। लेकिन आंकड़ों की दृष्टिसे मैं कह सकता हूं कि उसका कोई गहरा असर नहीं पड़ता। सच तो यह है कि उपभोक्ताको न केवल ज्यादा कीमत देनी पड़ती है बल्कि उसे खराब किस्म का जैसे पानी मिला तेल मिलता है। अतः मेरी धारणा है कि विरोधी दल के सदस्य का नकारात्मक दृष्टिकोण हम स्वीकार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 19 पंक्ति 2--

"Eighty" ("अस्सी") के स्थान पर "Ninety" ("नब्बे") रखा जाये" (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 18 में पंक्तियां 30 से 39 तक निकाल दी जायें।" (14)

लोक सभामें मत विभाजन हुआ/*The Lok Sabha divided*

पक्ष में 35; विपक्ष में 106/Ayes 35; Noes 106

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The Motion was negatived*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 और 16 मतदान के लिये रखे गये तथा वे अस्वीकृत हुअे /*Amendments Nos.* 15 *and* 16 *were put and negatived*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The Motion was adopted*

खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया /*Clause* 26 *as amended was added to the Bill*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The Motion was adopted*

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी / *The Schedule was added to the Bill*

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम भी विधेयक में जोड़ दिये गये/*Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूपमें, पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री नारायण दांडकर : अध्यक्ष महोदय, म इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मुख्यत: विधयक के उन उद्देश्यों के संबंध में जो विदेशी मुद्रा और भुगतान शेष की समस्यासे संबंधित है । इस विधेयक के मुख्यत: तीन उद्देश्य है जसा कि वित्त मंत्री ने 19 अगस्त के अपने भाषण में बताया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पहला चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों के लिये कुछ राजस्व उत्पन्न करना, दूसरा, देश में मूल्यों पर नियंत्रणकारी प्रभाव, तीसरा भुगतान शेष की स्थिति पर अच्छा प्रभाव । मुझे उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस विधेयक के विदेशी मुद्रा संबंधी प्रभाव का विवेचन करेंगे लकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई है जिससे यह मालूम हो सके कि स विधेयक से दश की सम्मुख उपस्थित समस्याएं ठीक ठीक किस तरीके से हल की जा सकती है ।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अवमूल्यन पर विचार करने का यही उपयुक्त अवसर है । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की वर्तमान तथा भविष्य की नीतियों में इस बात का कोई संकेत या आशा नहीं दिखायी पड़ती कि भुगतान शेष संबंधी स्थिति में कोई सुधार होगा । सरकार केवल यही कर रही है कि अपनी सभी गलत सलत नीतियां अगले चुनावतक कायम रखी जाये । इसलिये मेरा सुझाव तो यह है कि सदन इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि जिन उद्देश्यों के लिए यह विधयक प्रस्तुत किया गया था उनकी पूर्ती के लिये क्या यह विधेयक पर्याप्त है ।

मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार की बातों से दो प्रकार की जिम्मेदारियां आती हैं । एक तो यह कि और भी कुछ व्यावहारिक नीति हो सकती हैं जिसको लागू किया जा सकता है तथा दुसरे यह कि वह दूसरी नीति क्या हो सकती है । इस संबंध में मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं और प्रयत्न करूंगा बताने का कि यह दूसरी नीति क्या हो सकती है ।

जिस नीति की मैं सिफारिश करूंगा उसके दो भाग हैं । पहला यह है कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप जो भार हम पर पड़े उसको कम किया जा सके तथा दूसरे वर्तमान स्थिति को बिगड़ने से रोकने का प्रयत्न करें ।

इस आधार पर यदि हम विचार करें तो मालूम होता है कि विधेयक के खण्ड 25 के अनुसार स्पष्ट हैं कि हमें अपने आयात बहुत कम करने हैं । ऐसा करने के लिये आवश्यक हो जाता है कि हम मुद्रा एकत्र करें तथा जिन वस्तुओं का आयात आवश्यक हो केवल

उन्हीं वस्तुओं का आयात करें। परन्तु इन कुछ वस्तुओं का आयात होने पर निश्चित है कि इन वस्तुओं के मूल्य अत्याधिक होंगे और यह ज़रूरी नहीं कि ये अधिक मूल्य सरकार को ही मिलें। इस प्रकार से अवमूल्यन को बढ़ावा मिलेगा और मुद्रा स्थिती होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विधेयक के खण्ड 25 से जो आशा की जा रही है कि अवमूल्यन रुक जायेगा वह आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है। केवल इतना कहा जा सकता है कि इससे अवमूल्यन कुछ समय के लिये रुक जाये।

अवमूल्यन का सहारा यदि हम अभी नहीं लेना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका यह है कि रुपया भुगतान के आधार पर हम वस्तुओं का आयात करें। परन्तु रुपया भुगतान की भी अपनी कुछ अलग बुराइयां हैं। जिनको मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए बता चुका हूं। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार है। पहला सुझाव यह है कि रुपया भुगतान के आधार पर होने वाले निर्यात पर ही आयात होने चाहिए। इसके अतिरिक्त ये आयात भी निर्यात की तुलना में कम होने चाहिये। तीसरे इन पर नियंत्रण होना चाहिये।

कुछ ऐसी आशंका सी नज़र आति है कि हम पहले से होने वाले निर्यात से विदेशी मद्रा उतनी अर्जित नहीं कर पायेंगे जितनी हमें करनी चाहिये। इस लिये अवमूल्यन ही नज़र आता है। परन्तु अवमूल्यन से हम दो प्रकार से बच सकते हैं। एक तो यह कि हम अपने ऐसे निर्यात को राजसहायता दे। इस प्रकार इन वस्तुओं का हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा सकते हैं। परन्तु यदि हमारे 'गैर' के समझौते हमें राजसहायता देने में बाधा बनते हों तो हम उन्हें यह बता सकते हैं कि यदि हम 12½ से 20 प्रतिशत तक अवमूल्यन करे तब भी ऐसा ही होगा इसलिए क्यों न हम अपने निर्यात में पहले ही राजसहायता की व्यवस्था कर दे। इस प्रकार हमें 'गैर' को समझा सकते हैं।

मैं यह चाहता हूं कि विधेयक का खण्ड 26 विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री अपने 24 दिसम्बर तथा इस वर्ष के 17 फरवरी के भाषणों में वायदा कर चुके हैं कि सभी गैर-योजना व्यय को कम करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि इससे अच्छा समय और कोई नहीं होगा जब कि वह अपना यह वायदा पूरा करें। उन्हें अब ऐसा अवश्य करना चाहिये। अब हमें चौथी योजना में भी कमी करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि वतमान योजना की अवधि दो वर्ष और बढ़ा देनी चाहिये। तथा चौथी योजना को पांच वर्ष के स्थान पर सात वर्ष की कर देना चाहिये। इस प्रकार हमें अपनी योजना को पूरा करने के लिये समय मिल जायेगा और साधन भी मिल जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता–पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का यह तृतीय वाचन है, इसीलिये मैं इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में ही दो शब्द कहूंगा। यह विधेयक इसलिये पेश किया गया है कि जिससे छिपा हुआ धन बाहर निकल आये।

इस पर चर्चा के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत में विदेशी मुद्रा बहुत कम है। परन्तु प्रतिदिन हमको समाचारपत्रों से मालूम होता है कि इतने मंत्री तथा उच्चाधिकारी विदेशों में गए। मैं एक उदाहरण दूंगा। जीवन बीमा निगम ने हाल में ही आइ० बी० एम० 1410 नामक एक यंत्रीकृत इलेक्ट्रानिक कम्यूटर मंगाया है। आज जब यह हालत है कि हमारे देश में उद्योगों को इसलिये नुकसान हो रहा हैं कि हम कच्चा माल आयात नहीं कर पा रहे हैं तभी इस प्रकार की चीजों का आयात करना जिनसे केवल कार्यदक्षता बढ़ती हो कहां तक उचित है। इस यंत्र के लगने के कारण बहुत से कर्मचारियों की छंटनी भी हुई है।

[डा० रानेन सन]

मुझे मालूम हुआ है कि जीवन बीमा निगम की देखा देखी डनलप आदि अन्य कम्पनियां भी इन प्रकार के यंत्र मंगा रही है। इस प्रकार एक ओर तो हम अपनी विदेशी म ा खर्च करते हैं तथा दूसरी ओर देश में बरोज़गारी बढ़ती है। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं मध्यम वर्ग द्वारा बचत करने के प्रश्न को लेता हूं। दिसम्बर 1963 में यूनिट ट्रस्ट बिल पर बोलते हुए वित्त मंत्रीने कहा था कि मध्यम वर्ग को धन बचाना चाहिये और यूनिट ट्रस्ट की यूनिट खरीदनी चाहिये। परन्तु मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। जब कोई व्यक्ति यूनिट खरीदता है तो उसको 10 रुपये के मल्य की यूनिट का 10 रुपये 45 पैसे अथवा 10 रुपये 50 पसे देने पडते हैं। परन्तु यदि वह व्यक्ति अपनी यनिट पुनः बेचना चा तो उसको 10 रुपये 15 पैसे के हिसाब से यूनिट बेचना पड़ता है। इस प्रकार मध्यम वर्ग के लोग यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में धन लगाना अपने धन की बरबादी समझते हैं। हमारे देश में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं।

आज कलकत्ते में बहुत सी एसी कम्पनियां है जो कम बीजक तथा अधि-बीजक बनाकर विदेशी मुद्रा का अपव्यय करती है। कलकत्ते में बर्ड एण्ड कम्पनी नामक एक कम्पनी है जिस पर 1.60 करोड़ रुपये का जर्माना इसी कारण से किया गया था। इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि सरकार को आयात तथा निर्यात व्यापार को स्वयं अपने हाथ में ले लेना चाहिये और विदेशी मुद्रा का अजन करना चाहिये।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Sir, this is the third reading of the Bill and it is not possible at this stage to raise objections. But at least we can ask why this second finance Bill has been introduced. I would like to draw the attention of Hon. Members to the Article No. 112 of the Constitution. It is clearly provided in this Article that the Budget should be presented in the Parliament after the President's address. If there is any emergency then the President should call the meeting of both the houses and then present the second Finance Bill. I think Government have presented this Bill in a dictatorial manner.

In the clause 9 of this Bill Government have provided that if a man gives some money for "Charitable Purpose" then this money is also to be taxed. In other words he will have to give income-tax over that money. This is my impression that since this Congress Government came into power, it is always trying to harass Hindus. I know that lakhs of rupees are being spent on the repairs of Taj-Mahal and to beautify Juma-Masjid but when somebody spends any money for the repairs etc. of any Mandir then you are going to put tax on this charity. I ask that this is secularism. I appeal that Government should again think over this matter.

Government have raised the duty on Diesel oil and kerosene. I think this will also be a burden on the lower class. Uptil now a man was paying Re. 1/- for travelling a distance but now he will have to pay Rs. 1·80 for same distance. I appeal to Government to think over this matter and should try to do away with the Planning Commission as whatever money you put in this department it always demands more. Therefore at least for five years we should dissolve this department.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे यह नहीं समझा जाना चाहिये कि मैं देश के आर्थिक विकास का अथवा योजना का विरोधी हूं। मैं भी चाहता हूं कि देश में आर्थिक असमानता न रहे।

माननीय मंत्री ने इस विधेयक को पेश करते समय कहा था कि योजना को सफल बनाने के लिये सरकार ने यह विधेयक पेश किया है। इससे हमें धन मिलेगा। परन्तु मुझे यह बताते हुए बड़ा खेद है कि इन करारोंपणों से साधारण जन पर ही भार पड़ेगा। मेरा उनसे यही अनरोध है कि कृपा करके ऐसा कोई तरीका अपनायें जिससे यह भार साधारण जन पर न पड़े।

मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को एक वर्ष में एक बार ही इस विधेयक को पेश करना चाहिये। उनको इन करारोपणों के लिये अगले बजट तक प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। परन्तु मेरा अपना विचार यह है कि उन्होंने यह विधेयक इसलिये पेश उस समय नहीं किया क्योंकि तब निर्वाचन निकट होंगे और वह नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी की उस समय बदनामी हो। इसलिये मैं समझता कि राजनतिक कारणों से उन्होंनें यह विधेयक पेश किया है।

वित्त मंत्री बार बार ऐसा कहते हैं कि वह अपने मंत्रालय में मितव्ययता करने के पक्ष में हैं तथा उन्होंने ऐसे आदेश भी दिए हैं कि राज्य प्रशासन तथा केन्द्र में खर्च कम हो। परंतु ऐसा मालूम होता है कि प्रशासनिक खर्च में कोई कमी कहीं भी नहीं आई है जबकि हम इस खर्चे में कमी करके 200 से 300 करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं।

और मेरे इस विधेयक के विरोध करने का अंतिम कारण यह है कि सभी लोक जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है कीमतों के बढ़ जाने की शिकायत की है। मंत्री महोदय इसका उत्तर यह देते हैं कि हमारी प्रणाली संघप्रणाली है और कृषि का विषय राज्यों के अधिकार के अन्तर्गत आता है। यह भी मंत्री महोदय ने कहा कि अधिक साधनों की अपेक्षा है, क्योंकि राज्यों की मांगें निरन्तर बढ़ रही है। क्या राज्यों ने केन्द्रीय आयोजन को स्वीकार नहीं किया है? यदि किया है तो इस तर्क में कोई तुक नहीं कि राज्य सहयोग नहीं देते। एक अजीब सा कुचक्र चल रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि कीमतें उच्चतम शिखिर पर पहुंच गयी है और अब उसका अन्त होना चाहिये, अब तो कीमतों का स्तर सामान्य होना चाहिये।

कीमतों को स्थिर करने के बारे में हममें कई बार इस सभा में चर्चा हुई है। कीमत स्थिरता बोर्ड की नियुक्ति नहीं की गयी। आज स्थिति ऐसी है कि देश को बताया जाय कि इस दिशा में उसकी स्थिति क्या है। कीमतें बढ़ती गयी तो योजना का खर्चा भी निरन्तर बढ़ता चला जायेगा। देश वित्त मंत्री के कराधान का समर्थन ही करता चला जाय, यह बहुत अच्छी आकांक्षा नहीं है। सरकार के विरुध्द मेरी यह मुख्य शिकायत है कि वह समाजवादी आयोजन का दावा करती है, परन्तु इस दिशा में कोई व्यवहारिक पग नहीं उठाती। हमारी अर्थव्यवस्था की राह में जो रूकावटें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विरोधी पक्ष के चार विभिन्न दलों की ओर से जो सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं उनको मने बड़े ध्यान से देखा है। श्री दांडेकर के सुझाव कुछ ठोस थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उन्होंने परिश्रम किया है। उन्होंने पूछा कि इस अनुपूरक बजट से विदेशी विनिमय की स्थिति किस प्रकार सुधरेगी। बड़ी स्पष्ट बात है कि आयात पर नियन्त्रण करेंगे और आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बिना तो मशीनरी के आयात पर कर लगाने का कोई अर्थ नहीं रहता। मैं नहीं कह सकता कि उसका वास्तव में क्या प्रभाव होगा। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे सरकार की विदेशी विनिमय की कठिनाई कम होगी। और फिर वह किसी अन्य पग को उठाने की बात भी सोच सकेगी।

[श्री० ति० त० कृष्णमाचारी]

यह रुपया व्यापार वाली उनकी बात ठीक है । उसमें हमें यह देखना होता है कि वास्तव में ठीक कीमत क्या है । इस बारे में मेरा मत यह है कि इस दिशा में कुछ सचेत रहने की आवश्यकता है । प्रयास यह है कि रुपया पुनः वितरित करने के लिये कुछ तो हासिल किया जाय । आज मशीनरी की लोगों को जरूरत है और वे इसके लिये अधिक से अधिक कीमत अदा करने को तैयार हैं । इसी तरह श्री सेन ने आयात और निर्यात व्यापार का समाजीकरण करने की बात कही है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार के दो निकाय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज पदार्थ तथा धातु व्यापार निगम इस कार्य को कर रहे हैं । और ये निकाय जितने भी सौदें कर रहे हैं, वे सारे ही अच्छे हैं । कई बार कुछ बातें गलत होती हैं । इससे उन देशों से भी व्यापार करने की सुविधा होती है, यहां कि राज्य व्यापार की प्रणाली है । इस कार्य में जहां हमें कुछ दोष दिखाई दे, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिये ।

मैं श्री दांडकर को यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, उस पर मैं गम्भीरतापूर्वक विचार करूंगा । परन्तु मैं यह नहीं मानता कि खंड 26 का कोई प्रभाव नहीं है । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आप पेट्रोल का निर्यात करते हैं और फिर उस पर उत्पादन शुल्क भी लगाते हैं । यह तो एक अस्थायी अभियान है । खंड 26 का सम्बन्ध तो भारी विदेशी विनिमय की मात्रा से है । मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस मामले पर विचार करे । मैंने कल ही खर्च को कम करने की बात की है । हमें योजना के साथ सम्बन्धित न होने वाले खर्चों को कम करना चाहिए । हमारे सारे साधन शायद न काम आ सके, अतः योजना को कुछ कम करना होगा । हम योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ है । हमें यह याद रखना चाहिये कि योजना किसी प्रधान मंत्री, अथवा किसी दल के लाभ के नहीं होती, प्रत्युत यह तो देश के लोगों के सामुहिक कल्याण के लिये होती है । आज देश का प्रत्येक व्यक्ति योजना के बारे में सचेत हो रहा है । मेरा मतलब यह है कि हम सामान्य लोगों की भावनाओं से परिचित हैं ।

गांवों के लोगों को सिंचाई सम्बधी सुविधायें चाहिए । उन्हें कुयें चाहिये । इस दिशा में सरकार ने बड़ा शानदार काम किया है । हमने 92,000 कुयें प्रति वर्ष बनायें, यह कोई लज्जित होने वाली बात नहीं है । और वे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं । किसान और ग्रामीण भी विकास के प्रति जागरूक हो रहे हैं । सब कुछ चुनाव के लिये ही हो रहा है यह गलत बात है । कई बातें जरूरत के लिये भी की जाती है । हमने जो आश्वासन जनता को दिया हुआ है, उसे हमने पूरा करना होता है । योजना का हमें विकास करना है । भूत की उपेक्षा करके भविष्य का निर्माण करना है । वैसे सामुयिक रूप में हमारा काम बुरा नहीं रहा है । 1950–51 में राष्ट्रीय आय 8860 करोड़ थी और आज यह आकड़ा 14,930 करोड़ रुपया है । यह मैं नहीं कहता कि मैंने यह किया है परन्तु यह हुआ है ।

योजना लोगों के लिये है और जब लोगों ने इसके लिये काम किया है तो उसे उन्होंने स्वीकार किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ/*The Lok Sabha Divided*
पक्ष में 101, विपक्ष में 30/Ayes 101; Noes 30

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted*

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक---जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती (बैरकपूर): जो कुछ अलीगढ़ में हुआ वह बहुत ही खेद जनक है। उसी के फलस्वरूप यह अध्यादेश आया। देश भर में इससे काफी दुःख महसूस किया गया। परन्तु जो कुछ हुआ उसका डर काफी पहले से ही महसूस किया गया था। हम श्रीमाली जी के मदद में भी इस विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा इस सदन में कर चुके हैं। इसमें काफी राष्ट्र विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों का उल्लेख था। मैंने कहा था कि हमें भड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिये। हमने मुस्लिम साम्प्रदायवादी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया। श्री खालिक अहमद नजामी के काल में विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छे अच्छे स्नातक निर्माण कर रहा था। और उन लोगों पर हम गौरव कर सकते हैं। परंतु एक छोटे से दल जमायते इस्लाम की गतिविधियां आपत्ति जनक थी।

जी० सी० चटर्जी समिति ने जांच करने के बाद जो प्रतिवेदन दिया, उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। जो कुछ फिर होना था हुआ और उनके परिणाम हम भुगत रहे हैं। बहुत सीमित रुप में ही चटर्जी समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की गयी। स्थानीय लोगों की प्रतिशतता को 75 से कम करके 50 कर दिया गया था। इस पर आन्दोलन हुआ, एक कार्य समिति बन गयी। एक विद्यार्थी जमायते इस्लाम का सदस्य था, और एक जनसंघी था। दोनों दलों ने मिल कर उपकुलपति पर आक्रमण किया। यह मैं स्वीकार करती हूं कि उपकुलपति प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुसलमान हैं।

इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने संस्था के लिये बहुत अच्छा काम किया है। हाल की घटना साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा करायी गई है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने कहा है कि विश्वविद्यालय में वातावरण अच्छा ही है। इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम बहुत भावनात्मक प्रेम से देखते हैं। हमें बहुत सतर्कता से कार्य करना चाहिये और इस संस्था के मूलभूत आधार में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिय। इस विश्वविद्यालय ने महान विभूतियां पैदा की हैं। प्रत्येक भारतीय को इस संस्था पर गौरव महसूस करना चाहिये। हमें अपना दृष्टिकोण विशाल बनाना होगा और इस विश्वविद्यालय की महान परम्पराओं को जीवित रखना होगा। हम चाहते हैं कि सभी समुदायों के लोगों को अबाध प्रवेश मिलना चाहिये।

मैं इस विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में कुछ कहूंगी। आरंभ में यह एक स्कूल था। फिर यह एक कालेज बना और उस के पश्चात यह एक विश्वविद्यालय बना। साथ साथ यहां पर अध्ययन सम्बन्धी सुविधाओं में भी विस्तार होता गया। मुस्लिम समझते हैं कि यह अल्पसंख्यकों की संस्था है। हिन्दु बहुमत में है, उन्हें मुसलमानों की भावनाओं का आदर करना चाहिये। सरकारने इस अध्यादेश में आवश्यक बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मैं श्री चागला की भावनाओं का आदर करती हूं। वह इस संस्था की त्रुटियों को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विधेयक के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि हमें सभी शक्तियां विश्वविद्यालय की संसद से छीन कर 'विज़िटर,' में निहित नहीं करनी चाहिये। हमें विश्वविद्यालय की कार्यकारणी परिषद में इतने अधिक सदस्य मनोनीत नहीं करने चाहिये।

श्री मु० क० चागला : यह एक अस्थायी व्यवस्था है।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : यह बात ठीक है परन्तु भविष्य में पूर्वोदाहरण के रूप में यह स्थिति बतायी जा सकेगी । हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा । मैं चाहती हूं कि चटर्जी समिति के कुछ सिद्धान्तों को लागू किया जाये । जो बात अन्य विश्वविद्यालयों के लिये अच्छी है अलीगढ़ में भी लागू करनी चाहिये । हम चाहते हैं कि अलीगढ़ ज्ञान का केन्द्र बने और देश के विभिन्न सम्प्रदायों में एकता बढ़ाने का स्थान बने । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमें सभी शक्तियां विज़िटर को नहीं देनी चाहियें । बल्कि शिक्षा के विशेषज्ञों को यह काम सौंपना चाहिये । इससे वहां स्वस्थ वातावरण पनपेगा । इस लिये कार्यकारणी परिषद के गठन के समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों को पूरा पूरा प्रतिनिधित्व मिले । हमें अल्प संख्यकों के हितों का भी ध्यान रखना होगा । उन्हें विश्वास होना चाहिये कि उन के संस्कृति और परम्पराओं को पूरा संरक्षण मिल रहा है ।

यह ठीक है कि वहां पर हुई घटना उचित नहीं परन्तु हमें पहले से सचेत रहना चाहिये था ।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : मेरा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से 35 वर्षों से सम्बन्ध रहा है । यह एक महान संस्था है । भारतके मुसलमानों को यह बहुत प्रिय है यह कहा जा रहा है कि वहां पर साम्प्रदायिकता पनप रही है । अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब तथा पाकिस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री लियाकत अली को पैदा किया वहां उसने स्वर्गीय रफी अहमद किडवाई और प्रोफेसर राम पाल सिंह जैसे व्यक्तियों ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की थी । खान अब्दुल ग़फरखां भी इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे ।

25 अप्रैल, 1965 को उपकुलपति पर किया गया हमला बहुत लज्जा की बात है । परन्तु सभी ऐसी संस्थाओं में आप को साम्प्रदायिक तत्व मिलेंगे । हमें केवल अलीगढ़ विश्व-विद्यालय में ही यह बुराई नही मिलती बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्थायें मिलती हैं ।

मैं व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन नहीं करता । परन्तु जैसे श्री चागला ने कहा है कि यह कानून केवल कुछ समय के लिये बनाया जा रहा है मैं इस का विरोध भी नहीं करता । मैं आशा करता हूं कि इस बारे आगामी कानून बहुत व्यापक होगा ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I do not agree with Shri Masani, when he says that India is not a secular country. India's Constitution is a secular constitution. We have to preserve this aspect of our constitution. This is the only way to preserve the unity of our country. The move of secularism was started by Holy Oak in England.

The late Pandit Nehru had said that we cannot discard religious feelings but it should not affect our political and social life. If we discard the concept of secularism our country will disintegrate. Shri Yashpal Singh has referred to Article 30. He should know that this article deals with minorities. Here it is a question of education. Aligarh Muslim University is like three other institutions of national importance. We have Hindu culture, Muslim culture and Vedic culture. I feel we should have an Indian culture. Government funds should be utilised for the growth of Indian culture only. Ninety five percent expenditure of Aligarh Muslim University is sanctioned by this Parliament. This money does not belong to a parti-

cular community. It is Indian money and should be spent for the progress of Indian people as a whole and not particularly for one community. Article 28(1) applies to this University. Under this the issue of ordinance is justified. This Parliament has every right to make laws under this article.

We should not go into the past happenings. We should not have a probing eye over the past activities of Hindu or Muslim institutions. We should think of the future and try to make the best use of past experiences. I support the Education Minister for this measure.

श्री फ्रक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : यह विधयक एक महत्वपूर्ण कानून बनने जा रहा है। इस की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रियायें होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जो **शपथ पत्र** दिया है उससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों के मानों कोई अधिकार ही न हों। इस प्रकार तो अल्प संख्यकों की दशा बहुत खराब हो जायेगी। श्री रघुनाथ सिंह ने संविधान को ठीक प्रकार समझा नहीं है। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्प संख्यकों को भाषा के आधार पर शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है।

इस मामले में 'स्थापित करना तथा प्रबन्ध करना' शब्दों का विवेचन करने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है/ केरल शिक्षा विधेयक के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से यह मत व्यक्त किया था कि इन पदावलियों का अर्थ दो अधिकार हैं—एक स्थापित करने का अधिकार तथा दूसरा प्रबन्ध करने का अधिकार। मुसलमानों के दावे का प्रतिरोध करने का प्रयत्न करते हुए श्री चागला ने अभी कहा था कि किसी अल्पसंख्यक* समुदाय को पहले कोई संस्था स्थापित करनी चाहिये और वह केवल फिर ही उसका प्रबन्ध कर सकती है। एक ओर तो श्री चागला इस विश्वविद्यालय के स्वरूप को बदलना नहीं चाहते हैं परन्तु दूसरी ओर उन्होंने अथवा उनके मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि "1920 के अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त मुस्लिम विश्वविद्यालय केवल मुस्लिम समुदाय के लिये ही नहीं है" . . . "यह धर्म पर आधारित नहीं है" . . .बिना धर्म तथा भाषा के विचार से सरकार द्वारा स्थापित किया गया यह विश्वविद्यालय सभी के लिये है जैसा कि ऊपर कहा गया है और इसका कोई धार्मिक स्वरूप नहीं है। अतः अनुच्छेद 26,29 तथा 30 इस मामले में लागू नहीं होते हैं। इस सारे मामलों में मुसलमानों के इस दावे को अस्वीकार किया गया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक अल्पसंख्यक समूदायने की थी और कि इस समुदाय को इस का प्रबन्ध करने का अधिकार है।

मुस्लिम विश्वविद्यालय की बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से तुलना करना असंगत है जैसी कि श्री रघुनाथ सिंह ने की है। मेरे माननीय मित्र, श्री रघुनाथ सिंह जी यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 30 में जो मूलभूत अधिकार दिया गया है वह राज्य को नहीं दिया गया है अपितु वह अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया है जैसा कि न्यायाध्यक्ष विवियन बोस ने कहा है। हिन्दुओं को ऐसा कोई मूलभूत अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि हिन्दु अपनी बहुसंख्या के कारण देशमें वास्तव में प्रत्येक संस्था का प्रबन्ध करते हैं। हम तो यह नहीं कहते कि वह साम्प्रदायिक है परन्तु जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने मूलभूत अधिकार के अनुसार किसी संस्था को चलाता है तो उसे सा-प्रदायिक का विशेषण दे दिया जाता है। यह एक विचित्र बात है कि जब हम अपने मूलभूत अधिकार का उपयोग करते हैं तो हमें साम्प्रदायिक संस्था कहा जाता है। यह सुझाव देना एक अपराध है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय किसी राष्ट्रीय संस्था को नहीं चला सकता है। चाहे ऐसी संस्था को सरकार द्वारा शतप्रतिशत सहायता ही क्यों न मिलती हो। सरकार न ही इसकी सम्पत्ति का हरण कर सकती है और न ही उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है। यदि सरकार समझती है कि किसी संस्था का प्रबन्ध अच्छा नहीं है तो वह उसको सहायता देना ही बन्द कर सकती है तथा उसको अमान्य ही घोषित कर सकती है।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

जहां तक धार्मिक शिक्षा का सम्बन्ध है यह बिल्कुल सही है कि सहायता प्राप्त करने के पश्चात् वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जहां तक विद्यार्थियों के अनुपात का प्रश्न है जब सरकार किसी मुस्लिम विश्वविद्यालय को सहायता देती है तो वह यह कह सकती है कि उसमें कम-से-कम 49 प्रतिशत गैर-मुसलमान विद्यार्थियों को दाखिला मिलना चाहिये तथा कि वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिये। परन्तु वहां पर अल्पसंख्यक प्रशासन के अन्य सभी गुण होने चाहिये।

श्री चागला ने इस बात से इन्कार किया था कि उन्होंने ऐसा कभी सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी अथवा पाकिस्तानी समर्थक तत्व हैं। मैंने यह सोचा था कि साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी तथा फासिस्ट तत्व केवल मुसलमान ही हो सकते हैं परन्तु यह मैंने पहली बार सुना है कि इस मामले में केवल मुसलमान ही शामिल नहीं थे। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मंत्रालय ने यह एक विकृत सुझाव दिया है कि केवल मुसलमान ही साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी तथा फासिस्ट हैं क्योंकि आजकल किसी मुसलमान के बारे में जब यह कहा जाता है कि वह साम्प्रदायिक अथवा प्रतिक्रियावादी अथवा फासिस्ट है, तो इसका अर्थ यह लिया जाता है कि वह पाकिस्तान का समर्थक है अथवा वह एक पाकिस्तानी एजंट है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि एक साम्प्रदायिक व्यक्ति तथा पाकिस्तान का समर्थन करने वाले व्यक्ति में काफी अन्तर है क्योंकि एक व्यक्ति जो इस देश में निष्ठा रखता हो तब भी, वह साम्प्रदायिक हो सकता है। "साम्प्रदायिक" का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो साम्प्रदायिक है, राष्ट्रवादी नहीं है तथा धर्मनिर्पेक्षवादी नहीं है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह पाकिस्तान का समर्थक हो। श्री एंथनी इस भेद को समझें।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं इन शब्दों के भेद को भलिभांति समझता हूं परन्तु यहां पर वातावरण ही ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक मुसलमान प्रतिक्रियावादी है तो इसका यह अर्थ लिया जाता है कि वह एक बड़ा भारी शत्रुसमर्थक है।

श्री मु० क० चागला : निश्चित रूप से नहीं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : 'नहीं' कहने का कोई लाभ नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है परन्तु है सच्ची।

मैं श्री चागला से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुशासनहीनता, हिंसा तथा अन्य बुरी बातें केवल इसी विश्वविद्यालय में ही हैं। क्या अन्य संस्थाओं में यह बातें नहीं हैं। यदि अन्य संस्थाओं में भी अनुशासनहीनता है तो केवल मुसलमानों को ही क्यों इस विश्वविद्यालय से निकाला जा रहा है।

श्री मु० क० चागला : मुसलमानों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है?..... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं बताता हूं कि उनको कैसे निकाला जा रहा है। यह कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में एक कालेज को, जो कि सर सैयद अहमद खां के प्रयत्नों के फलस्वरूप धन इकट्ठा करके स्थापित किया गया था, परिवर्तीत करके किया गया था। इस कालेज का संचालन करने वाली तीन मुस्लिम समितियों के सभी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को इस विश्वविद्यालय में निहित करके इस कालेज की सारी चल तथा अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया था। 1920 के अधिनियम की प्रस्तावना में इन सभी बातों का उल्लेख है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में यह बताया गया है कि सर्वोच्च शासी निकाय में केवल मुसलमान ही होंगे। ऐसा 1951 तक होता रहा है। संविधान में भी अल्पसंख्यक समुदायों को ऐसी संस्थाओं का संचालन करने का मूलभूत अधिकार दिया गया है। मुसलमानों को उनके इस मूलभूत अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा एक नामनिर्देशित निकाय की व्यवस्था की जा रही है हालांकि मूल परिनियम में भी यह आश्वासन दिया गया था कि इस सर्वोच्च निकाय में कम-से-कम 80–90 प्रतिशत मुसलमान होंगे। इस विधेयक के अनुसार नामनिर्देशित सदस्यों में चाहे एक भी मुसलमान न हो तब भी कुछ नहीं किया जा सकता है। इस में कोई

सन्देह नहीं है कि श्री चागला ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय के स्वरूप को नहीं बदला जायगा परन्तु विधेयक में जो व्यवस्था की गई है वह इस बात के विपरीत है क्योंकि विज़िटर को केवल हिन्दुओं का ही नामनिर्देशन करने से रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अतः वह केवल हिन्दुओं को ही नामनिर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा मंत्री मुसलमानों को कानूनी रूप से उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अतः मैं श्री चागला से अनुरोध करता हूं कि वह मुसलमानों को कुछ रियायत तो दें। उन्होंने मेरे इस सुझाव को भी नहीं माना है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये। यह विश्वविद्यालय मुसलमानों की इच्छाओं की प्रतीक है और इसलिये नियामक तथा आपातकालीन शक्तियां चाहे आप अपने पास सुरक्षित ही रखें परन्तु इतनी रियायत तो उन्हें दी जानी चाहिये कि सर्वोच्च प्रशासी निकाय में बहुसंख्या मुसलमानों की होगी। इस विधेयक द्वारा उनको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह एक खेदजनक बात है कि श्री एन्थनी तथा अन्य माननीय मित्रों ने, जिनका वर्षों से शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति की हत्या करने के उद्देश्य से किये गये आक्रमण की निन्दा नहीं की है। जिस दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था उसी दिन पूर्वीय क्षेत्र में एक अन्य विश्वविद्यालय—ढाका विश्वविद्यालय—का भी जन्म हुआ था। उस समय वहां पर भी एक ऐसा प्रश्न उठाया गया था कि मुसलमानों को उन्नति करने के क्या अवसर दिये जायेंगे। यह कहा गया था कि उन्हें विशिष्ट विशेषाधिकार दिये जाने चाहिये। वास्तव में उन्हें यह सब विशेषाधिकार प्राप्त थे जोकि विश्वविद्यालय ने उन्हें दिये थे कि उन 75 प्रतिशत नागरिकों को उन्नति करने के सभी अवसर मिले, जो अशिक्षित थे। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों की सद्भावना तथा उनके धन से वहां पर एक इंजीनियरी कालेज, एक कृषि कालेज, एक चिकित्सा कालेज और विधि तथा विज्ञान कालेज खोले गये थे।

सभी हिंसात्मक कार्यवाहियों की निन्दा की जानी चाहिये और श्री चागला ने इस अध्यादेश द्वारा यही करने का प्रयत्न किया है। यह विधान उन सभी तत्वों के साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करने के लिये लाया गया है जो शिक्षा के वातावरण में शिष्टाचार तथा न्याय समाप्त करना चाहते हैं। श्री अली यावर जंग ने कहा है कि अध्यापकों तथा शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों ने भी इन घृणित कार्यवाहियों में भाग लिया। क्या इसकी निन्दा नहीं की जानी चाहिये? यह अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का प्रश्न नहीं है। यह मानवता का प्रश्न है। इसी कारण यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने एक उद्देश्य पूरा करना है। ढाका विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक दंगों के दिनों में भी विश्वविद्यालय के अन्दर किसी एक लड़के या लड़की को परेशान नहीं किया गया था। मैं श्री एन्थनी से आशा रखता था कि वह उपकुलपति पर हत्या की दृष्टि से आक्रमण की निन्दा करेंगे। अप्रैल में अलीगढ़ में जो कुछ हुआ है, वह भारत के इतिहास में विचित्र अध्याय है और हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिये। जब शिक्षा मंत्री एक चुनौती के साथ आगे बढ़े हैं तो मतान्ध लोग अपने पूरे जोर से उन्हें बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जिस सरकार के वह प्रतिनिधि हैं, एक ऐसे जीवन मार्ग के पक्ष में हैं जो साम्प्रदायिकता की निन्दा करता है।

यहां यह कहा गया है कि यह संगठित योजना का परिणाम है। हम ऐसी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में हार्दिक सहयोग देना चाहिये। जो लोग यह नहीं जानते कि संस्कृति क्या होती है और जो यह नहीं जानते कि शिक्षा क्या होती है, वे श्री चागला की निन्दा कर रहे हैं, मानों कि वह लोग ही इस्लामी संस्कृति के समर्थक हैं। हम लोग उन मूल सिद्धान्तों पर चलने के लिये वचनबद्ध हैं जिनके लिये महात्मा गांधी तथा श्री जवाहरलाल नेहरू ने जीवन भर काम किया है और श्री चागला कांग्रेस दल के प्रवक्ता के रूप में यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें इसके लिये पूर्ण समर्थन मिलना चाहिये।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति के रूप में मैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण के विरुद्ध हूं। किसी भी विश्वविद्यालय के लिये स्वायत्तता प्रगति का स्रोत है परन्तु अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, इस पर ध्यान रखते हुए इस सिद्धांत को वहां पर लागू करना कठिन है। 25 अप्रैल को अलीगढ़ में होने वाली घटनायें बहुत ही अपमानजनक हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अलीगढ़ विश्वविद्यालय कुछ उच्च सिद्धान्तों तथा परम्पराओं पर स्थापित किया गया था परन्तु दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय अपने आदर्शों से विचलित हो गया है। इस विश्वविद्यालय के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के महालेखापाल के 1961 के प्रतिवेदन से ऐसी बातों का पता लगा है जिससे रक्त खौलने लगता है। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार स्थिति के इस प्रकार बिगड़ने को कैसे सहन करती है।

यह भी सच है कि विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता आज सरकार के लिये बहुत बड़ी समस्या बन गई है परन्तु अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 25 अप्रैल को आरम्भ किया गया आंदोलन सभी आंदोलनों से भी बुरा है। इस मामले की जांच के लिये सरकार को एक जांच आयोग नियुक्त करना चाहिये।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैंने कई मित्रों के साथ विचार विमर्श किया है। इस विश्वविद्यालय के मामले पूर्णतया भ्रम में डालने वाले हैं। विश्वविद्यालय के संविधान को स्थगित करने के अध्यादेश पर विरोध का बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया गया है। परन्तु यह पहली बार नहीं है कि इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कोई ऐसा कदम उठाया गया हो। 1920 के दशक के अन्त में सर रास मसूद को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया था और विश्वविद्यालय का विधान पूर्णतया स्थगित कर दिया गया था। यदि उस समय इस्लामी संस्कृति नष्ट नहीं हुई तो इस समय, जबकि और भी कम कठोर उपाय काम में लाये जा रहे हैं, उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है?

मुझे श्री चागला के इस आश्वासन पर प्रसन्नता है कि यह अस्थायी उपाय है। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय में पुनः सामान्य स्थिति स्थापित हो जाने पर इसे तुरन्त ही वापिस किया जायगा।

मैं यह नहीं मानता कि संस्कृति का विभागीकरण किया जा सकता है। यदि भारत की कोई संस्कृति है तो वह केवल भारतीय संस्कृति ही है। इस्लामी संस्कृति को अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाये रखने की दृष्टि से, उसे भारतीय संस्कृति में अंशदान देना चाहिये और यह एक ऐसा महान कार्य है जिसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय पूरा कर सकता है।

मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूं जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पाकिस्तान का शस्त्रागार मानते हैं। विश्वविद्यालय में एक ओर परम्परागत रूढ़िवादियों और दूसरी ओर प्रगतिशील सिद्धान्त वाले लोगों के बीच संघर्ष है। वहां गड़बड़ें इसी कारण हुई है। यह ठीक है कि स्नातक बनने के बाद विश्वविद्यालय से कुछ छात्र पाकिस्तान चले गये हैं। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के कुछ छात्र भी विदेशों को चले जाते हैं।

यह कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुसलमानों का है और मुसलमानों के लिये है तथा उसका प्रशासन मुसलमानों द्वारा होना चाहिये। यह सुझाव बहुत खतरनाक है। यदि हमारे विश्वविद्यालयों ने पृथकवाद की मनोवृत्ति दिखाई तो यह बात खतरनाक होगी परन्तु यह गैर-धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति पैदा करने की जिम्मेवारी वर्तमान सरकार पर आती है। वही इस पृथकवाद की दीवार के लिये उत्तरदायी है। जनता के विभिन्न समुदायों के बीच खड़ी की गयी सभी दीवारों को हटाया जाना चाहिये। पुरूषों तथा स्त्रियों के बीच भी दीवारों को भी हटाया जाना चाहिये। नये उपकुलपति ने यह दीवार हटाने का प्रयत्न किया है।

चूंकि सरकार द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव अस्थायी प्रकार के है जैसे इन प्रस्तावों के विश्वविद्यालय प्रशासन में दक्षता आयेगी इसलिये मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shrimati Maimoona Sultan (Bhopal) : It is strange that a person of the calibre of Shri Chagla has complicated and weakened the case of Aligarh University. So far the objectives of a University are concerned, I do not find any difference between Aligarh University and any other University. If any University fails to fulfil the objectives, the Government is competent to interfere, as Shri Chagla has done in the case of Aligarh University and I have no complaint whatsoever in that regard, but I have found him lacking in judicious approach and maturity which was expected of him.

I fully support this ordinance. The ordinance was promulgated in extraordinary circumstances when the Vice-Chancellor was attacked and possibly that could have caused his death. The Government was left with no alternative but to interfere in the affairs of the University and improve them. This is a temporary measure and another Bill will be introduced at opportune time. In view of all this and the circumstances through which we are passing, we should not fritter away our energies. I would, therefore, urge this House to support the ordinance.

So far as the question of enquiry into the incidents in the university is concerned, there is no question of making any enquiry regarding the attack on the Vice-Chancellor. It is evident. There can, however, be an enquiry whether it was a conspiracy or not or whether it was a deliberate attempt or not.

The Minister has categorically stated that the Vice-Chancellor was attacked because he wanted to set-up secular or national standards in the university. It has been said that he was not attacked because he had changed the policy regarding admission. I want that this matter may be enquired into. Unless that is done, Mr. Chagla is not justified to say so. The Charge of being anti-national is very serious.

An enquiry was made in Benares University on less serious charges. The number of reactionary students has been stated to be 1500 or 1600. This number is alarming. An enquiry should, therefore, be made. There can be no eye-witness about the communal or reactionary character of a person. It can only be asertained from other evidence and the record. I, therefore, consider an enquiry to be essential.

Shri Chagla does not want to change the Character of the University. He says that it is his responsibility that Arabic and Persian will be taught there. I would like to urge that teaching of Arabic and Persian does not constitute Muslim culture. Culture eminates from the land. The culture of Persian Muslims and Arabic Muslims is different from our culture. Without religious education, culture is incomplete in India. That is my opinion. The question of minorities has not been left to be decided by us by the Constitution. Shri Chagla himself gave a ruling that "It is not open to the State to dictate to a minority what the nature of the educational institutions should be".

It means that the minorities have a right to decide what sort of culture do they want for themselves. I hope that Shri Chagla will keep in view these things while replying to the debate.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं श्री यशपाल सिंह के संकल्प का विरोध तथा शिक्षा मंत्री के विधेयक का समर्थन करता हूं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हुई घटना के बारे में जब शिक्षा मंत्री ने सभा को अवगत किया था तथा बताया था कि वह इस बारे में क्या कारवाई कर रहे हैं, तो सभी सदस्योंने उसका समर्थन किया था।

[श्री गो० ना० दीक्षित]

किसी भी सदस्य ने श्री अली यावर जंग के खिलाफ कुछ नहीं कहा। सभी का यही मत था कि वह देशभक्त हैं। किसी ने भी यह अस्वीकार नहीं किया कि उन पर प्रहार हुआ। जब श्री अली यावर जंग इस प्रहार के बाद दिल्ली आये तो उनका समर्थन करना श्री चागला का कर्तव्य था। किसी ने भी यह आरोप नहीं लगाया कि श्री अली यावर जंग को भाषण में किसी व्यक्ति के विरुद्ध द्वेष प्रकट किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जो कुछ उन्होंने कहा है हमें उस पर विश्वास करना चाहिये। मेरे विचार से जो कुछ श्री चागला ने किया है उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए किया है।

मैं विशेषकर श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री हेम बरुआ के भाषणोंका समर्थन करता हूं। उनके भाषणों से ऐसा प्रतित होता है कि उन्होंने इस विषय का गहन अध्ययन किया है। अपने गहन अध्ययन के पश्चात ही उन्होंने शिक्षा मंत्री का समर्थन किया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये तथा गांधीजी द्वारा प्रचार किय गये तथा श्री जवाहरलालजी द्वारा समर्थन प्राप्त किये गये सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्री की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा मुस्लिम संस्कृति का प्रचार किया जा सकता है। मेरे दिल में मुस्लिम धर्म के लिये पूर्ण सम्मान है परन्तु क्या इस देश मे किसी पृथक संस्कृति के प्रचार करने की आवश्यकता है। भारत देश में केवल एक ही संस्कृति है जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते है। दूसरी सभी संस्कृतियां इस के अधीन लाई जानी हैं। मेरे विचार से यह गांधी जी के नेतृत्व में सम्भव था।

श्री यशपाल सिंह ने कहा था कि हिन्दुओं में बहुत सी चीजें खराब हैं परन्तु मेरे विचार से धीरे धीरे सब खराबियां दूर हो गई हैं। मुझे याद है कि 1930 में कारावास से छुटकारा पा कर मैं स्वर्गीय रफी अहमद किदवई को मिलने के लिये मसौली गया था। वहां पर उन्होंने मुझे चाय व मिठाई लेने के लिये कहा। ब्राह्मण होने के नाते मैं ने कभी मुसलमान के हाथ से कभी पानी तक भी नहीं लिया था, इसलिये मिठाई आदि खाने की तो बात ही क्या। अतः मैं मन ही मन में सोच रहा था कि यदि मैं इस मिठाई को खा लूंगा तो मुझ कै आ जायेगी। परन्तु दूसरी ओर मैं यह सोच रहा था कि यदि मैं इसे नहीं खाता हूं तो रफी जी क्या सोचेंगे। इसलिये मैं ने मिठाई अवश्य खाली चाहे जाती बार मुझे कै करनी पड़ी।

परन्तु इन 30 वर्षों में तो बहुत ही फर्क पड़ गया है। अब तो ब्राह्मण उस थाली को साफ भी कर देता है जिस में किसी मुसलमान अथवा चमार ने अपना भोजन खाया हो। ऐसा परिवर्तन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आया है। हमें इसी संस्कृति को हमेशा के लिये अपनाना है।

मैं श्री मसानी के विचारों से सहमत नहीं हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्या की संस्था होने के नाते कुछ विशेष स्तर दिया जाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि जितना हो सके इस विश्वववविद्यालय का समर्थन किया जाये परन्तु अल्पसंख्यकों को विशष स्थान देने से 1947 के पहले की भावना पैदा हो जायेगी।

मैं श्री हरवानी के इस सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं कि खां अब्दुल गुफ्फार खां को अलीगढ़ विश्व-विद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया जाय उनको इस पद को ग्रहण करने के लिये निमंत्रित किया जाना चाहिये।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक बहुत अच्छी संस्था है। इसके साथ अन्य विश्वविद्यालयों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये। सभी विश्वविद्यालयों से एक सा व्यवहार किया जाना चाहिये ताकि सभी भारत देशभक्त नागरिक पैदा कर सकें।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री यशपाल सिंह के संकल्प का समर्थन तथा शिक्षा मंत्री के विधेयक का विरोध करता हूं। मैं श्री यशपाल सिंह का अति आभारी हूं कि उन्होंने भारत में मुसलमानों के प्रति हमदर्दी प्रकट की है। विरोधी दलों के नेताओं द्वारा समर्थन प्रकट किये जाने के लिये भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आरम्भ में मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की समस्या को शांन्तिपूर्वक ढंगसे सुलझा जाना चाहिये क्यों कि इसपर लाखों मुसलमानों की आशायें कायम हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 25 अप्रैल, 1965 को हुई घटना की हम सब निन्दा करते हैं। वहां के वाइस चांसलर पर जो प्रहार किया गया उसके लिये हमारी सहानुभूति उनके साथ है। जिन विद्यार्थियों ने कानून को अपने हाथ में ले कर उनपर प्रहार किया उनको सख्त से सख्त दण्ड दिया जाना चाहिये।

परन्तु शिक्षा मंत्री ने इस घटना की न्यायिक जांच करवाने को बजाये इस मामले को ऐसे ही रहने दिया। यह बहुत दुख की बात है। उन्होंने इस सभा में और सभा के बाहर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उनके मुख से शोभा नहीं देते।

विश्वविद्यालय में शरारत करने वाले मुसलमान और हिन्दू दोनों ही हो सकते है। इस में कोई साम्प्रदायिक बात नहीं है परन्तु शिक्षा मंत्री ने फिर भी कई प्रकार के आरोप लगा दिये हैं।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय का अपना इतिहास है। शिक्षा मंत्री को इस घटना के सभी पहलुओं को कानून की दृष्टि से देखना चाहिये था। परन्तु उन्होंने जल्दी जल्दी में स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया। उन्होंने सत्र के समाप्त होने के तुरन्त ही बाद 20 मई, 1965 को एक अध्यादेश जारी करवाया। इस घटना के पश्चात् भी संसद का अधिवेशन जारी था, इसलिये यदि कोई परिवर्तन करना था तो मंत्री महोदय को सभा में विधेयक पुरस्थापित करना चाहिये था। परन्तु वह इस के बजाय 25 मई को अध्यादेश लाये जिसका लाना अलोकतंत्रीय था उड़ीसा और मद्रास में इससे भी अधिक गम्भीर घटनायें हुई हैं। उड़ीसा में विद्यार्थियों ने मुख्य मंत्री को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य किया। मद्रास में भी निर्दोष व्यक्तियों को लूटा गया अथवा मारा पीटा गया, परन्तु इस प्रकार की कारवाई वहां नहीं की गई।

इसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक होने के नाते मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं है। वे अपनी मांग को पूरा नहीं करवा सकते। उनको अपने अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। अधिक संख्या में होने के कारण बहुसंख्यक अपनी इच्छा को अल्पसंख्यको पर थोप सकते हैं। वे ऐसा कानून बना सकते हैं जो, अल्पसंख्यकों के हित में न हो.....**अन्तर्बाधायें**।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : माननीय सदस्य के भाषण को निर्बाध सुना जाना चाहिये। यह उनका अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपने भाषण के दौरान दूसरी ओर नहीं देखना चाहिये।

श्री बदरुद्दुजा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका निदेश स्वीकार है।

मेरे माननीय मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी ने इस प्रश्न पर कानूनी पहलु से विचार किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्था नहीं है क्यों इस बारे में शिक्षा मंत्रालयन शपथ ली है परन्तु श्री रघुनाथ सिंह का यह विचार भी ठीक नहीं है कि यह संस्था बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा शान्तिनिकेतन के आदर्श पर बनाई गई है।

[श्री बदरुद्दुजा]

अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय के पीछे एक इतिहास है। सिपाहियों के विद्रोह के बाद मुसलमानों को बुरी तरह से कुचला गया था। इस परेशानी में मुस्लिम समुदाय के महान नेता सर सयद अहमद खां ने एक योजना बनाई थी जिससे मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलीगढ़ में एम० ए० ओ० कालेज स्थापित किया था और यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसी कालेज के परिणामस्वरूप ही बना है।

1920 के अधिनियम में यह विशेषकर निर्धारित किया गया था कि विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा व्यवस्था का काम मुसलमानों के हाथ में रहेगा। मुझे इस बात से कोई विरोध नहीं है यदि हिन्दुओं को भी इसकी कार्यकारी परिषद् अथवा कोर्ट में लिया जाय। 1964 में हमारी संकट की घड़ी में हिन्दु, सिख अथवा ईसाइयों ने भी हमारा साथ दिया था। इसलिये यदि हिन्दुओं को भी इसके कार्यकारी दल अथवा कोर्ट में लिया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पहले ही बहुत से हिन्दु विद्यार्थी हैं। उनकी संख्या 35 प्रतिशत है। किसी अन्य विश्वविद्यालय में अन्य समुदायों के विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है। श्री जय-प्रकाश नारायण, श्रीमती सुभाष जोशी, श्री हीरेन मुकर्जी आदि व्यक्तियों के प्रति मुसलमानों का विश्वास पहले ही बहुत अधिक है। आज प्रधान मंत्री तथा श्री गुलजारीलाल नन्दा के प्रति मुसलमानों का विश्वास अपनी जाति के लोगों से भी अधिक है। उनका विश्वास आज श्री चागला के प्रति इतना नहीं रहा है क्योंकि उनके कारण मुस्लिम समुदाय को भावनाओं को बहुत ठोस पहुंचा है। यही कारण है कि संपूर्ण देश में आन्दोलन हो रहा है।

अब मैं विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि बताउंगा। 1911 में भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया था जिस में यह प्रार्थना की गई थी कि एक मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। इसपर सरकार ने कहा कि यदि समुदाय इसके लिये पर्याप्त फण्ड इकट्ठे कर ले तो बात बन सकती है। मुसल-मानों ने आगा खां एन्ड अली बरादर्स के मार्गदर्शन में फण्ड भी इकट्ठा कर लिया। उन्होंने 30 लाख रुपये इकट्ठे किये और एक ट्रस्ट स्थापित कर लिया। बाद में इस ट्रस्ट की सभी आस्तियां अलीगढ़ विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में बन गया था। 1920 के अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विश्वविद्यालय का प्रबन्ध तथा प्रशासन मुसलमानों के हाथ में होगा परन्तु सभी समुदायों के व्यक्ति इस में शिक्षा पा सकते हैं। आजकल संस्कृति शब्द को एक नई परिभाषा सुनने में आ रही है। परन्तु इमाम जफर-उस-सादिक की संस्कृति की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। उनके अनुसार आप का हृदय इतना पवित्र होना चाहिये कि उसमें दूसरे व्यक्तियों के प्रति प्यार, न्याय, मित्रता आदि की भावना होनी चाहिये।

शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हमें यह याद रखना चाहिये कि हमारी संस्कृति तथा हमारी परम्परायें ऐसी होनी चाहिये जिनसे धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी योजनायें भी ठीक प्रकार से सोंचा सकें। इस लिये मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के सभी मुसलमान मातृभूमि के लिये हर किसम का बलिदान करने के लिये तैयार हैं। परन्तु हम किसी भी हालत में अपनी संस्कृति अथवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि खोने को तैयार नहीं हैं। हमारी अपनी ही संस्कृति है। हम ने भारत की कला, वास्तुकला, संगीत आदि में भी बहुत योगदान दिया है। अब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। जब तक हम मुसलमान हैं, हमें अपने धर्म और संस्कृति को अपनाना है।

जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सम्बन्ध है, इस बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। इस सम्बन्ध में मैं श्री चागला की मनोवृत्ति का उल्लेख करना चाहता हूं। 1964 में जब मुसलमानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था तो वह न्यूयार्क जा रहे थे। उनके मन में तुरन्त ही यह बात आई कि पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमान हिन्दुओं को बहुत तंग कर रहे हैं। हम ने भी इस बात को बहुत बुरा माना और उनकी बहुत निन्दा की। परन्तु उनके मन में यह बात कभी नहीं आई कि भारत में

भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश लाया गया है यह मुसलमानों के मल अधिकारों के खिलाफ लाया गया है। श्री रघुनाथ सिंह जी ने संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लेख किया था। परन्तु उन्होंने खण्ड (2) को ध्यान में नहीं रखा। संविधान की रचना करने वालों ने इस बात को ध्यान में रख कर ही संविधान बनाया था अन्यथा बहुसंख्यक अधिक संख्या में होने के कारण सब कुछ अपने हाथ में ले लेते।

मैं संविधान बनाने वालों को बधाई देता हूं जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30 में यह उपबन्ध रखा है कि सरकार अनुदान देते समय किसी शिक्षा सम्बन्धी संस्था से भेदभाव नहीं रखेगी चाहे वह संस्था धर्म के आधार पर बनाई गई हो अथवा भाषा के आधार पर और चाहे उसका प्रबन्ध अल्पसंख्यकों द्वारा क्यों न किया जाता हो।

प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी संस्थायें होती हैं। श्री फ्रैंक एन्थनी ने अभी ही कहा था कि उनके समुदाय की 300 संस्थायें हैं। हमारे भी समुदाय की अपनी संस्थायें हैं। सिखों की अपनी संस्थायें होती ह। इसलिये इस बारे में मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं।

अब मैं प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री से प्रार्थना करुंगा कि वह इस ओर ध्यान दें कि कानून द्वारा मुस्लिम संस्थायें बन्द न की जायें। इस के लिये मैं उन से प्रार्थना करुंगा कि वह बंगाल के महान व्यक्ति देशबन्धु चित्तरंजन दास की पवित्र स्मृति को उदाहरण का अनुसरण करें।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन तथा माननीय मंत्री के विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Any university, be it Banaras University or Aligarh University, if it is run on communal lines must be condemned.

Then there is Arbi Madrassa in Devbund and there are such like institutions in Hyderabad. These are institutions where Govt. cannot interfere on any score. But we cannot put the four main Universities namely Aligarh, Banaras, Delhi and Shantiniketan on the footing of these institutions. It is because these Universities are run with the assistance of all tax payers. Hence persons of all communities may get education in these universities.

In the beginning of his speech, the Education Minister, Shri Chagla had said that the Muslim character will be preserved even after the Bill becomes an Act. In this connection I want to submit that in case he meant the coordination of Islam with the secular policy of India or things like that then it was all right. Otherwise it cannot be accepted under the constitution by anyone.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा, गुरुवार, 2 सितम्बर, 1965/11 भाद्र, 1887 (शक) के ग्यारह म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till elevan of the clock on Thursday, September 2, 1965/*Bhadra* 11, 1887 (*Saka*).

—o-o—

GIPN—25 Lok Sabha/65 11-4-66—600.